खण्ड-464, अंक-4
सोमवार, 11 आषाढ़, शक संवत् 1929
(2 जुलाई, 2007 ई0)

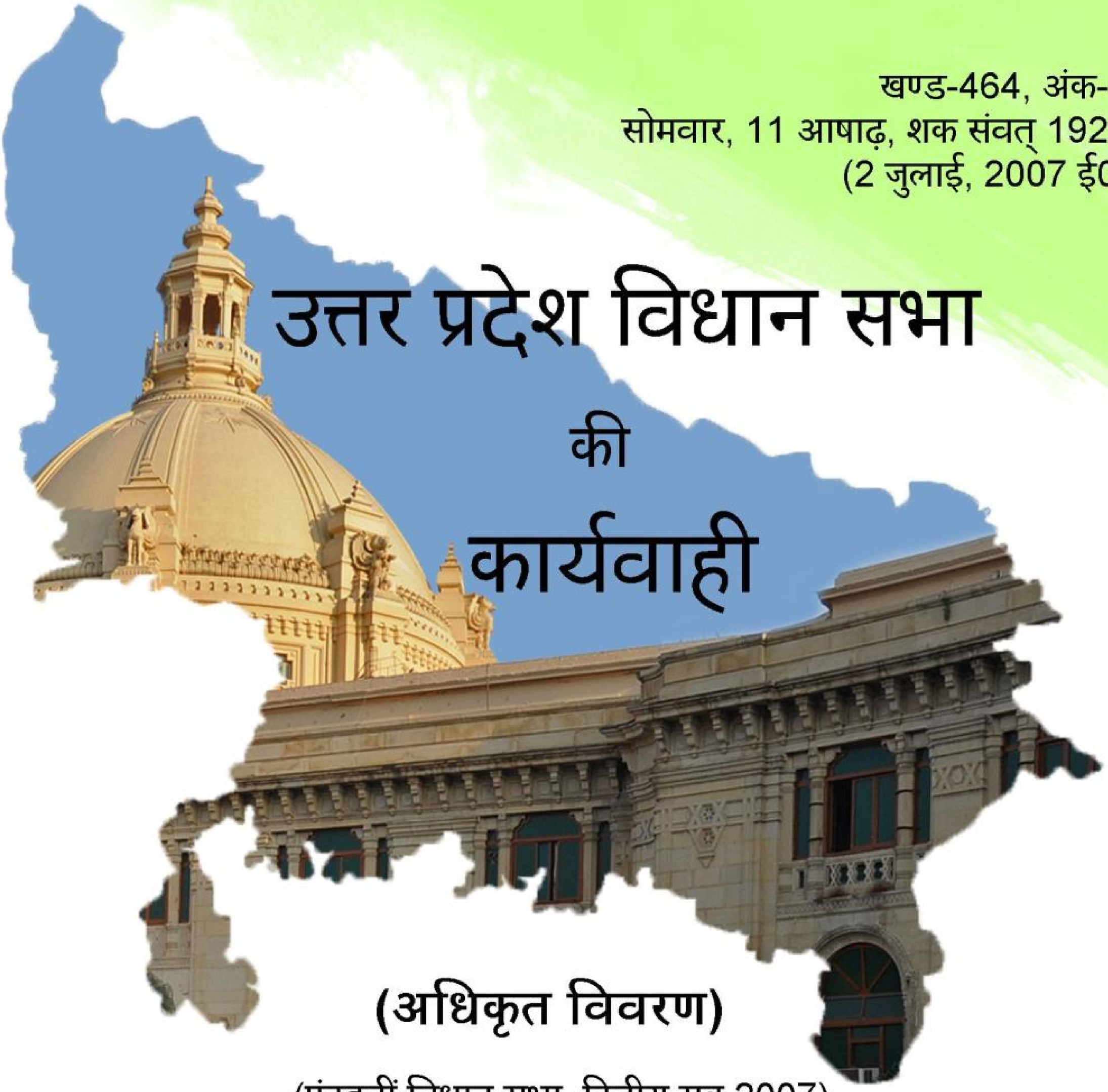

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 464 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
प्रश्नोत्तर	1-60
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	60-61
नियम 301 के अन्तर्गत सूचानायें	62
लखनऊ मध्य क्षेत्र में प्रदूषित पेयजल से संक्रामक बीमारी उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
जनपद उन्नाव के कुछ मार्गों के नवीनीकरण/मरम्मत हेतु वर्ष 2006-07 मे अवमुक्त किये गये धन के दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
लखनऊ मे "मा0 कांशीराम अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल"(स्पोर्ट्स स्टेडियम) की लम्बित परियोजना पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63-64
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविधालय, कानपुर, द्वारा बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराकर कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2004-2005 की जिला योजना के पर्यटन मद में कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन के अपव्यय की तकनीकी समिति द्वारा मूल्यांकन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	64-65
जनपद गोण्डा में रामगढ़ टिकरी रेन्ज में वनाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा धिनिंग एवं परमिट के नाम पर अनियमिताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	65
जनपद शाहजहांपुर में ग्राम सरायं लाल्लू का छितौना (बिजलीपुरा क्षेत्र) में चकबन्दी न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65-66
चौदहवीं विधान सभा के अन्तिम सत्र में तत्कालीन नेता सदन द्वारा प्रत्येक विधायक को 200-200 हैण्डपम्प व सात कि0 मी0 सड़क दिये जाने की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु बजट में धन का प्राविधान न किये जाने तथा वर्तमान सरकार द्वारा सत्तापक्ष के विधायकों से दस-दस करोड़ रुपये के विकास प्रस्ताव मांगे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	66-70
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	70

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव.....(स्वीकृत)	70-72
आज की कार्य-सूची के सम्बन्ध मे व्यवस्था का प्रश्न	72
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2007-2008 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों " तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति,"सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति" तथा "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना नामित किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव.....(स्वीकृत)	72-74
उत्तर प्रदेश आवास एंव विकास परिषद (संशोधन) विधयेक 2007.....(पुरःस्थापित)	74
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविधालय (संशोधन) विधयेक 2007.....(पुरःस्थपित) ...	74-75
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	75-96
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007..... (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ...	96-100
उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग संशोधन विधेयक, 2007 ..... (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	101-109
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	109-110
जनपद जे0पी0 नगर की तहसील हसनपुर के ग्राम चन्दनपुर स्थित शुगर मिल के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने तथा मिल में व्याप्त अनियमितताओं को रोकने के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना मंत्री का वक्तव्य... ...	110-111
जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन व पलिया के तराई इलाकों में बसे सिख परिवारों की जमीनों की बेदखली के सम्बन्ध में श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	111-113
जनपद आगरा में यमुना नदी में गंगा दशहरे के पर्व पर छः लड़कों की असामायिक मृत्यु के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	113-114

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मऊ में बेलथरा रोड से मधुवन दोहरी घाट जाने वाली सड़क रामपुर बेलौली घाट स्थित टूटे पुल का निर्माण कराये जाने तथा उक्त सड़क को राज्य सड़क घोषित करने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	114-115
जनपद आगरा में गुड़ की मण्डी से कालीबाड़ी होते हुए शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास होते हुये पुरानी इमरजेन्सी तक क्षतिग्रस्त मार्ग को आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	115-116
जनपद आगरा के विकास खण्ड शमसाबाद तथा फतेहाबाद में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	116-117
नत्थी	118-129

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 02 जुलाई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-324

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्त रविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम, हाजी श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	औरैया
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीप नारायण, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेश चन्द्र, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथलेश कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाटक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह चौधरी, श्री	अलीगढ़
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सीमा, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट :-लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोके जाने हेतु कार्य-योजना

**1-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी (अनुपस्थित)-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है , यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है और उसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने हेतु शासन व महानिदेशालय स्तर से समय-समय पर शासनादेश/निर्देश निर्गत किये गये हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अधीन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा नियमावली, 1955 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट/अपमिश्रण पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु मण्डल मुख्यालयों पर एवं प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के अधीन खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में तैनात मुख्य खाद्य निरीक्षक तथा ब्लाक स्तर तथा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा अपमिश्रण पर नियंत्रण/रोकथाम/छापामार की कार्यवाही की जाती है। राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच कराने के पश्चात् नमूनें अपमिश्रित पाये जाने पर दोषी निर्माताओं/विक्रेताओं के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। वादों की प्रभावी पैरवी कर दोषी निर्माताओं/विक्रेताओं को सजा/अर्थदण्ड दिलाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2006-07 में गन्ने की पेराई व उसके मूल्य के भुगतान की जानकारी

**2-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-07 में प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा किसानों की कितने गन्ने की पेराई की गयी ? क्या यह सत्य है कि माह फरवरी, 2007 से किसानों के गन्ने का हजारों करोड़ रु0 का भुगतान चीनी मिलों द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

पेराई सत्र 2006-07 में प्रदेश की सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा दिनांक 07 जून, 2007 तक कुल रु0 89071.76 हजार टन गन्ने की पेराई की गयी है।

माह फरवरी, 2007 से किसानों को कुल रु0 4300.40 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है।

वर्तमान पेराई सत्र में जनवरी से चीनी के मूल्य में अप्रत्याशित कमी से चीनी मिलों की गन्ना मूल्य भुगतान क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को दिनांक 31-8-2007 तक चरणबद्ध रूप से समस्त अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। गन्ना मूल्य भुगतान हेतु चीनी मिलों पर निरन्तर दबाव बनाया जा रहा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, आप मेरे प्रश्न का पैरा-2 देख लें, मैंने पूछा है कि क्या यह सत्य है कि माह फरवरी, 2007 से किसानों के गन्ने का हजारों करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों द्वारा नहीं किया गया है ? जवाब है कि माह फरवरी, 2007 से किसानों को कुल रु0 4300.40 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। हमने जानना चाहा है कि कितना बाकी है, उसका जवाब नहीं दिया बल्कि कितना भुगतान किया, वह बता रहे हैं। वैसे तो उस दिन इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। एक स्पष्टीकरण चाहता हूं यहां पर गन्ना मंत्री जी नहीं है, नहीं तो जवाब देते। पिछले वर्ष प्रदेश की चीनी मिलों ने कितने गन्ने की पिराई की थी और इस समय तक कितने प्रतिशत भुगतान हुआ था ? इस वर्ष जो आपने बताया कि 8971 हजार टन गन्ने की पेराई की गयी है उसके हिसाब से कितने प्रतिशत भुगतान हुआ। उस दिन आपने कहा था कि पिछले वर्ष से ज्यादा भुगतान कर दिया गया है।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, जवाब तो स्पष्ट दिया गया था। पेराई सत्र 2006-07 में कुल 8405.92 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक किया जा चुका है और वर्ष 2005-06 तक कुल 6883.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इस समय भुगतान जो है 1522 करोड़ अधिक किया गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैंने दूसरी चीज पूछी थी कि पिछले वर्ष कुल कितने गन्ने की पेराई हुई और अब तक उसका कितने प्रतिशत भुगतान हुआ था ? आपने कहा कि इस समय तक 8971 कुन्तल गन्ने की पेराई की है तो जो भुगतान हुआ है, वह कितने प्रतिशत है ? पिछले वर्ष इस समय तक ज्यादा भुगतान हुआ था या इस साल हुआ है ? किसानों का कितना बकाया है यह भी स्पष्ट नहीं किया है।

मान्यवर, अगर आप पैरा 2 देखें तो उसमें पूछा है कि गन्ना किसानों का कितना भुगतान बकाया है ? बकाया पूछा जा रहा है, भुगतान नहीं पूछा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपने तीन चीजों पर स्पेसिफिक पूछ लिया। पैरा-2 में शासन की तरफ से जवाब आ गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आप जवाब पढ़ लें। मान्यवर, हमने पूछा था कि कितना बकाया है तो यह जवाब कहां आया ?

श्री अध्यक्ष-

पहले पैरे में जो आपने पूछा था उसका जवाब शासन की तरफ से आ गया है और दूसरे पैरे में आपने पूछा था कि फरवरी, 2007 से हजारों करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। तो शासन ने कहा कि इतना भुगतान किया गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इतना पूछा था कि कितना बकाया है ? यह भी तो आना चाहिए कि कितना बकाया है और कितने प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस साल कुल गन्ना मूल्य देय था 11005.81 करोड़ रुपये और उसके सापेक्ष 8405.92 करोड़ रुपये का भुगतान हो गया है। लगभग 2600 करोड़ रुपये का भुगतान शेष है। मान्यवर, 76.56 प्रतिशत का भुगतान इस वर्ष हो चुका है। मान्यवर, सभी मिलों और मान्यवर, निजी क्षेत्र की जो मिलें हैं उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और उन्हीं मिलवालों ने लिखकर दिया है कि हम 31 अगस्त तक पूरा भुगतान कर देंगे। चरणबद्ध तरीके से पूरा भुगतान कर देंगे। यह उन्होंने लिखकर दिया है और इस बात के निर्देश दिए जा चुके हैं कि पूरी तरह से भुगतान कर दिया जाए।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, इस जनहित के प्रश्न पर मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना इस प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा संख्या को प्रभावित करने वाली नकदी फसल है। यह सीधे किसान के जीवन को, बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी से जुड़ी हुई है। अगर इसका भुगतान बकाया रह जाता है तो किसानों के घरों की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि अगर 15 दिन से ज्यादा समय तक गन्ने का भुगतान न हो तो उस बकाये पर ब्याज का भुगतान करना होगा। मान्यवर, यह देखते हुए कि किसान पर बकाया है तो उसे लाकअप में डाल दिया जाता है और जब सरकार या पूंजीपतियों पर बकाया होता है तो उनके साथ सहिष्णुता बरती जाती है। तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के उस निर्णय का अनुपालन करते हुए उस 15 दिन के बकाये के भुगतान पर किसानों को ब्याज दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कार्यस्थगन में एक विषय आया था तो उसमें इसका उत्तर माननीय गन्ना मंत्री जी ने देते हुए कहा था कि जब चीनी मिलों को आर0 सी0 जारी होती है तो निश्चित तौर पर उनको ब्याज सहित भुगतान करने के लिए आर0 सी0 जारी की जाती है।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार कटिबद्ध है गन्ना किसानों के मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान हो और इसमें कड़ाई से कार्यवाही कर रहे हैं। हमने तीन चीनी मिलों के खिलाफ आर0सी0 जारी कर दी है जिन मिलों ने इस बात का आश्वासन नहीं दिया था हम

31 अगस्त तक भुगतान कर देंगे। यह सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कि गन्ना किसानों का जो बकाया है उसका भुगतान कराया जाय।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, मैं प्रश्न के अन्तिम पंक्ति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा, तो यह कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

अभी मा0 मंत्री जी ने 31 अगस्त तक स्पेसिफिक तारीख बता दी है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न उत्तर से संबंधित है। हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है और नियमों में प्राविधान भी है कि अगर 15 दिन से ज्यादा का बकाया है तो उसका भुगतान मय ब्याज के करना होगा। अभी सदन में यह उत्तर दिया गया कि गन्ना मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और आर0सी0 जारी कर दी गयी है। आर0सी0 31 अगस्त के बाद जारी होगी। प्रश्न यह है कि जो प्राविधान है, 15 दिन से ज्यादा अगर भुगतान देने में हो गया तो ब्याज उन पर लागू हो गया और यही मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय है, आप आर0सी0 की बात करके विषय से हटना चाह रहे हैं तो यह उचित नहीं है। जब मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय है कि पन्द्रह दिन के ऊपर उस पर मय ब्याज के भुगतान करना होगा तो सरकार इन निर्णयों को क्यों नहीं मनवा रही है। यह छब्बीस सौ करोड़ रुपये हो गया है और 15 दिन से ज्यादा का है तो उस पर सौ करोड़ से ज्यादा ब्याज लगेगा, तो क्या मय ब्याज के भुगतान का आश्वासन सदन में देंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि भुगतान कराये जाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस वर्ष जो परिस्थितियां पैदा हुई लगभग डेढ़ गुना ज्यादा गन्ने की पेराई हुई, चीनी का उत्पादन बढ़ा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, मंत्री जी बड़ी चतुराई के साथ प्रश्न का उत्तर टाल रहे हैं। ठीक है आप काबिल हैं। सवाल बड़ा स्पष्ट है कि पन्द्रह दिन से ज्यादा का समय हो गया तो आश्वासन दें कि मय ब्याज के भुगतान करेंगे। छब्बीस सौ करोड़ रुपया जो है उस पर ब्याज देय होगा। यह यहां पर कठिन परिस्थितियां गिना रहे हैं। जो नियमों में प्राविधान है, जो मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय है उसके परिपालन में जो गन्ना किसानों का बकाया है उसका ब्याज दिया जायेगा यह आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष-

एक आथेन्टिक है कि पन्द्रह दिनों के ऊपर का बकाया है उसका भुगतान मय ब्याज के किया जायेगा। आपने कह दिया कि जो एक्स्ट्रा हो गया है जो पन्द्रह दिन का समय बीत गया है तो उस पर सर्वभुगतान करने के लिये सरकार ने कही है, समाहित हो गया है। (व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, यह सरकार मिल मालिकों से जुड़ी हुई है और गन्ना किसानों का हित नहीं देख रही है। यह मिली नहीं होती तो स्पष्ट आश्वासन देते कि पन्द्रह दिनों के ऊपर का बकाये का भुगतान मय ब्याज के करेंगे। सरकार तथा चीनी मिल मालिकों की दो बैठकें हुई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या-क्या छूट मिल मालिकों ने इस पर मांगी है ? श्रीमन् गन्ना ऐक्ट में भी दिया हुआ है कि 14 दिन से ऊपर बकाये का ब्याज दिया जायेगा, माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है, तो माननीय मंत्री जी आप स्पष्ट आश्वासन सदन में क्यों नही देते है? आपने कहा कि मैने आर0सी0 जारी करने के लिये कह दिया है। आर0सी0 मय ब्याज के जारी होगी। जब आप यह कह चुके तो आपको यह स्पष्ट कहने मे क्या हिचक है? कि किसानो के गन्ने के मूल्य के बकाये का जो भी भुगतान 15 दिन के बाद का होगा वह मय ब्याज के होगा, यह सरकार सदन मे आश्वासन देती है। मै सिर्फ इतना जानना चाहता हूं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार मिल मालिकों से बिल्कुल मिली हुई नही है। सरकार किसानो के प्रति पूरी तरह से हमदर्दी रखती है, उनके मूल्यों का भुगतान कराने के लिये कटिबद्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके लिए आवश्यक निर्देश दिये जा चुके है। मैने यह पहले ही स्पष्ट किया है और निश्चित रूप से मै पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि किसानो के हितों को ध्यान में रखते हुये सरकार गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए निश्चित रूप से भुगतान कराने की कार्यवाही करेगी।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सवाल पूछना नहीं चाहता था, माननीय हुकुम सिंह या माननीय नरेश जी ने पूछा और आप उत्तर दे रहे थे, ऐसा है अध्यक्ष महोदय, सम्बोधन आपको ही करेंगे, लेकिन उत्तर आप नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जो आप उत्तर दे रहे थे वह भी उत्तर पर्याप्त नहीं था। इतना सा ही केवल सवाल है कि 30 जून के बाद जो हाईकोर्ट का फैसला है, एक्ट है, 15 दिन की अवधि के बाद, 15 फीसदी भुगतान, तो क्या वह मय ब्याज के भुगतान करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जानना चाहते हैं कि एक अनुबन्ध है, यह फिक्स है कि 15 दिन से ज्यादा दिन तक का बकाया जिसका होगा, हम उसको मय ब्याज का भुगतान करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जानना चाहते हैं कि इससे ज्यादा जो समय बीत गया है उसके बाद के लिए क्या व्यवस्था सरकार करेगी ? भुगतान करेगी कि नहीं करेगी ? इसके बारे में

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जानना चाहते है। मैने सिर्फ इतना ही कहा था कि सरकार ने यह कह दिया है कि इनके जितने भी बकाये भुगतान होगे वह सब मै 31 अगस्त तक कर दूंगा, जिस पर भी बकाया है। तो इस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जानना चाहते है कि 15 दिन से ज्यादा जिनके भुगतान नही हो पाये है उस पर सरकार की क्या व्यवस्था हैं ? उसको जानना चाहते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, ब्याज सहित भुगतान के बारे में बता दें?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मै आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं आज जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों का जो गन्ना मूल्य बकाया है उसके भुगतान की। निश्चित तौर पर इसके भुगतान के लिए सरकार कटिबद्ध है, नियमों के अनुसार जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी उसके अनुसार भुगतान की कार्यवाही कराई जायेगी। (विपक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, सीधा सा प्रश्न है कि 15 दिन से अधिक का अगर गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है तो मय ब्याज का भुगतान करेंगे या नहीं करेंगे ? सिर्फ हां या न में जवाब दे दें। ब्याज देंगे कि नही देगे? माननीय अध्यक्ष जी आपने स्वयं माननीय नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न दुबारा उनको समझा दिया और प्रश्न सीधा यह है कि 15 दिन से अधिक समय बीतने के बाद मय ब्याज क्या भुगतान करायेगे ? हां या न में उत्तर दे दें। बस इतना सा प्रश्न है। उसके बाद बात खत्म हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न किया और आपने उसे दुबारा रख भी दिया मंत्री जी के सामने सीधा प्रश्न है कि ब्याज सहित क्या 15 दिन के बाद भुगतान को ब्याज सहित भुगतान करायेंगे कि नहीं करायेंगे?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसी से मेरा एक मिलाजुला प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी मिलाजुला क्यों किये दे रहे है। फिर भी आप अपनी बात कह लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह प्रश्नकाल निरर्थक हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी यह बुद्धि विलास का प्रश्न नहीं है, मान्यवर, यह टाइम पास नहीं है। मान्यवर, यह प्रश्नकाल की स्थापना इसलिए की गई थी कि प्रदेश की जनता जिन सवालों को रखना चाहती है और सरकार जिनसे मुंह चुराना चाहती है, उसका जवाब सदन में आ सके।

मान्यवर, सीधा-साधा प्रश्न है। गन्ना मूल्य का भुगतान अगर 15 दिन से अधिक बकाया हो गया है तो क्या ब्याज सहित भुगतान देंगे?

श्री अध्यक्ष-

सरकार कह तो रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार किसानो के बकाया भुगतान के लिए कटिबद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो या नियमों के अनुसार जो भी आवश्यक होगा वह किया जायेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हम रास्ता निकालना चाहते हैं । आप सरकार को निर्देश दें कि यह सवाल स्थगित किया जाता है , तीन दिन या चार दिन के अन्दर इसका उत्तर पुनः दें । तैयारी है नहीं ।

श्री लाल जी वर्मा-

स्पष्ट उत्तर आ गया । इसके बाद इसे स्थगित करने का क्या सवाल है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

गन्ना ज्यादा पैदा हो गया, चीनी ज्यादा बन गयी तो क्या इसमें किसानों ने कोई अपराध किया है ? उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। सबसे अच्छी पिछली सरकार की गन्ना नीति थी। जिसके चलते भुगतान तुरन्त करने की बात कही गयी और यह भी था कि भुगतान नहीं करोगे तो जो सुविधायें दी गयीं हैं वह समाप्त होंगी। उसमें वह सब तुरन्त भुगतान हो गया। 1966 से लेकर जितना बकाया था वह दिलाया गया। अब फिर बकाया हो गया है। इतना टालमटोल कर रहे है स्पष्ट जवाब देने में। हम चाहते है कि सवाल की तैयारी करके आये पूछकर आए कि क्या कहना है क्योकि उनकी मर्जी के बिना उनसे पूछे बिना कह नही सकते। अब तो आप अनुभवी हो गये है। हमारे साथ में रहे। हम रहम करते है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसा उत्तर नही दिया जाता है। यह किसानों से सम्बन्धित है। किसानों की उपेक्षा इस तरह से नहीं की जा सकती है। तमाम यहां पर लीडर बैठे हुए हैं माननीय नरेश अग्रवाल जी हैं, हुकुम सिंह जी है। प्रमोद जी हैं, अब सीधा उत्तर आ जाये हां या नहीं में। अगर नहीं कह सकते हैं तो सवाल को स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपने संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को रखा कि जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है मैं उसका अनुपालन करूंगा वह बढा हुआ पीरियड है वह आ गया। उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की बात कही।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, वह उनसे कहलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हुए हैं उसका अनुपालन होगा।

श्री लाल जी वर्मा -

मान्यवर, यह सरकार किसानो के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कटिबद्ध है। इसमें 31 अगस्त, 2007 तक के लिए समय दिया गया है यह चरणबद्ध तरीके से कर सकते हैं। बीच में चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने के लिए निर्देश दिया जा चुका है, चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जा रहा है। अब 31 अगस्त अन्तिम तिथि उसमें निर्धारित की गयी है। साथ ही साथ मैंने इस बात को स्पष्ट किया है कि नियमानुसार जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी उसको और दूसरे न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

15 दिन के बाद ब्याज देंगे कि नहीं मान्यवर, यह स्पष्ट हो जाये कि क्या नियम में 15 दिन की बाध्यता है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करूंगा, उसकी परिधि में जो भी निर्देश होंगे, नियमानुसार उनको दिखलवा लूँगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 31 अगस्त तक चरणबद्ध रूप से भुगतान किया जायेगा। अभी जो चरणबद्ध भुगतान किया जायेगा तो 15 दिन के बाद वाला भी उसमें भुगतान किया जायेगा। आपने कहा कि 31 अगस्त से पहले भुगतान किया जायेगा। क्या उसके भुगतान के ऊपर ब्याज जोड़कर भुगतान किया जायेगा या बिना ब्याज के भुगतान किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी एक सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट रुप से किया कि जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं 15 दिन के बाद जिन किसानों का बकाया होगा उनको सूद के साथ भुगतान होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन भी होगा और साथ ही साथ नियमों की परिधि में जो भी आयेगा उसके अनुसार कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि भुगतान 31 अगस्त से पहले करवा दूंगा। इससे मैं समझता हूं कि स्थिति स्पष्ट हो गयी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हुकुम सिंह जी को पुकारा उन्होंने प्रश्न रखा और प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं अब प्रश्न स्थगित करने के लिए दूसरा क्या आधार हो सकता है ? आपकी आज्ञा से प्रश्न किया और उसका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं अब उसके बाद भी आप प्रश्न स्थगित नहीं करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, आप वरिष्ठ सदस्य हैं माननीय मंत्री जी को मैं बाध्य तो नहीं कर सकता।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय हुकुम सिंह जी ने प्रश्न पूछा और प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं और आप उसको स्थगित नहीं कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा है या तो इसका स्पष्ट उत्तर दिलायें या इसको स्थगित करें और जिस दिन ये तैयार होकर आयें, उस दिन रखें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा उसका पूर्व में उत्तर दिया जा चुका है अब दुबारा उत्तर देने का औचित्य कहां उठता है ?

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कह दिया कि नियमों के अनुसार हुआ है। आपका जो 15 दिन का कहना है वह उसमें आ गया है उनके कहने का मतलब है, दूसरा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन, वह वचनबद्धता भी कर रहे हैं कि मैं उसका अनुपालन करूंगा। यह जो 15 दिन के बाद ब्याज के भुगतान का मसला है उस पर सरकार की तरफ से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नियमों और परिस्थितियों के अनुसार उसको देखेंगे तब किस लिये चौधरी साहब आप इसको कह रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के आप संरक्षक हैं प्रश्नकाल में प्रश्नों के बारे में संरक्षण नहीं करेंगे ? मेरा सीधा प्रश्न है कि 15 दिन से अधिक बकाये पर ब्याज देंगे या नहीं देंगे अभी तक उसका उत्तर नहीं आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, क्या उत्तर आया दिखवा लें। उसका उत्तर आना चाहिए 'देंगे' इसका उत्तर आना चाहिए 'नहीं देंगे' इसका तीसरा उत्तर नहीं हो सकता। इसके अलावा तीसरा उत्तर आता है तो प्रश्न संदर्भ समिति तय कर सकती है, इस दो के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। आप इसको स्थगित करिये। यह सदन की अवज्ञा है, माननीय अध्यक्ष जी स्वयं जिस प्रश्न को स्पष्ट करें और उस प्रश्न का उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं दे, इससे बड़ी अवज्ञा इस सदन की नहीं हो सकती। आप इसको गम्भीरता से देखें इससे गम्भीर और कोई बात नहीं है। इसमें प्रक्रिया सम्बन्धी जो गम्भीरता है वह है कि माननीय अध्यक्ष के स्पष्ट करने के बाद भी उसका उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। आप सरकार को संरक्षण न दें, आप हम लोगों को संरक्षण दें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

मैं सबसे ज्यादा आपका सम्मान और इज्जत कर रहा हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी, सबने एक ही चीज स्पष्ट जाननी चाही है जो सरकार ने कहा कि नियमों के अनुरूप और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप सरकार कार्यवाही करेगी यह तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार कहती है कि वह किसानों की चिन्तक है और बाध्यता है उसकी तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि 15 दिन से ऊपर भुगतान अब जितना भुगतान हुआ है सब 15 दिन से ऊपर हो गया यह कहते हैं कि चरणबद्ध तरीके से भुगतान हो रहा है तो अब तक चरणबद्ध तरीके से जितना भुगतान हुआ है उस पर 15 प्रतिशत ब्याज दिया गया है यदि नहीं दिया गया तो सरकार उस ब्याज को भी दिलवायेगी और आगे भी जितना भुगतान होगा उस पर भी 15 प्रतिशत ब्याज दिलायेगी, यह स्पष्ट कर दे सरकार ? यह स्पष्ट प्रश्न है इसमें हम कोई हेराफेरी नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं कोई हेराफेरी नहीं है, सरकार ने भी यही कहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हुआ और आपकी नजर उधर से इधर नहीं आई। आप नियम-49 देखें अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के प्रश्न पर जो सदन के हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो। मान्यवर, लोकमहत्व से इंकार नहीं हो सकता, सदन में हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो तो सदन में चल ही रहा है। सदन में आधा घण्टा चर्चा के लिए नियत कर दे। यह मैं नियम 49 में कह रहा हूं। मैं आग्रह करूंगा विषय महत्वपूर्ण है।

एक प्रश्न उठ गया है। मैं समझ सकता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी को, यह उनका विषय नहीं है। इसके लिये विभागीय मंत्री जी की आवश्यकता ज्यादा बेहतर दिखती है। तो नियम-49 में मैं लिखकर भेज दे रहा हूं। इसके महत्व को देखते हुये, अगर आप आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें तो उस दिन हम लोग भी अपनी बात कह लें और उस दिन सरकार का भी उत्तर आ जाय।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक चर्चा का सवाल है, विभाग की अनुदान मांग प्रस्तुत होगी और उसमें आपको पूरा अधिकार होगा, चर्चा करने का, इसलिये मान्यवर, अलग से चर्चा में न तो सदस्य सम्मिलित होते हैं, मैंने जो आज तक देखा है। जब नियम-49 की चर्चा का समय आता है तो सामान्य तौर पर सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं। इसलिये चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जब बजट प्रस्तुत होगा तो उसमें चर्चा का पूरा अवसर होगा। मान्यवर, यह नियमों में भी है कि अगर चर्चा का पूरा अवसर उपलब्ध है तो निश्चित रूप से उसके अनुसार उसमें सभी सम्मिलित होंगे और यह बात उसमें भी उठ सकती है। इसलिये अलग से चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग आपसे प्रश्न को स्थगित करने का अनुरोध कर रहे हैं, आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, चर्चा का कोई प्रश्न नहीं है, आप प्रश्न का उत्तर दिलवायें।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब आप जरा सा दया कर दें। अग्रवाल साहब, चौधरी साहब और तिवारी जी जैसा आपने कहा, मैं मानता हूं कि विभागीय मंत्री नहीं है। तब भी आप इस चीज पर ध्यान दें कि उन्होंने कहा कि मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 15 दिन के बाद के मय ब्याज के भुगतान करायेंगे, इस संदर्भ में इन्होंने कह दिया कि नियमों की परिधि में आ रहा है, मैं इसको भी दिखवा लूंगा, यह भी उन्होंने आश्वस्त कर दिया।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन की एक परम्परा है। नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का उत्तर नही आया है और नेता प्रतिपक्ष स्वयं इस बात को कहे है कि अगर नही तैयार है तो प्रश्न को स्थगित कर दे। अब नेता प्रतिपक्ष के कहने के बाद प्रश्न स्थगित भी नहीं हो रहा है। प्रश्न का उत्तर भी नही आ रहा है। श्रीमन् आप हमारे संरक्षक की कुर्सी पर बैठे है और अगर वह पीठ संरक्षण नही देगी और इस सदन की यह महान परम्परायें अगर टूट जायेगी, प्रश्नकाल में अगर जनता के, किसानों के प्रश्नों का उत्तर नहीं आयेगा तो इस सदन की गरिमा समाप्त हो जायेगी। मान्यवर, जिस भरोसे के साथ लोग अपने प्रतिनिधियों को यहां भेजते हैं, आप सोचिये यह केवल प्रश्न के उत्तर की बात नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर एक इतना बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इस प्रश्न का उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आप दिलवायें। श्रीमन् सैकड़ों बार इस पीठ से निर्देश हुए हैं और सरकार को, और श्रीमन् अगर आप आज निर्देश नहीं करेगें तो यह बात बहुत गंभीर होगी। हम आपसे पुनः अनुरोध करते है कि नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का, माननीय हुकुम सिंह जी के प्रश्न का सीधा उत्तर माननीय मंत्री जी दिलवा दे, अगर उत्तर नही है तो स्थगित कर दे, इससे आसान और क्या बात हो सकती है। इसमें मान अपमान जैसी कोई बात नहीं है। आप उस विभाग के मंत्री नहीं है आपके पास उत्तर नहीं है तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर उत्तर आपके पास नहीं है तो प्रश्न स्थगित कर लें हम इसको सामान्य तौर पर चलाना चाहते हैं। आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें।

श्री अध्यक्ष-

यह आपका बड़प्पन है। लेकिन एक चीज पर ध्यान करें। मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के जो भी आदेश होंगे, उनका पालन करेंगे। शेष के सन्दर्भ में जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह 15 दिन

से बढ़ रहा है, उसके लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मै उसका भी नियमों के अन्तर्गत परीक्षण कराऊंगा और देखूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय उच्च न्यायालय में कोई नया मुकदमा होने वाला हो तब न यह बात आयेगी। जब माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पहले से प्राप्त हैं तो वह निर्देश क्या हैं ? माननीय उच्च न्यायालय ने क्या ब्याज देने को मना किया है ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा तो पालन करेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया, कोई चीज छिपाया नहीं। मैंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय या नियमों के अनुसार जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, उसे किया जायेगा मान्यवर, अब इसके बाद अलग से उत्तर की क्या आवश्यकता है ? मैंने यह भी बता दिया कि कितना बकाया है, कितना भुगतान किया गया है, यह भी बता दिया इसके बाद इस प्रश्न को स्थगित करने का सवाल कहां से पैदा होता है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

15 दिन से अधिक नियमों में प्राविधान है, क्या आपने भुगतान किया ब्याज का ? माननीय अध्यक्ष जी, 15 दिन से अधिक बकाये पर ब्याज देने का प्राविधान है तो मान्यवर, जो अभी तक बकाये का भुगतान किया गया है क्या उसमें ब्याज दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, माननीय गौरी शंकर जी, कृपया बैठ जाएं, एक ही प्रश्न में बड़ा समय लग गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के किसानों से जुड़ा सवाल है और अगर इस प्रकार का जवाब आयेगा तो यह उचित नहीं होगा। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि ब्याज सहित भुगतान करेंगे या नहीं, और इसका जवाब माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, जो भुगतान किया गया है, वह ब्याज सहित किया गया है या नहीं, इसका स्पष्ट जवाब दें ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अभी तक जो भुगतान हुआ है, उसमें ब्याज सम्मिलित नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, आपने उत्तर दे दिया कि वह नियमों का पालन करेंगे, उच्च न्यायालय के नियमों का पालन करेंगे तो मै जानना चाहता हूं कि अभी तक जो भुगतान हो रहा है, उसमें ब्याज

सहित भुगतान कराया जा रहा है या नहीं, इसका उत्तर सरकार नहीं दे रही है। मान्यवर, अभी तक की यह परम्परा रही है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष जब कोई बात कह देते हैं तो उसका पालन किया जाता रहा है लेकिन मान्यवर, सरकार उत्तर ही नहीं दे रही है। मान्यवर, आप उत्तर दे रहे हैं तो हम आपसे उत्तर नहीं मांग रहे हैं। इस प्रश्न से सम्बन्धित अब तीन बातें हो सकती हैं और तीनों नहीं हो रही हैं, न स्थगित किया जायगा, न भुगतान के बारे में स्पष्ट किया जायगा और जैसा कि आपने व्याख्या कर दी कि नियमों के तहत और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा, तो मान्यवर, अभी तक जो भुगतान हुआ है क्या उस भुगतान में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जवाब में क्या बाकी रह गया है ? स्पष्ट जवाब दे दिया गया है कि भुगतान किया जाएगा और इसके लिए स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं, जिन्होंने अभी तक इस बात का आश्वासन नहीं दिया है, उनके खिलाफ आर0सी0 भी जारी कर दी गयी है, कितना बकाया है यह भी बता दिया गया है, माननीय सदस्यों ने जानना चाहा कि भुगतान में ब्याज सम्मिलित है या नहीं उसमें भी मैंने कह दिया कि ब्याज सम्मिलित नहीं है। तो मान्यवर, अब कौन से नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कौन सी परम्पराओं का उल्लंघन हो रहा है?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उच्च न्यायालय का हवाला दिया गया है और अन्त में स्वीकार कर लिया गया कि ब्याज नहीं दिया गया है लेकिन मान्यवर, नियमों में ब्याज का प्राविधान है और उन प्राविधानों के अनुसार सरकार ब्याज नहीं देना चाहती है।

(श्री अम्बिका चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों ने अपने आसन पर खड़े होकर किसान विरोधी सरकार के नारे लगाये।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करिये। माननीय गन्ना मंत्री जी आ गये हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो बकाया गन्ना मूल्य है, सरकार सीधे-सीधे 15 प्रतिशत ब्याज जोड़कर भुगतान करे और जो भुगतान हो गया है उसका भी ब्याज दे। मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करिये। किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान पर ब्याज देने का नियम है और उसका पालन करना होगा तथा ब्याज भी देना पड़ेगा। आप सरकार से घोषणा करवायें। आप इस सदन के संरक्षक के साथ ही प्रदेश के किसानों के भी संरक्षक हैं। किसानों का रुपया मिल मालिकों की मिली भगत से लूटा जा रहा है, मिल-मालिकों से मिलकर हेराफेरी करके किसानों के बकाये पर ब्याज का भुगतान नहीं करना चाहती है। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो भुगतान किया गया है उसमें ब्याज सम्मिलित नहीं है। मान्यवर, गन्ना मंत्री सदन में हैं, आप उन्हें आदेशित करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपसे विनती है, महाना जी भी खड़े हुए हैं, इसके अलावा भी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके प्रयास के बावजूद इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया। इधर से भी नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा का सुझाव आया, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि इसे स्थगित कर दें परन्तु इस प्रश्न पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

श्री अध्यक्ष-

40 मिनट का समय केवल इसी प्रश्न में लग गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप आगे बढ़िये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं, अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन नहीं, नियमों का अनुपालन नहीं। यह सरकार गन्ना मूल्य के बकाये का ब्याज देने से बच रही है। ऐसी स्थिति में इससे गम्भीर कोई स्थिति नहीं हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, पुनः आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सरकार को स्पष्ट आदेशित करे कि जो नियम है उस नियम के अनुसार गन्ना मूल्य के बकाया और उस पर ब्याज का भुगतान नियमानुसार कितने दिनो में कर देगे? एक निश्चित तिथि बता दे कि कल, परसों या कब तक ? इसके साथ ही जितना भुगतान हो चुका है उस पर ब्याज दिलाये। आपके सामने पूरी स्थिति स्पष्ट हो गयी है। अपने संरक्षक से संसदीय परम्पराओं के अंतगर्त बार-बार गुहार कर रहा हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बड़ी देर से खड़ा हूँ। मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है लेकिन इसके अलावा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित था उससे अधिक समय बीत चुका है इसमें आपको जो भी निर्णय लेना है वह लें स्थगित करना है तो स्थगित करिये, चर्चा करवानी है तो कोई समय निर्धारित कर दीजिए लेकिन एक ही प्रश्न अनिश्चितकाल तक नहीं लिया जा सकता, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न पर 40 मिनट हो चुका है!

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर दिलवायें, ब्याज देंगे या नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता कि आपके अनुरूप जवाब दे दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहें तो प्रश्न काल का क्या होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, आप गन्ना मंत्री जी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। यह आपका अधिकार है कि यहां से निर्देशित करें कि यह सवाल स्थगित किया जाता है और पूरी तैयारी के साथ अमुक दिन आप इसका जवाब दें। मजबूर कौन कर रहा है, आप तो उनको मौका दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप गलत न समझें, मजबूर नहीं किया जा रहा है।

इसीलिये यह रास्ता निकाला गया कि ऐसे प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। प्रश्न को स्थगित करने का आपको अधिकार है।

श्री लाल जी वर्मा-

जितने भी प्रश्न आए सबका जवाब दिया जा चुका है। क्या जवाब देना है यह न आपको और न सदस्य को अधिकार मिला है कि हम जवाब क्या देंगे ? इस विषय में जितने प्रश्न आए हैं उन सबका जवाब हम दे चुके हैं। जवाब क्या होगा यह तो सरकार निश्चित रूप से नियमों के अनुसार तय करती है। माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित जितने सदस्यों ने इस विषय पर प्रश्न किए सबका जवाब दिया जा चुका है। कितना बकाया है इसका जवाब दिया जा चुका है। भुगतान कराए जाने के सम्बन्ध में बता दिया कि तीन मिलों के खिलाफ आर0सी0 जारी की जा चुकी है। यह भी बता दिया कि अभी तक जो भुगतान किया गया उसमें ब्याज सम्मिलित नहीं है। इसके बाद कौन सा प्रश्न रह गया जिसका जवाब दिया जाना है। इस पर काफी समय हो चुका है मैं यह कहना चाहूंगा कि दूसरे प्रश्न की भी आवश्यकता है और महत्व है इसलिए उनको लेने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने अपने जवाब में एक नई बात कही उन्होंने आपको चैलेंज किया कि आपको अधिकार नहीं है। पीठ के क्या अधिकार हैं, क्या अधिकार नहीं है संसदीय कार्य मंत्री जी सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं पीठ का सम्मान भी भूल गए, परम्पराएं भी भूल गए हैं अतः पीठ के अपने सम्मान को स्वयं अक्षुण्ण रखने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। श्रीमन् मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रश्न अगर गन्ना का पूछा जाए और उत्तर एल्कोहल को बताया जाय, प्रश्न जूते का पूछा जाय उत्तर कपड़े का दिया जाय तो पीठ हस्तक्षेप कर सकती है। प्रश्न का जो स्वाभाविक उत्तर हो वही होना चाहिए। उनसे पूछा गया कि बकाए का जो ब्याज देना था वह दिया गया कि नहीं। अगर मंत्री जी स्पष्ट उत्तर न दें तो प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए।

श्री लाल जी वर्मा-

जहां तक पीठ के सम्मान की बात है बहुजन समाज पार्टी की सरकार और मैं पीठ के प्रति पूरा सम्मान और आदर रखते हैं। मैंने यहीं पर देखा है कि सदस्य जो आज बोल रहे हैं

उनकी जब सरकार थी तो पीठ को किस तरह से अपमानित किया गया यह हमने यहीं देखा है। यह सरकार पीठ के प्रति पूरा सम्मान करती है। इस तरह का कोई आरोप लगाना निश्चित रूप से गलत है।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने सीधी धमकी दी है और जो आक्षेप आपने लगाया यह आप पर लागू होता है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जहां तक मैं समझता हूं जो प्रश्न किए जाते हैं वह सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब हम देते हैं लेकिन कोई सदस्य यह चाहे कि आप इस तरह से जवाब दीजिए तो यह सम्भव नहीं है। जहां तक गन्ना किसानों के ब्याज के भुगतान का सवाल है जिस दिन नियम 56 में ग्राह्यता पर आपने सूचना सुनी थी उसी समय मैंने स्पष्ट कहा था इस समय सदन के वरिष्ठ सदस्य ओम प्रकाश सिंह नहीं है मंत्री भी रहे हैं उन्होंने कहा था कि क्या 14 प्रतिशत ब्याज देंगे नियमों के अनुकूल मैंने उसी समय कहा था जिनकी आर0सी0 जारी हो गई है उनको 14 नहीं, हम 15 प्रतिशत ब्याज देंगे।

और मैं फिर कहता हूं कि जिन मिलों को आर0सी0 जारी की गई है उनको 15 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करना अनिवार्य होगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

लेकिन जिनकी आर0सी0 जारी नहीं हुई है उसका क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत बात हो गई है। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय गन्ना मंत्री दोनों लोगों ने सदन को गुमराह किया है। गन्ना किसानों के सवाल पर जो उपेक्षात्मक रवैया है सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष पीठ का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सरकार के इस रवैये के खिलाफ हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री अम्बिका चौधरी समाजवादी पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

तारांकित प्रश्न

सचिवालय में वेतनमान रु0 12000-16000 तथा इससे अधिक वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों की मोबाइल फोन सुविधा की मांग

*1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय में वेतनमान रु0 12000-16000 तथा इससे अधिक वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन (बेसिक फोन) की सुविधा अनुमन्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों को बेसिक फोन के साथ-साथ कार्यहित में मोबाइल फोन की सुविधा भी दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)-

जी हां।

जी नहीं।

मितव्ययता की दृष्टि से एवं कार्यहित में न्यून सार्थकता को देखते हुए मोबाइल फोन दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है उससे जुड़ा एक प्रश्न मैं यह कहना चाहता हूं कि निजी सचिव सम्वर्ग के समकक्ष वेतनमान के जो अन्य अधिकारी हैं उन्हें सम्भवतः अभी तक आपने टेलीफोन की सुविधा नहीं दी है। जब आप वेतनमान के आधार पर निजी सचिवों को यह सुविधा दे रहें हैं तो निजी सचिव के सम्वर्ग के समकक्ष वेतनमान के जो अन्य पद हैं उनको भी लैंड लाइन टेलीफोन देने पर विचार करेंगे ?

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय सदस्य अपना प्रश्न फिर से दोहरा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया अपना प्रश्न फिर से स्पष्ट कर दें।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा कहना है कि आपने वेतनमान के आधार पर निजी सचिवों को टेलीफोन की सुविधा दी है क्या उसके साथ ही आप उन्हें मोबाइल की सुविधा देंगे ? आपने कहा कि नहीं। इसके लिए आपके कुछ मानक होंगे। मेरा इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि निजी सचिव के समकक्ष वेतनमान के जो अन्य लोग हैं उन्हें भी आप लैंड लाइन टेलीफोन की सुविधा प्रदान करेंगे ? मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री लाल जी वर्मा-

12000 से 16000 का कोई वेतनमान नहीं है। यह 12000 से 16500 का है। आपने कहा कि इससे अधिक वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन की सुविधा अनुमन्य है। मैंने उत्तर दे दिया जी हां। आपने कहा कि क्या सरकार उक्त अधिकारियों को [illegible]क फोन के साथ साथ कार्य हित में मोबाइल फोन की सुविधा दिये जाने पर विचार करेगी ? मैंने उत्तर दिया कि कार्य हित में न्यून सार्थकता को देखते हुए मोबाइल देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। मैं इससे जुड़ा एक प्रश्न कर रहा हूं इसमें आपको हां या ना कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ नहीं है। आपको इसकी जानकारी चाहिए तो इसके लिए अलग से दूसरा प्रश्न लगा लीजिएगा।

प्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले विकलांग युवकों को रोजगार देने की योजना

*2-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले विकलांग युवकों को रोजगार देने की कोई योजना है ? यदि हां तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

जी हां।

1-राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना संचालित की जा रही है।

2-राजकीय सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए 03 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान भी किया गया है।

3-विकलांग व्यक्तियों को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु 7 विभागीय कौशल विकास केन्द्र भी संचालित किए जा रहे हैं।

4-प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों में विकलांग जन को पी0सी0ओ0 स्थापित करने के लिए निःशुल्क स्थान आवंटित करने की सुविधा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर में चीनी एवं पेपर मिलों द्वारा शोधन संयंत्र न लगा करके प्रदूषित जल कृष्णा नदी में डाले जाने एवं उद्योगपतियों के विरुद्ध कथित शिकायत

*3-श्री हुकुम सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर में चीनी मिलों, पेपर मिलों द्वारा जल शोधन संयंत्र न लगा करके प्रदूषित जल सीधे कृष्णा नदी में डाला जा रहा है जिसके कारण नदी का पानी पूर्णतः विषैला हो चुका है ? यदि हां, तो सरकार दोषी उद्योगपतियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नकुल दूबे)-

जी नहीं, जनपद मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर में कृष्णा नदी के क्षेत्र में 2 आसवनी, 3 चीनी, 3 एग्रो वेस्ड पेपर मिल, 1 वेस्ट पेपर मिल तथा 1 डेरी उद्योग अवस्थित है। इन सभी औद्योगिक इकाइयों में आवश्यक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है।

उपरोक्त उद्योगों का समय-समय पर उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है और यदि स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र सुचारु रूप से संचालित होते हुए नहीं पाये जाते हैं तो ऐसी दशा में सम्बन्धित उद्योगों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न सुझावात्मक है। मैं इसमें व्यवस्था चाहता हूं मेरे क्षेत्र में लाखों आदमी इससे प्रभावित हैं, पशु प्रभावित हैं। कल मैं क्षेत्र में गया था वहां नदी के पास खड़े होने का साहस नहीं कर सकते हैं। मैंने नीति के बारे में नहीं पूछा है। मैंने कहा, इस स्थिति का कारण क्या है ? इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इसमें आप जांच कराएं और दोषी उद्योगपतियों के खिलाफ जांच करायें। आपने नियम बता दिया। आपने कहा-'उपरोक्त उद्योगों का समय-समय पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है और यदि स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र सुचारु रूप से संचालित होते हुए नहीं पाये जाते हैं तो ऐसी दशा में सम्बन्धित उद्योगों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाती है।' मेरा निवेदन है यह तो सबको पता है। मैं केवल इतना चाह रहा हूं और आपका संरक्षण चाह रहा हूं माननीय मंत्री जी युवा हैं और एडवोकेट भी हैं और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि वहां के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आप किसी समिति का गठन कर दें जो 15 दिन में निरीक्षण के बाद में, परीक्षण करने के बाद में रिपोर्ट आपको दे दे। अगर आप संयुक्त रूप से संतुष्ट हो जाएं, जिलाधिकारी भी संतुष्ट हो जाएं तो मुझे कुछ कहना नहीं है। केवल इतना कहना चाहता हूं। क्या यह संभव है कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में जिसमें सी0एम0ओ0 भी एक सदस्य हों और भी अधिकारी हो सकते हैं वह जाकर परीक्षण कर लें। पानी का परीक्षण करा लें। उद्योगों का परीक्षण करा लें जिसमें आप कहते हैं कि शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं स्थापित तो इसलिए हैं कि आपसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। संचालित रहें स्थापित होने में और संचालित होने में बड़ा अंतर है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि नहीं है। मान्यवर एक इकाई तो ऐसी है जो पूर्ववर्ती सरकार थी बहुत बड़ा चीनी मिल लगा है। वह इतना महत्वपूर्ण चीनी मिल है सारी चीनी की व्यवस्था करता था। आज उसके लगने के चार साल बाद में स्थिति बहुत बिगड़ी है। पानी को हाथ लगाना संभव नहीं है। इसमें मुझसे भी कुछ पाप हुआ कि मैंने वहां कुछ बंधे लगवाये हैं ताकि पानी का जलस्तर ऊपर आ जाए। आज सारे के सारे नलों में पानी प्रदूषित है। मेरा आग्रह है बहुत छोटी सी बात मैं चाह रहा हूं कि जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए। सी0एम0ओ0 उसके सदस्य हों आप संतुष्ट हों तो सदन को बता दें।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कृष्णा नवादा ब्लाक बलिया खेडी जनपद सहारनपुर है। सहारनपुर में जो मेसर्स यू0पी0कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि0 ननौता इकाई सहारनपुर है इसको बन्द करने के लिए दिनांक 16 मार्च 2007 को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत बंदी के आदेश निर्गत कर दिए हैं। उद्योगों द्वारा बायो कम्पोस्टिंग कार्य में कराए गए सुधार के दृष्टिगत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या दि0 4 मई, 2007 द्वारा तीन माह की समयावधि हेतु सशर्त निलम्बित किया गया है। अन्य मिलों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल ननौता, सहारनपुर है वह दिनांक 12 मई, 2007

से बंद है। इसी तरह से मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि0 थाना भवन मुजफ्फरनगर है यह 22 अप्रैल 2007 से बंद है। मेसर्स अपर दोआब शुगर मिल्स लि0 शामली मुजफ्फरनगर 22 मई से बंद है। चूंकि मान्यवर, कृष्णा नदी का प्राकृतिक उद्गम नहीं है यह वहीं के जल के माध्यम से निकलती है। बाद में जाकर हिंडन नदी से जुड़ जाती है। वैसे हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार नजर रखे है। जो भी उद्योग मुजफ्फरनगर में बहने वाली कृष्णा नदी पर, जो भी कम्पनियां या जो भी उद्योग वहां प्रदूषण फैलाते नजर आएंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री हुकुम सिंह-

यह जनहित की बात है इसको आपने स्वीकार किया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस इकाई को बंद कराया है। जो चीनी मिलों के बारे में आपने कहा है कि वह बंद हैं तो वह आपकी वजह से बंद नहीं हैं वह तो सीजन की वजह से बंद हुई हैं। सीजन होगा तो फिर चलेंगी और फिर प्रदूषण होगा। मिलें इस समय बंद हैं, लेकिन वह आपकी वजह से नहीं बंद हैं।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, जब चलेंगी, तब देखेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं इतना चाह रहा हूं कि उन इकाइयों के बन्द होने के बावजूद उस नदी का जल इतना प्रदूषित है कि जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर है, वह भी प्रदूषित हो रहा है। आसपास जो नल लगे हैं उनमें प्रदूषित पानी आ रहा है और इसके कारण वहां कैंसर एक महामारी के रूप में फैल रहा है। आप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दें, मैं नहीं कहता कि आप विधायकों की कमेटी बनायें। उस कमेटी में सी0एम0ओ0 भी हों और उस कमेटी की रिपार्ट सरकार के पास आ जाए फिर मंत्री जी उसकी जानकारी दे दें कि पानी की स्थिति क्या है और यदि पानी की स्थिति यह है तो उसकी रोकथाम करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

सभी मिलें बंद हो चुकी हैं इसलिए ट्रीटमेंट प्लान्ट चलाने की इस समय आवश्यकता नहीं है। मा0 हुकुम सिंह जी जो जानकारी दे रहे हैं, वैसे मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सब मिलें बन्द हैं इसलिए ट्रीटमेंट प्लान्ट चलाने का कोई औचित्य इस समय नहीं है। मा0 सदस्य ने बताया कि वहां के पानी में बदबू आ रही है, मंत्री जी स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, इकाइयां तो इसलिए बन्द हैं कि उसका सीजन खत्म हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी वहां का पानी प्रदूषित है। मैं वहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते कह रहा हूं कि पानी प्रदूषित है। मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण कर दिया जाए, सी0एम0ओ0 उसके सदस्य हों, वह पानी का नमूना ले लें और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी इसको दिखवा लें।

श्री नकुल दुबे-

अध्यक्ष जी, वैसे तो मैंने मा0 सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे दिया है, फिर भी कुछ कमियां मेरे उत्तर में हों तो मा0 सदस्य महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि वह विस्तृत रूप में लिखित रूप में दे दें।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का यह महत्व है ? मैं कह रहा हूं कि जनजीवन के हित में आप इतना ही कर दें, आप जिलाधिकारी की रिपोर्ट मंगा लें।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने एक सदस्य के रूप में जानकारी दी। यह मा0 हुकुम सिंह जी के क्षेत्र का मसला है, मंत्री जी उसको दिखवा लें।

गोरखपुर में मई, 2007 को हुए सीरियल बम विस्फोट के दोषी को पकड़ने व संवेदनशील जिले चिन्हित कर दुःखद घटनाओं को रोकने हेतु कार्य योजना

*4-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 2007 में गोरखपुर में हुए सीरियल बम विस्फोट के दोषी अपराधी पकड़े गये हैं ? इस घटना को देखते हुए राज्य के और कौन से जिले संवेदनशील चिन्हित किये गये हैं तथा इस प्रकार की दुःखद घटनाओं की रोक-थाम हेतु सरकार ने क्या कोई कार्य-योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी नहीं ?

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में आई0एस0आई0 एवं उसके पोषित आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों के दृष्टिकोण से मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, श्रावस्ती, बस्ती, फैजाबाद, गोण्डा, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, गौतम बुद्धनगर, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, मऊ, जे0पी0 नगर, बागपत, महामाया नगर कुल 34 जनपदों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है।

जी हां। प्रदेश के कुल 38 जनपदों में 39 विशेष कोष्ठ इकाइयों का गठन किया गया है जिनके द्वारा आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी दृष्टि रखी जा रही है तथा आतंकवादियों की विध्वंसात्मक/राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की योजनाओं की आसूचना प्राप्त होने पर तत्काल सभी सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अभिसूचना संकलन हेतु 13 नेपाल बार्डर (एन0बी0) इकाई भी स्थापित है। शासन द्वारा चिन्हित

34 संवेदनशील जनपदों में जनपद स्तर पर त्रैमासिक गोष्ठी जिसमें जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना एवं आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि को सम्मिलित होना है आयोजित किये जाने तथा मण्डल स्तर पर षट मासिक गोष्ठी जिसमें मण्डलायुक्त एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, (क्षेत्रीय) अभिसूचना एवं आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि को सम्मिलित होना है आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये है। आतंकवादियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों, संगठित अपराधिक गैंगों एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध स्पेशल टास्क फोर्स तथा उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय सीमा फोर्स द्वारा भी कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा की निगरानी हेतु सशस्त्र सुरक्षा बल की नियुक्ति की गयी है। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर इस बल की 102 चौकियां स्थापित हैं तथा यह भारत नेपाल सीमा पर लीड इन्टेलीजेन्स एजेन्सी के रूप में कार्य करती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देवराय चौधरी-

मान्यवर, पूरे उत्तर से यह स्पष्ट है कि प्रदेश के 72 जिलों में से लगभग 50 प्रति... जिले आतंकवादियों के निशाने पर हैं और संवेदनशील चिन्हित हो चुके हैं और आगे उत्तर में बताया गया है कि उनकी रोकथाम के लिए सरकार ने समय-समय पर क्या व्यवस्था की है ? लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद सतर्कतामूलक जो व्यवस्थाएं हो सकती है। उसके बावजूद चाहे संकट मोचन मंदिर हो, चाहे कैंट स्टेशन हो चाहे, श्रमजीवी विस्फोट की घटना हो, यह घटनाएं लगातार हो रही है। और आगे भी होने की सम्भावना बनी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो अभिसूचना और आसूचना इकाई का गठन किया है। तमाम बैठकें होती हैं। अभी भी देखने में आया है कि अभिसूचना और आसूचना तंत्र किसी भी घटना के घटने की पूर्व सूचना देने में नाकाम रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आप अभिसूचना और आसूचना तंत्र की पूर्व सूचना पर अब तक इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त कितने लोगों को पकड़ने में सक्षम हुए है। अगर पकड़े हैं तो कितने गिरफ्तार हुए हैं और उन्हें क्या सजा दी जा चुकी है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि इस तरह की जो इकाइयां हैं उनके द्वारा ऐसे कितने लोगों को पकड़ा गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आतंकवादी गतिविधियों से प्रदेश और देश को बचाने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं और इसमें आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार की एजेसियों का भी सहयोग लिया जाता है। मान्यवर, दिनांक 21-06-07 को एस0टी0एफ0 द्वारा लखनऊ में हरकत उल जेहाद अल इस्लाम (हूजी) आतंकवादी संगठन के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद याकूब उर्फ

शाकिर उर्फ लम्बू दूसरे नासिर उर्फ शाकिर इन आतंकवादियों के पास से आर0डी0एक्स और डेटोनेटर एप्रोवाइज्ड तमाम इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में प्रयोग होने वाली सामग्री प्राप्त हुई है। इसी तरह से 23-8-2007 को एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार किये गये हूजी के दो आतंकवादी जलालउद्दीन अमन उल्ला मण्डल उर्फ बाबू पुत्र अब्दुल रसीद निवासी भिलपाड़ा थाना जायनगर माजीपुर 24 परगना दक्षिण एवं नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर पुत्र सती निवासी चन्द उदयपुर थाना बड़ापुर जनपद बिजनौर से की गयी पूछताछ के आधार पर पश्चिम बंगाल के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। यानि कुल मिलाकर इस तरह से एस0टी0एफ0 ने 6 व्यक्तियों को और कलकत्ता पुलिस की मदद से तीन व्यक्तियों को, कुल 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से इन एजेन्सियों के सतत् प्रयास से काफी हद तक रोक लगी है। इसके तहत 9 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जिन घटनाओं का उल्लेख किया उसमें अभिसूचना और सूचना का जो तंत्र है उसकी विफलता के कारण घटना को अंजाम देने में लोगों को सफलता मिली। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह बनारस के मंदिर की घटना हो, या स्टेशन का बम विस्फोट कांड हो, इन सारे कांड में जनता के जान माल की क्षति हुई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है, वह लोग पकड़े गये हैं, अगर पकड़े गये हैं तो क्या उनको सजा दी गयी है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर एक घटना का जिक्र मा0 सदस्य द्वारा किया गया कि गोरखपुर में हुए सीरियल विस्फोट कांड में दोषी अपराधी पकड़े गये और पूछने लगे उससे अन्य तमाम प्रश्न, तो निश्चित रूप से इस घटना की जानकारी प्राप्त करनी होगी। मैंने प्रश्न के सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर दिया कि अभी पकड़े नहीं गये हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न गोरखपुर कांड के ऊपर दिया था और सरकार ने उत्तर भी दिया। उसी उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो घटनाएं हुई हैं, बनारस में या अन्य जगहों पर, उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है, वह पकड़े गये हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि वह पकड़े नहीं गये हैं। दूसरा, उन्होंने चार-पांच प्रतिबंधित संगठनों का उल्लेख किया कि 9 लोग इसके पकड़े गये। उन्होंने कहा कि हमारा तंत्र काम कर रहा है। उत्तर स्पष्ट आ गया है। आप बैठ जायें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मुझे संरक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बैठ रहा हूं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के मुख्य भवन में दुपहिया वाहनों की पार्किंग हेतु योजना

*5-श्री कादिर राणा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय के मुख्य भवन में स्टेट बैंक के सामने दो पहिया वाहनों के पार्किंग के लिये जगह कम होने से विधायकों, आम आदमियों एवं सरकारी कर्मचारियों को काफी असुविधा होती है तथा वाहनों को निकालते एवं रखते समय वाहनों को क्षति भी पहुंचती है ? क्या सचिवालय परिसर में इतने निकट बड़ी संख्या में वाहनों की पार्किंग सचिवालय भवन तथा विधान भवन के लिये सुरक्षित निर्णय है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दो पहिया वाहनों की संख्या को देखते हुए विधान भवन के बाहर उपयुक्त स्थान पर उनके उचित पार्किंग व्यवस्था हेतु भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

वर्तमान समय में दुपहिया वाहनों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए सचिवालय के मुख्य भवन में स्टेट बैंक के सामने स्थित पार्किंग में समस्त वाहनों को खड़ा करने हेतु अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है।

सचिवालय परिसर के नवीन भवन टेनिस लान स्थित वर्तमान पार्किंग स्थल पर भूमिगत बहुमंजिला पार्किंग निर्मित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

उ0 प्र0 में आई0एस0आई0 एवं आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित जिलों व आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु विशेष कार्य योजना

*6-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में कितने जिले आई0एस0आई0 एवं आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं ? क्या सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

उत्तर प्रदेश के 34 जिले आई0एस0आई0एवं उसके द्वारा पोषित आतंकवादी गतिविधियों के दृष्टिकोण से संवेदनशील माने गये हैं।

प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना बनाई गयी है :-

1. आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने हेतु अभिसूचना विभाग के मुख्यालय तथा संवेदनशील जनपदों में 39 विशेष कोष्ठ इकाइयों का गठन किया गया है तथा 13 नेपाल बार्डर इकाइयों की स्थापना की गयी है।
2. आतंकवादी गतिविधियों के संवेदनशील 34 जनपदों में जिला स्तर पर त्रैमासिक तथा मण्डल स्तर पर छमाही समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

3. आतंकवादी घटनाओं को रोकने हेतु स्पेशल टास्क फोर्स एवं उ0प्र0 अन्तर्राज्यीय सीमा फोर्स भी कार्यरत है।

4. उ0प्र नेपाल सीमा की निगरानी हेतु एस0एस0बी0 (सशस्त्र सुरक्षा बल) की नियुक्ति की गयी है तथा इसकी 102 चौकियां स्थापित हैं एवं यह भारत नेपाल सीमा पर लीड इण्टेलीजेंस के रूप में कार्य करती है।

इसके अतिरिक्त आतंकवाद को रोकने हेतु चेकिंग/सघन चेकिंग करायी जाती है। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाता है तथा सतर्क दृष्टि रखी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण ने सदन में पुनः वापस आकर अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लिया)

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि यह बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है और उत्तर प्रदेश के 34 जिले आई0एस0आई0 एवं उसके द्वारा पोषित आतंकवादी गतिविधियों के दृष्टिकोण से संवेदनशील माने गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रथम दृष्टया किस वर्ष में यह चिन्हित किया गया और उस समय से अब तक आतंकवाद प्रभावित जिलों की संख्या बढ़ी है या घटी है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, उसके लिए मुझे सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि इसके लिए मुझे सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में कितने आतंकवादी चिन्हित किये गये ? कितने फरार हुए ? और कितने पकड़े गये ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, यह प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर आप ज्यादा प्रश्न न पूछें तो बेहतर होगा। अब आप बैठ जायें, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में पेयजल की समस्या के समाधान की मांग

*7-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में पेयजल की अभूतपूर्व समस्या उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो सरकार उक्त समस्या का कोई समाधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। ग्रीष्म ऋतु में जल की मांग बढ़ जाने तथा नलकूपों का श्राव कम हो जाने के कारण कालोनी के अन्तिम छोर एवं ऊंचाई के क्षेत्रों में कुछ दिनों के लिए पेयजल समस्या होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपनी विधान सभा क्षेत्र के गम्भीर पेय जल संकट की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर बड़ी ही निर्ममता के साथ माननीय मंत्री जी ने दिया है, जी नहीं। यानी हमारे क्षेत्र में पानी का कोई संकट नहीं है। जबकि लगभग दो माह से सारी इलेक्ट्रानिक मीडिया यह छाप रही है कि राजाजीपुरम में ए, बी, सी, डी, ब्लाक के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया इसी गम्भीर पेयजल संकट को लेकर के। मान्यवर पूरे क्षेत्र में पानी का गम्भीर संकट है और माननीय मंत्री जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे दिया कि जी नहीं। मेरा सीधा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकरी देंगे कि इस सदन में वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 में दो सौ हैण्ड पम्प लगाये जाने की जो बात कही गयी थी, उसको कब तक लगवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्रीवास्तव जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया है कि ग्रीष्म ऋतु में इस तरह की कुछ समस्या आ ही जाती है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, वहां जल समस्या के समाधान के लिए हैण्ड पम्पों की जरूरत है। माननीय मंत्री जी को इस पर स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने आपका सम्मान कर दिया है। इसमें कहा है कि ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी प्राब्लम हो जाती है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी, आप बैठिये, बाद में बात हो जायेगी। अभी बैठिये।

(अनुपूरक उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव सदन का बहिर्गमन कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपदों में कार्यरत थानाध्यक्षों, उप निरीक्षकों, प्रधान आरक्षी (दीवानों) एवं सिपाहियों के स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्धारण

*8-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपदों में कार्यरत थानाध्यक्षों, उप निरीक्षकों, प्रधान आरक्षी (दीवानों) एवं सिपाहियों के स्थानान्तरण की कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 11.7.1986 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पुलिस दल के कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल, उप निरीक्षक एवं निरीक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्धारित की गई है। इसके अनुसार-

1. किसी भी निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक को उसके गृह परिक्षेत्र में तैनात न किया जाय साथ ही साथ गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में तैनात न किया जाय।
2. किसी भी निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक को एक परिक्षेत्र में पूरे सेवाकाल में 12 वर्ष से अधिक अवधि तक नियुक्त न रखा जाय।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

3. उप निरीक्षक को एक जनपद में 6 वर्ष से अधिक नियुक्त न किया जाय तथा निरीक्षक को एक जनपद में पांच वर्ष से अधिक न रखा जाय। निरीक्षक के लिए इस अवधि में उसके उप निरीक्षक की सेवा अवधि का काल सम्मिलित होगा। यही प्रक्रिया उप निरीक्षक की सेवा अवधि के लिए भी लागू होगी। इन्हें उन जनपदों में भी नियुक्त न किया जाय जहां उनकी अचल सम्पत्ति है।
4. हेड कान्सटेबिल तथा कान्सटेबिल को अपने गृह जनपद में तथा गृह जनपद से समीपवर्ती जनपदों में तैनात न किया जाय। जिन जनपदों में उनकी अचल सम्पत्ति हो वहां भी उन्हें नियुक्त न किया जाय।
5. हेड कान्सटेबिल को एक जनपद में 10 वर्ष तथा कान्सटेबिल को एक जनपद में 15 वर्ष तक की अवधि तक ही नियुक्त रखा जा सकता है। जिसमें हेड कान्सटेबिल के विगत में उसके कान्सटेबिल की नियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की कार्य योजना

*9-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 1985 में नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जो चरणबद्ध ढंग से वर्तमान में भी जारी है।

नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण) के कार्य 1985 से उत्तर प्रदेश के 06 नगरों में किये गये तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के संतोषजनक परिणामों के देखते हुए गंगा नदी तथा इनकी मुख्य सहायक नदियों, यमुना एवं गोमती के तट पर स्थित कुल 23 नगरों में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण के कार्य प्रस्तावित किये गये, जो वर्तमान में भी जारी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन योजनान्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2006-07 में चिन्हित शहरों की जानकारी व स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी हेतु सरकार की व्यवस्था

*10-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन योजनान्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2006-07 में किन-किन शहरों को चिन्हित किया गया है ? केन्द्रीय योजना के अनुसार प्रदेश एवं स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी

सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के सात नगरों - इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ तथा मथुरा नगरों को योजनान्तर्गत चिन्हित किया गया है।

जी हां।

06 नगरों के लिए योजनान्तर्गत भारत सरकार का अंश 50 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश 20 प्रतिशत तथा स्थानीय निकायों का अंश 30 प्रतिशत है। मथुरा नगर के लिए भारत सरकार का अंश 80 प्रतिशत राज्य सरकार का 10 प्रतिशत तथा पालिका का अंश 10 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा अपने अंश की व्यवस्था आय-व्ययक में की गई है। पालिका अपना अंश स्वयं वहन करेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

मतदाता सूची को सही करवाये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली से अनुरोध किये जाने की मांग

*11-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या निर्वाचन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 2007 की मतदाता सूची की दुरुस्ती के लिये उ0प्र0 सरकार कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो क्या ? क्या मुख्य मंत्री जी मतदाता सूची को सही करवाने के लिये भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली से अनुरोध करेंगी ? यदि हां, तो कब तक?

निर्वाचन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रामहेत)-

जी नहीं।

संविधान के अनुच्छेद-324 के अधीन मतदाता सूची की दुरुस्तगी का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है।

विचाराधीन नहीं है।

शिकायतों पर यथा नियम, यथा प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

अतारांकित प्रश्न

सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों एवं समीक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के समान वेतनमान दिये जाने की कथित मांग

1-श्री अजय राय-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों एवं समीक्षा अधिकारियों के समान प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों एवं समीक्षा अधिकारियों को वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें उक्त समान वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा ?

कुमारी मायावती-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के माया नगर महल वाली रोड पर खराब स्ट्रीट लाइट ठीक कराये जाने की कथित मांग

2-श्री अजय राय-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के माया नगर महल वाली रोड पर लगे स्ट्रीट लाइट खराब हैं जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो स्ट्रीट लाइट को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। माया नगर महल वाली रोड के सभी प्रकाश बिन्दु प्रकाशित करा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के माया नगर, मोहल्ले एवं मुंशीगंज में सीवर लाइन डाले जाने की मांग

3-श्री अजय राय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के माया नगर मोहल्ले एवं मुंशीगंज में सीवर लाइन डाल दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सीवर लाइन कब तक डाल दी जायेगी ?

श्री नकुल दुबे-

माया नगर मोहल्ले में अभी तक सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। मुंशीगंज मोहल्ले में डूडा द्वारा आंशिक रूप से सीवर लाइन डाली गई है।

माया नगर/मुंशीगंज मोहल्ले सोसायटी द्वारा विकसित किये गये हैं जिसके अन्तर्गत सीवरेज व्यवस्था लागू करना सोसायटी का दायित्व था, जो नहीं किया गया।

भारत सरकार द्वारा संचालित जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के लिये सीवरेज की एक वृहद योजना तैयार की जा रही है, जिस पर सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। इन मोहल्लों के सीवर कार्य सिटी डेवलपमेन्ट प्लान में प्रस्तावित हैं। भारत सरकार से योजना अनुमोदित होने एवं धनावंटन प्राप्त होने पर उपरोक्त कार्य संभव हो सकेगा।

लखनऊ नगर के माया नगर, महल वाली रोड पर लगे हैण्ड पम्प की बोरिंग ठीक कराये जाने की कथित मांग

4-श्री अजय राय-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के माया नगर, महल वाली रोड पर मकान नं0 495/42 के सामने लगे हैण्ड पम्प की बोरिंग सही न होने के कारण गन्दा पानी (मटमैला) निकल रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

गन्दा पानी (मटमैला) आने की सूचना प्राप्त होने पर हैण्डपम्प ठीक करा दिया गया है। अब साफ पानी आ रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के इलाहाबाद महानगर में प्रस्तावित जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन योजना

5-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन योजना प्रदेश के किन-किन जिलों में चलाई जानी प्रस्तावित है ? क्या इलाहाबाद महानगर भी उसमें सम्मिलित है ? यदि हां, तो इलाहाबाद में क्या-क्या योजनायें प्रस्तावित हैं और वह कब तक पूर्ण हो जायेंगी ?

श्री नकुल दुबे-

प्रदेश के सात नगरों - इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ तथा मथुरा को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत चयनित किया गया है।

जी हां।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद की निम्नवत् योजनाएं प्रस्तावित हैं :-

1. इलाहाबाद नगर की पेयजल योजना।
2. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना।
3. मलिन बस्ती में आवास, पेय जलापूर्ति, सीवरेज, रोड पार्क, विद्युतीकरण, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट।
4. सीवरेज सिस्टम हेतु।
5. हेरिटेज एण्ड अर्बन रिन्यूवल।
    1. मेला स्थल का निर्माण एवं विकास।
    2. सजावटी एवं आकर्षक साइनेज बोर्ड
    3. प्राचीन मन्दिरों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार
    4. हेरिटेज इमारतों का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण
    5. वाटर सर्किट का विकास एवं जी0टी0 स्पीड बोट की व्यवस्था
    6. संगम - अरैल क्षेत्र में स्नानघाटों का निर्माण
    7. संगम तट पर पर्यटन विकास
    8. प्रीपेड काउन्टर्स

9. टूरिस्ट इन्फारमेशन सेन्टर एवं टाइप चार तथा टाइप दो के आवासों का निर्माण

10. यात्रा विश्राम शेड का निर्माण

11. महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर सुलभ प्रसाधन गृह (टायलेट्स) का निर्माण

12. इल्युमिनेशन आफ हेरिटेज बिल्डिंग

6. 1. पी0डी0 टण्डन पार्क का विकास एवं पार्किंग का निर्माण।

2. चन्द्रशेखर आजाद पार्क में लाइट एवं साउण्ड सिस्टम हेतु।

7. महात्मा गांधी मार्ग पर 6 लेन चौड़ीकरण का कार्य

8. स्टार्म वाटर ड्रेनेज

मिशन की कार्यावधि 7 वर्षों अर्थात 2012-13 तक निर्धारित है जिसके अन्तर्गत मिशन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूर्ण किया जाना है। लक्ष्य की पूर्ति भारत सरकार से धनावंटन प्राप्त होने पर निर्भर करेगी।

इलाहाबाद नगर निगम की होर्डिंग्स आदि लगाने की कर निर्धारण नियमावली तैयार किये जाने की मांग

6-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद नगर निगम को होर्डिंग्स आदि पर कर निर्धारण नियमावली के अभाव में विगत वर्षों से आय नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो नियमावली बनाने में शासन स्तर पर विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में नगर निगमों में होर्डिंग्स आदि लगाने की एक समान विधिसम्मत नियमावली तैयार की जा रही है। प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण करने में यद्यपि समय लगना स्वाभाविक है, तथापि इसे यथाशीघ्र प्रख्यापित करने का प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय के अनुपालन हेतु मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक - सी0एम0 247 दिनांक 21.7.06 पर कृत कार्यवाही

7-श्री श्रीपति आजाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी0एम0 247 दिनांक 21-7-06 सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

प्रश्न में उल्लिखित मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक सी0एम0 247 दिनांक 21-07-06 मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय का नहीं है। उक्त पत्रांक मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र पर चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 4 का पंजीकरण संख्या है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री अब्दुल मन्नान को पुनः फार्मेसिस्ट के पद पर नियुक्ति देने का निर्देश निदेशक, होम्योपैथी के कार्यालय ज्ञाप संख्या-रा0म0-62 (1)/71-4-06-29 (रिट)/05, दिनांक 06 जून, 2007 द्वारा दिये गये थें। निदेशक, होम्योपैथ ने आदेश संख्या-नि0हो0 234/04, दिनांक 26 जून, 2007 द्वारा सेवा से पृथकीकरण आदेश दिनांक 11-09-01 को रिकाल करते हुए पुनः सेवा में ले लिया है।

नगर पालिका परिषद् जनपद सिद्धार्थनगर के सीमा विस्तार की प्रस्तावित योजना

8-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर पालिका परिषद् सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर के सीमा विस्तार की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो सरकार नगर पालिका परिषद् सिद्धार्थनगर की सीमा का विस्तार कब तक करा देगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हाँ।

पूर्व में परिसीमन आयोग द्वारा नई प्रशासनिक ईकाइयों के सृजन एवं सीमाओं में परिवर्तन किये जाने पर रोक लगाई गयी थी, जिसके दृष्टिगत अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकी है। वर्तमान में परिसीमन आयोग द्वारा लगाई गयी उक्त रोक समाप्त हो गयी हैं। अतः सीमा विस्तार के संबंध में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर पुनः निर्धारित प्रारूप पर सूचना/प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को निर्देशित किया गया है। उक्त प्रस्ताव प्राप्त कर नगर पालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर की सीमा विस्तार के संबंध में यथा शीघ्र अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु विचाराधीन पेयजल योजना का क्रियान्वयन

9-श्री सुनील कुमार शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या के अनुरूप जलापूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो पर्याप्त जलापूर्ति करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जी हां। पर्याप्त जलापूर्ति करने हेतु यू0 आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र की पेयजल योजना बनायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत पारा रोड से जोड़ने वाले मार्ग कृष्ण पुरम से लेकर कुमार पुरम तक कच्चे मार्ग को पक्का कराया जाना

10-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत आलमनगर वार्ड के पारा रोड से जोड़ने वाले मार्ग कृष्ण पुरम से लेकर कुमार पुरम (एम0 डी0 एकेडमी स्कूल) तक कच्चे मार्ग को पक्का कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, प्रश्नगत कच्ची सड़क के निर्माण हेतु धनाक रु0 1216 लाख का आगणन नगर निगम द्वारा प्रस्तावित है।

धन उपलब्ध होने पर स्वीकृतोपरान्त कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम की सड़क कटिंग हेतु वर्ष 2006-07 में प्राप्त धन व सड़कों के निर्माण की जानकारी

11-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम को सड़क कटिंग की मद में वर्ष 2006-2007 में कितना धन प्राप्त हुआ और उससे कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम लखनऊ द्वारा वर्ष 2006-07 में सड़क कटिंग की क्षतिपूर्ति हेतु रुपये 1,17,99,162.00 (रुपया एक करोड़ सत्रह लाख निन्यानवें हजार एक सौ बासठ मात्र) की धनराशि जमा करायी गयी है। कुल 37 मार्गों का पुनः निर्माण संलग्न सूची के अनुसार कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 118-129 पर ।)

जनपद हाथरस में नागरिक पुलिस में मानक के अनुसार कांस्टेबिलों/एस0आई0 की नियुक्ति की मांग

12-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में वर्तमान समय में नागरिक पुलिस में कांस्टेबिल तथा एस0 आई0 की कुल संख्या तथा स्वीकृत संख्या क्या है ? क्या यह संख्या मानक के अनुसार पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो मानक के अनुसार कांस्टेबिलों/एस0 आई0 की नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मयावती-

जनपद हाथरस में वर्तमान समय में आरक्षी के स्वीकृत नियतन 520 के सापेक्ष 514 आरक्षी तथा उप निरीक्षक के स्वीकृत नियतन 73 के सापेक्ष 38 उप निरीक्षक तैनात है। इसके अतिरिक्त जनपद में 31 उप निरीक्षक विशेष श्रेणी के भी तैनात है।

जी नहीं।

पुलिस कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के क्षेत्र पंचायत सिकन्दराराऊ व हंसायन के अन्तर्गत कतिपय तालाबों की खुदाई के लिए आवटित धन व मानक के अनुरूप कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाना

13-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के क्षेत्र पंचायत सिकन्दराराऊ व हंसायन के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक ब्लाक को तालाबों की खुदाई के लिये वर्ष 2006-07 व 2007-08 में कितना धन आवंटित किया गया ? क्या आवंटित धन के सापेक्ष मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराकर उसका भौतिक सत्यापन करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर मानक के अनुरूप कार्य न होने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत जनपद हाथरस के क्षेत्र पंचायत सिकन्दराराऊ व हंसायन एवं ग्राम पंचायतों का वर्ष 2006-07 व 2007-08 में तालाब निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु कोई धनराशि पृथक से आवंटित नहीं की गयी है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायत सिकन्दराराऊ व हंसायन को सम्मिलित रूप से उक्त वर्षों में क्रमशः रु0 47882 लाख एवं रु0 57033 लाख अवमुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत सिकन्दरामऊ एवं हंसायन को क्रमशः रु0 78682 लाख एवं रु0 96216 लाख कार्यों हेतु अवमुक्त किये गये हैं। क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों द्वारा अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नानुसार तालाबों का पुनरुद्धार कराया गया जो कार्य प्रगति पर है -

वर्ष	सुदृढ़ीकृत तालाब संख्या	सुदृढ़ीकरण हेतु प्रगति पर तालाब संख्या	उपयोग धनराशि (लाख रुपये)
2006-07	45	35	46.284
2007-08	--	--	--

आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में क्षेत्र पंचायत सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत थाने वाली 10 ग्राम पंचायतों को तालाब सुदृढीकरण हेतु रु0 11.958 लाख तथा क्षेत्र पंचायत हंसायन के अन्तर्गत आने वाली 23 ग्राम पंचायतों को तालाब सुदृढीकरण हेतु रु0 22.2885 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। वर्ष 2007-08 में इन विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

उक्त योजनाओं की धनराशि के सापेक्ष सुदृढ़ीकृत तालाबों का स्थलीय सत्यापन सामान्य प्रक्रिया में अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एवं जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र भ्रमण में किया गया है। अब तक के सत्यापन में धनराशि के दुरुपयोग का कोई संदर्भ प्रकाश में नहीं आया है। इसलिए मानक के अनुरूप कार्य न होने एवं किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए आवंटित धन से मानक के अनुरूप कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन

14-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिये कितना धन आवंटित किया गया तथा उसके सापेक्ष कितना धन खर्च किया गया और उसका परिणाम क्या रहा ? क्या सरकार द्वारा आवंटित धन के सापेक्ष कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

1. गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए वर्ष 2005-06 में कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई। वर्ष 2006-07 में रु0 5203.15 लाख आवंटित किया गया।
2. पूर्व आवंटित अवशेष में से वर्ष 2005-06 में रु0 1258.41 लाख तथा वर्ष 2006-07 में रु0 3851.20 लाख खर्च किया गया है। परिणामतः वर्ष 2005-06 व 2006-07 के अन्तर्गत 3 स्वच्छ शौचालय, 2 सीवेज पम्पिंग स्टेशन, 8.15 कि0मी0 सीवर लाइन तथा 1.75 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र पूर्ण किया गया।
3. जी, हां।
4. लागू नहीं।

लखनऊ शहर के लिए सीवरेज व्यवस्था की योजना

15-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि महाप्रबन्धक, लखनऊ जल संस्थान, लखनऊ का पत्र संख्या-1197/जी0एम0/एल0जे0एस0-9, दिनांक 20-2-2006 एवं पत्र संख्या-1753/एल0जे0एस0-80/जी0एम0, दिनांक 7-12-2006 जो प्रमुख सचिव, नगर विकास को सम्बोधित है

जो राम गोपाल विद्यान्त रोड से मछली मोहाल तक सीवर लाइन डालने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम में संपूर्ण लखनऊ शहर के लिए सीवरेज व्यवस्था हेतु सिटी डेवलपमेंट प्लान में रु0 2464.00 करोड़ का प्लान तैयार किया गया है। सीवरेज व्यवस्था हेतु लखनऊ शहर को निम्न 4 भागों में बांटा गया है :-

1. डिस्ट्रिक्ट-I हरदोई रोड, कैम्पबेल रोड आदि।
2. डिस्ट्रिक्ट-II ट्रांस शारदा कैनाल क्षेत्र, कृष्णा नगर आदि।
3. डिस्ट्रिक्ट-III ट्रांस गोमती क्षेत्र।
4. डिस्ट्रिक्ट-IV लखनऊ कोर एरिया।

रामगोपाल विद्यान्त रोड से मछली मोहाल तक का एरिया सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-IV में आता है। विस्तृत डी0पी0आर0 विरचन हेतु इस क्षेत्र को उसमें चिन्हित कर लिया गया है। डी0पी0आर0 दिनांक 15.3.2008 तक विरचित कर प्रेषित की जायेगी। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में मानक नगर रेलवे स्टेशन के सामने कोने पर ऊंची बाउन्ड्रीवाल बनाकर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

16-श्री शाहिद मंजूर-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में मानक नगर रेलवे स्टेशन के सामने मोहल्ला-श्यामनगर के निवासियों द्वारा मानक नगर रेलवे स्टेशन के सामने कोने पर भवन स्वामी द्वारा 10 फिट सड़क पर ऊंची बाउन्ड्रीवाल बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? जिससे दुर्घटनाओं की सम्भावनायें हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध निर्माण हटवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समर विहार कालोनी आलमबाग लखनऊ के अवैध कब्जे हटाने की मांग

17-श्री शाहिद मंजूर-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि समर विहार कालोनी, आलमबाग, लखनऊ आवासीय कालोनी होने के बावजूद भूखण्ड संख्या-101, 105 तथा अन्य कई भूखण्डों पर व्यवसायिक निर्माण कर लिये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि भूखण्ड सं0- 105 में अवैध रूप

से बने व्यवसायिक काम्पलेक्स के सामने सड़क को अवैध कब्जा करके मिट्टी डालकर ऊंचा किया गया है तथा इस पर दोनों ओर वाहन खड़े किये जाते हैं ? क्या उक्त अवैध निर्माण तथा कब्जे को तुरन्त हटवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट कालोनाइजर्स द्वारा विकसित की गयी है, जिसका भू-विन्यास मानचित्र आदि स्वीकृत करने का अधिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण का है। स्थल पर किये गये अवैध कब्जों को नगर निगम लखनऊ द्वारा अभियान के तहत यथाशीघ्र हटवा दिया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ में स्थित बेल्हा देवी मन्दिर के विकास का कथित प्रकरण

18-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में स्थित बेल्हा देवी मन्दिर के पर्यटन विकास के सम्बन्ध में क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, इलाहाबाद/चित्रकूट मण्डल, इलाहाबाद द्वारा रु0 276 लाख की योजना का प्रस्ताव महानिदेशक, पर्यटन के माध्यम से शासन के पर्यटन विभाग को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ का पत्र संख्या-1649/ शिविर-2006, दिनांक 9 सितम्बर, 2006 क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, इलाहाबाद, उप जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ एवं परियोजना प्रबन्धक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम, प्रतापगढ़ को भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद कुमार)-

जी हां।

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, इलाहाबाद को उक्त पत्र प्राप्त हुआ है।

बेल्हा देवी मन्दिर के विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि बेल्हा देवी मंदिर के आस-पास ग्राम सभा/नजूल की भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड ऐराया में बनाये गये कच्चे मार्गों की शिकायती जांच

18-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड ऐराया में एस0जी0आर0वाई0 सहित अन्य मदों में बनाये गये कच्चे मार्गों की खराब गुणवत्ता, मजदूरों को धनराशि एवं खाद्यान्न का भुगतान न करने के दोषी खण्ड विकास अधिकारी एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध जांच कराये जाने हेतु एवं पूर्व ब्लाक प्रमुख श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह के

शिकायती-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/487233, दिनांक 24-11-2006 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

शिकायत की जांच तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ट, ग्राम्य विकास विभाग से करायी गयी है। जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। जांच आख्या का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर के विकास हेतु जिलाधिकारी से भूमि की मांग

20-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ नगर में स्थित बेल्हा देवी मन्दिर के पर्यटन विकास के सम्बन्ध में क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, इलाहाबाद का पत्र संख्या 1648/राज्य योजना-15/2006, दिनांक 15 जुलाई, 2006 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार-

जी हां।

बेल्हा देवी मंदिर के विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि बेल्हा देवी मंदिर के आसपास ग्राम सभा/नजूल की भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्थित ऐतिहासिक जगहों के विकास हेतु कार्य पूर्ण कराने की मांग

21-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये जिला योजना जनपद प्रतापगढ़ के माध्यम से स्वीकृत कुण्डाधाम मन्दिर के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत रु0 5.66 लाख सी0 एण्ड डी0 एस0 वि0/यां0 उ0 प्र0 जल निगम, इलाहाबाद एवं मुजाही देवी धाम के पर्यटन विकास हेतु रु0 2.76 लाख तथा बेल्हा देवी मन्दिर में जल एवं विद्युत व्यवस्था हेतु रु0 2.68 लाख एवं महडौरा शिव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु रु0 2.96 लाख सी0 एण्ड डी0एस0-यूनिट-10 जल निगम इलाहाबाद को रु0 2.54 लाख एवं कल्याणी देवी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु रु0 2.54 लाख ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, प्रतापगढ़ को वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त सभी कार्य मानक के अनुरूप पूर्ण करा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार-

जी हां।

उक्त कार्यों के पूर्ण होने के संबंध में सूचना निम्नवत् है-

1. कुण्डाधाम पट्टी हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 5.66 लाख से कार्य पूर्ण कराया गया है।
2. कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, वि0/या0 उ0प्र0, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा बेल्हा देवी मंदिर में जल एवं विद्युत व्यवस्था हेतु गठित आगणन रु0 5.28 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त रु0 2.68 लाख की धनराशि एवं मुजाही देवी धाम का पर्यटन विकास हेतु गठित आगणन रु0 2.99 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त रु0 2.76 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। धनराशि आगणन के अनुरूप स्वीकृत न होने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा वापस कर दी गयी।
3. महडौरा शिव मंदिर के विकास हेतु स्वीकृत रु0 2.96 लाख सी0 एण्ड डी0 एस0, यूनिट-10 इलाहाबाद द्वारा कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है जिसके पूर्ण होने की तिथि सितम्बर 2007 है।
4. कल्याणी देवी मंदिर हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 2.54 लाख कार्यदायी संस्था, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के तहसील बारा के अन्तर्गत बैजला, चार्म तथा असखई आदि गांवों के जलभराव का निदान

22-श्री उदयभान करवरिया-

क्या भूमि एवं जल संसाधन मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के तहसील बारा के अन्तर्गत आने वाले बैजला, चार्म, असखई गांव का हिस्सा जलमग्न होने के कारण किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ रही है तथा वहां खेतों की बुआई नहीं हो पा रही है ? क्या जल भराव की समस्या को दूर करने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 रघुनाथ प्रसाद शंखवार)-

इलाहाबाद के तहसील बारा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सभा बैजला, चार्म, असखई में बरसात के दिनों में अति वृष्टि होने की दशा में इन ग्राम सभा क्षेत्रों में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती थी, जिसके निदान हेतु पूर्व में निर्मित जल निकास नाली की सफाई गत वर्ष बाढ़ प्रखण्ड, इलाहाबाद तथा बाघला नहर प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, इलाहाबाद द्वारा कराई गयी है। वर्तमान में इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या नहीं है।

हां, ग्राम सभा बैजला, चार्म, असखई में भूमि जल स्तर 3 मीटर से नीचे है, अतएव जल मग्नता की दृष्टि से यह क्षेत्र सुरक्षित जोन में पड़ता है। अतएव इन ग्राम सभाओं में जल

मग्न क्षेत्र के उपचार की परियोजनायें तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु बाढ़ प्रखण्ड, इलाहाबाद तथा बाघला नहर प्रखण्ड सिंचाई विभाग में जल निकासी की व्यवस्था हेतु जल निकास नाली की सफाई करा दी गयी है। अतः जल भराव की समस्या का निदान हो चुका है। इसकी सूचना संबंधित ग्राम सभा के ग्राम प्रधान व लाभार्थियों द्वारा दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के टिकैतराय सचिवालय कालोनी के फेस-3 में समुचित जलापूर्ति

23-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के टिकैतराय सचिवालय कालोनी के फेस-3 में समुचित जलापूर्ति न होने के कारण अध्यासियों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिये वहां पर लगे ट्यूबवेलों को रिबोर कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। टिकैतराय सचिवालय कालोनी के फेज-3 में समुचित जलापूर्ति की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में शिवानी बिहार "ए तथा बी" ब्लाक कल्याणपुर डेयरियों से व्याप्त गंदगी के कारण उक्त डेयरियों को हटाया जाना

24श्री महेन्द्र सिंह राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवानी बिहार "ए" तथा "बी" ब्लाक कल्याणपुर, लखनऊ में वर्तमान में कितनी दूध डेयरी संचालित हैं ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों ब्लाकों में दूध डेयरियों के कारण सड़कों पर गन्दगी व्याप्त रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करके उक्त दूध की डेयरियों को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

शिवानी बिहार "ए" ब्लाक में दो तथा "बी" ब्लाक कल्याणपुर लखनऊ में नौ दूध डेयरी वर्तमान में संचालित हैं।

शिवानी बिहार "ए" ब्लाक में निरीक्षण के समय कोई गन्दगी नहीं पायी गयी तथा शिवानी बिहार "बी" ब्लाक में दूध डेयरियों के कारण गन्दगी पायी गयी।

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 550 के अन्तर्गत समस्त पशुपालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी है। नगर निगम द्वारा सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व गुडम्बा थाने को सूचित किया गया है।

शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में बाबूगंज पार्क के पास बने सुलभ शौचालय के सामने वाले नाले पर बने अवैध कब्जों को हटाने की मांग

25-श्री महेन्द्र सिंह राजपूत-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2006 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-38 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में बाबूगंज पार्क के पास बने सुलभ शौचालय के सामने से जाने वाले नाले पर वहां के निवासियों ने बड़ा नाला पाटकर भवन बनवा लिये हैं ? क्या सरकार इन अवैध कब्जों को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां। सम्बन्धित भवन स्वामियों के पक्के निर्माण हटाने हेतु नोटिस दी गयी है। जिला प्रशासन के सहयोग से अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में स्थित बाबूगंज, छोटा चांदगंज आदि कतिपय मोहल्लों में भवन मालिकों द्वारा पानी के अवैध कनेक्शन धारकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

26-श्री महेन्द्र सिंह राजपूत-

क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ नगर में स्थित बाबूगंज, छोटा चांदगंज, मुंशीगंज एवं माया नगर मोहल्लों में अनेक भवन मालिकों द्वारा अपने भवनों में पानी हेतु अवैध कनेक्शन लगा रखा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध कनेक्शन धारकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के 17 जनपदों में समग्र ग्राम विकास के ग्रामों के निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मांग

27-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 17 जनपदों में समग्र ग्राम विकास के ग्रामों के निरीक्षण एवं भौतिक सत्यपान हेतु 22 सितम्बर, 06 एवं 27 अक्टूबर, 2006 को टास्क फोर्स भेजने हेतु शासनादेश जारी हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रतन लाल अहिरवार)-

जी हां।

जी नहीं। टास्क फोर्स के गठन से संबंधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 सितम्बर, 2006 में टिप्पणी एवं सत्यापन आख्या सचिव अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द में पेयजल की समस्या के निदान हेतु हैण्ड पम्प लगाने की मांग

28-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द, जसपुरा, तिन्दवारी में पेयजल के संकट के समाधान हेतु शासनादेश सं0-3737/38-5-2-2006-200 (मु0म0)/06, वी0सी0-11(ए), दिनांक 30-12-06 के अन्तर्गत 200 हैण्डपम्प लगाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, 16वीं शाखा, जल निगम, बांदा का पत्रांक 308/डब्लू-77/16, दिनांक 19-1-07 जारी हुआ है ? यदि हां, तो क्या 10 प्रतिशत अंशदान जमा करने के बाद भी हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं। दिनांक 31 मई, 2007 तक 50 नग हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। शेष हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री यशपाल सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र के राजाजीपुरम्, मोतीझील व टिकैतराय कालोनी आदि कतिपय क्षेत्रों में पेयजल के संकट को देखते हुए नये नलकूप लगाने व पुराने नलकूपों को रिबोर कराने की मांग

30-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में राजाजीपुरम्, मोतीझील कालोनी, टिकैतराय एल0डी0ए0 कालोनी, सरीपुरा, मातादीन रोड, नौबस्ता आदि क्षेत्रों में पेयजल के गम्भीर संकट को देखते हुए नलकूप लगाने, पुराने नलकूपों को रिबोर करने तथा नये हैण्डपम्प लगाने एवं पुराने खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराने हेतु सरकार विचार करेगी और इसके लिए समुचित धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

उ0 प्र0 जल निगम से पेयजल व्यवस्था लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में सुचारु रूप से कराने हेतु एक कार्य योजना प्राप्त हो गयी है, जिसका परीक्षण करके उपलब्ध संसाधनों के अनुसार धनावंटन किये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका में मानक के अनुसार सफाई कर्मियों की नियुक्ति किया जाना

31-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में एक लाख की आबादी पर कितने सफाई कर्मी अनुमन्य हैं तथा इनको कितने घण्टे सफाई का काम आवंटित है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत नगरपालिकाओं में मानक के अनुरूप सफाई कर्मी तैनात नहीं हैं, न ही निर्धारित घण्टों में सफाई कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नगरपालिकाओं में सफाई कर्मियों की मानक के अनुरूप नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार 10000 की आबादी पर 28 सफाई कर्मचारी रखे जाने का प्राविधान है। इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों में एक लाख की आबादी पर 280 सफाई कर्मचारी अनुमन्य हैं। सफाई कर्मचारी को 08 घंटे ड्यूटी निर्धारित है।

जी हां।

सफाई कर्मचारी निर्धारित घंटों में सफाई का कार्य करते है।

नगर निकायों में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सफाई कार्मिकों की संविदा पर नियुक्ति निर्धारित मानक के अनुसार करने एवं कतिपय शहरों/निकायों में सफाई व्यवस्था निजीकरण के माध्यम से कराने के संबंध में क्रमशः शासनादेश संख्या-4140/नौ-1-06-66 सा/2001 टीसी दिनांक 26-08-2005 एवं शासनादेश सं0 174/नौ-1-06-66 सा/2001 टीसी, दिनांक 21-3-06 निर्गत है। उक्त निर्देशों के क्रम में नागर निकायों द्वारा संविदा पर सफाई कर्मियों की भर्ती की गयी है तथा कतिपय निकायों में यह प्रक्रियाधीन भी थी।

वर्तमान में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2006, दिनांक 12-12-2006 द्वारा समस्त प्रकार की भर्ती/नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जिला कन्नौज के थाना छिबरामऊ के अन्तर्गत एस0बी0आई0 कर्मचारी राजेश त्रिवेदी की हत्या के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

32-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि दिनांक 14/15-12-2006 को थाना छिबरामऊ, जिला कन्नौज के अन्तर्गत एस0बी0आई0 कर्मचारी राजेश त्रिवेदी की थाना छिबरामऊ क्षेत्र में हत्या

कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

श्री राजेश त्रिवेदी की हत्या के संबंध में थाना छिबरामऊ पर मु0अ0सं0 767/2006 धारा 302 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ है।

प्रश्नगत अभियोग में किसी को नामजद नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर निगम से वर्ष 1993 में सेवानिवृत्त मोहर्रिर श्री हरीशंकर श्रीवास्तव को बकाया पेंशन का भुगतान किया जाना

33-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम कानपुर से वर्ष 1993 में सेवानिवृत्त मोहर्रिर श्री हरीशंकर श्रीवास्तव को माह सितम्बर, 2006 से माह नवम्बर, 2006 तक की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त माह की पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

नगर निगम, कानपुर के समस्त पेशनरों की उक्त अवधि का पेंशन धनाभाव के कारण देय शेष है। निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर बकाया पेंशन का भुगतान समस्त पेंशनरों के साथ इन्हें भी कर दिया जायेगा।

34-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर एवं ब्लाक सुल्तानगंज में वर्ष 2005-06 में ब्लाक द्वारा ग्राम सभाओं में मानक के अनुसार तालाबों की खुदाई न होने व दोषियों के विरुद्ध जांच की मांग

श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बेबर व ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी में ब्लाक द्वारा ग्राम सभाओं में वर्ष 2005-2006 में तालाबों की खुदाई करायी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त खुदाई मानक के अनुसार नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं। जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर एवं ब्लाक सुल्तानगंज में वर्ष 2005-06 में ब्लाक द्वारा ग्राम सभाओं में तालाबों की खुदाई नहीं कराई गयी है । इसलिए मानक के अनुसार खुदाई एवं जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम में समय से आख्या उपलब्ध कराने के संबंध में जारी आदेश

श्री विद्या सागर गुप्ता-

36-क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने में की जा रही अनियमितता विषयक श्री विनोद कृष्ण सिंघल सभासद का पत्र दिनांक 1-1-2007 जो माननीय नगर प्रमुख/नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे -

जी हां ।

सम्बन्धित विभागों को समय से आख्या उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम के स्तर से आदेश निर्गत किये गये है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 121/6 की जांच सतर्कता विभाग के कराने की मांग

37-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

37-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 121/6 की जांच सतर्कता अधिष्ठान अथवा भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री का आदेश सी0एम0/वि0को0/एम0/156002/2006, दिनांक 21-11-2006 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी हां ।

प्रकरण की विवेचना किसी अन्य शाखा से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-129/86 की विवेचना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 23-11-2006 के पत्र पर कृत कार्यवाही

38-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-129/ 86 की विवेचना अन्य जनपद की पुलिस अथवा भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-11-2006 सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी हां।

मु0अ0सं0-129/2006 थाना आसपुरा देवसरा की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2007 को निर्गत किये गये लेकिन मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 मार्च, 2007 के द्वारा उक्त आदेश को स्थगित कर दिया गया तथा प्रकरण की विवेचना थाना आसपुर देवसरा को सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया तथा सी0बी0सी0आई0डी0 को सौंपे गये प्रपत्र को स्थानीय पुलिस को वापस करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ शहर के निशातगंज में स्थित फ्लाई ओवर के नीचे बादशाह नगर चौराहे से गोल मार्केट चौराहे तक दोनों ओर क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की मांग

39-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के निशातगंज में स्थित रेलवे फ्लाई ओवर के नीचे बादशाह नगर चौराहा से निशातगंज पुलिस चौकी तक तथा निशातगंज पुलिस चौकी से गोल मार्केट चौराहा तक की दोनों तरफ की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

निशातगंज में स्थित रेलवे फ्लाई ओवर के नीचे बादशाह नगर चौराहे से गोल मार्केट चौराहे तक दोनों ओर क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण हेतु अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा उक्त सड़क नगर निगम लखनऊ के स्वामित्व में होने के कारण अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 23-12-2006 द्वारा वांछित थी। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 20-01-2007 द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। अब उक्त सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा कराया जायेगा। निशातगंज पुलिस चौकी से रेलवे लाइन क्रासिंग तक के कार्य की निविदा नगर निगम द्वारा धनाक रु0 723286/-(रुपया सात लाख तेईस हजार दो सौ छियासी मात्र) की आमंत्रित की जा रही है। नगर निगम कार्यकारिणी की स्वीकृतोपरान्त कार्य कराया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में मानक के अनुरूप पैरा चिकित्सा कर्मियों की तैनाती का प्रकरण

40-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में पैरा चिकित्सा कर्मियों (नर्सेज, फार्मेसिस्ट, वार्ड ब्वायों, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मी) के नियुक्ति के मानक क्या हैं ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि

विभिन्न मेडिकल कालेजों में मानक के अनुरूप पैरा चिकित्सा कर्मी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो उक्त मेडिकल कालेजों में मानक के अनुरूप तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में निर्माणाधीन इन्सेफ्लाइटिस वार्ड की अनुमानित लागत एवं अलग से स्टाफ की नियुक्ति किये जाने की मांग

41-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में निर्माणाधीन इन्सेफ्लाइटिस वार्ड के निर्माण का विवरण, लागत एवं प्रगति क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या इस विशेष वार्ड के सुचारु संचालन की दृष्टि से अलग से स्टाफ (चिकित्सक, स्टाफ नर्स, वार्ड ब्वाय) के नियुक्ति की क्या कोई योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में निर्माणाधीन इन्सेफ्लाइटिस वार्ड (एपीडेमिक वार्ड) निर्माण की अनुमानित लागत रु0 247.35 लाख है। अब तक रु0 147.40 लाख व्यय किया जा चुका है। भूतल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

जी हां। विभिन्न पदों के सृजन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पदों के सृजन के उपरांत नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के यदुनाथ सन्याल वार्ड में सीवर लाइन डालने हेतु सभासद श्री विनोद कृष्ण सिंघल का महापौर/नगर आयुक्त को सम्बोधित दिनांक 20-5-2007 के पत्र पर कृत कार्यवाही

42-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 20-5-2007 जो कि महापौर/नगर आयुक्त लखनऊ नगर निगम एवं अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, लखनऊ को सम्बोधित है जो यदुनाथ सान्याल वार्ड में सीवर लाइन डालने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

लखनऊ शहर के लिए जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज की एक वृहद् योजना तैयार की जा रही है जिसके अन्तर्गत यदुनाथ सन्याल वार्ड में सीवर डालने का प्रस्ताव किया जा रहा है जिस पर सर्वेक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम दाहा से ग्राम फौलाद नगर जाने के लिये सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

43-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत के ग्राम दाहा से ग्राम फौलादनगर जाने के लिए सम्पर्क मार्ग न होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद बागपत में बस स्टैण्ड दाहा में फौलादनगर तक सम्पर्क मार्ग है, जिसकी लम्बाई 3.260 कि0मी0 है, जो 0.450 कि0मी0 लागत स्तर तक तथा शेष खड़ंजा स्तर तक निर्मित है।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि फौलादनगर-मुलसम मार्ग का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-5 योजना के अन्तर्गत निर्माणधीन है, कार्य प्रगति में हैं, जिसकी लम्बाई 5.025 कि0मी0 है और ग्राम मुलसम, भरनावा-दाहा (लेपित स्तर) मार्ग से जुड़ा है।

44 एवं 45-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[1 ले शुक्र0 के अता0 प्र0 सं0 54 एवं 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बागपत तथा अन्य जिलों में जारी शस्त्र लाइसेन्स का विवरण

46-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-6-07 जो जनपद बागपत के लोगों के शस्त्र लाइसेंस के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, बागपत को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2002 से 31 अप्रैल, 2007 तक प्रदेश में कितने लोगों को शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये गये हैं ?

कुमारी मायावती-

जी हां।

इसमें उल्लिखित 07 आवेदकों में से छः आवेदकों के सम्बन्ध में पुलिस आख्या प्रतीक्षित है तथा एक आवेदन-पत्र का निस्तारण प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत अवधि में प्रदेश में कुल 249704 शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये गये है।

बुन्देलखण्ड, झांसी में पर्यटन उद्योग को विकसित करने की कार्य योजना

47-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड, झांसी में पर्यटन उद्योग विकसित करने के लिये सरकार क्या कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार-

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को उद्योग घोषित करने के लिए शासनादेश संख्या-यू0ओ0 5/77-6-99 दि0 16-2-1999 जारी किया गया है, जो पर्यटन को बढ़ावा देने तथा प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए है, यह सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है जिसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड, झांसी क्षेत्र भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड के समग्र पर्यटन विकास के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड परिपथ का गठन भी शासनादेश सं0-538/41-98-184/98, दिनांक 31-3-1999 द्वारा किया गया है, जिसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड, झांसी, पर्यटन विकास के कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड के पर्यटन विकास का व्यापक प्रचार-प्रसार, ट्रैवल-ट्रेड से जुडे लोगों एवं मीडिया द्वारा किया जाता है। बुन्देलखण्ड, झांसी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पर्यटन की वेबसाइट उपलब्ध है।

प्रदेश में पर्यटन के विकास एवं उसे प्रोत्साहित करने हेतु पर्यटन उद्योग को प्रदेश में उद्योग का दर्जा दिए जाने एवं प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को प्रदत्त समस्त सुविधायें अनुमन्य की गयी हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग में "एकल मेज प्रणाली" तथा पर्यटन उद्योग में पूंजी निवेश को अधिक आकर्षित करने के सम्बन्ध में "होटल नीति" क्रमशः शासनादेश संख्या 3227/41-2005-191-2004, दिनांक 17-10-2005 एवं पत्रांक 984/41-06-180/2005, दिनांक 22-5-2006 जारी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के नगर निगम के मार्ग प्रकाश विभाग में मुख्य मार्गों पर प्रकाश बिन्दु जलाने व बुझाने का कार्य ठेके पर कराये जाने का प्रस्ताव

48-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम झांसी के मार्ग प्रकाश विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को हटाकर मुख्य मार्गों पर प्रकाश बिन्दु जलाने व बुझाने का कार्य ठेके पर कराये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

नगर निगम में मार्ग प्रकाश विभाग में संविदा पर 28 कर्मचारी नियोजित है जो मुख्य मार्गो पर प्रकाश बिन्दुओं को जलाने, बुझाने आदि कार्यों को सम्पादित करते हैं। संविदा कर्मचारियों को हटाकर ठेके पर उक्त कार्य कराये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत एवं मेरठ में वर्ष 2007 में स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस का विवरण

49-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शस्त्र लाइसेंस हेतु जनपद बागपत तथा मेरठ में कितने लोगों ने वर्ष 2007 में लाइसेंस हेतु आवेदन किया था, उनमें से कितने लोगों को शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये गये हैं ? शेष आवेदनों को कब तक निस्तारित किया जायेगा ? क्या सरकार

यह भी बतायेगी कि जिलाधिकारी द्वारा शस्त्र लाइसेंस आवेदकों से एन0एस0सी0 जमा कराने के पश्चात् भी शस्त्र लाइसेंस अभी तक निर्गत नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

प्रश्नगत वर्ष में दिनांक 23-06-2007 तक बागपत में 343 व मेरठ में 330 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके विरुद्ध जनपद बागपत में कोई शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत नहीं हुआ है तथा मेरठ में 281 आवेदकों को शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत हुए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र की वास्तविक आवश्यकता तथा शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत गुणावगुण के आधार पर शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये जाते हैं।

इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 2005-06 एवं 2006-2007 में ब्लाक प्रमुख बेवर द्वारा तालाबों की खुदाई तथा विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के दुरुपयोग की जांच

50-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बेवर, जनपद मैनपुरी में वर्ष 2005-2006 व 2006-2007 में वर्तमान ब्लाक प्रमुख बेवर मैनपुरी द्वारा किन-किन विकास कार्यों में धन खर्च किया गया है तथा कौन-कौन सी योजनाओं के लिये धन निकाला गया है ? तालाबों की खुदाई हेतु निकाले गये रुपये का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध जांच कराकर दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां। जनपद मैनपुरी में वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में ब्लाक प्रमुख बेवर द्वारा क्षेत्र पंचायत एवं कार्यदायी संस्थाओं की धनराशि आवंटित करके निम्नांकित योजनाओं में धन खर्च किया गया है, जिसका विवरण तालिका में निम्नवत् है :--

क्रम सं0	वर्ष	योजना का नाम	व्यय की गई धनराशि (रुपये)
1	2005-06	एस0जी0आर0वाई0	4690425.00
2	2006-07	एस0जी0आर0वाई0	5823585.00
		योग -	10514010.00
3	2005-06	दशम वित्त/राज्य वित्त	1985307.00
4	2006-07	दशम वित्त/राज्य वित्त	1401831.00
		योग -	3387138.00

वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत 73 कार्य एवं दशम वित्त योजनान्तर्गत 11 कार्य कराये गये हैं तथा तालाबों की खुदाई हेतु निकाले गये रुपयों के

दुरुपयोग का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। इसलिए किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

51-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[3सरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ नगर स्थित बेल्हा देवी मन्दिर पर्यटन विकास हेतु भूमि की मांग

52-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ नगर स्थित बेल्हा देवी मन्दिर के पर्यटन विकास के संबंध में क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, इलाहाबाद का पत्र संख्या-1648/राज्य योजना-15/2006, दिनांक 15 जुलाई, 2006 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त पत्र की प्रति महानिदेशक, पर्यटन उ0 प्र0, लखनऊ को भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय धार्मिक/ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटन विकास सम्बन्धी जानकारी की मांग

53-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए जिला योजना के माध्यम से स्वीकृत कुण्डाधाम मन्दिर के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत रु0 5.66 लाख सी0 एण्ड डी0 एस0 वि0/या0 उ0 प्र0 जल निगम, इलाहाबाद एवं मुजाही देवी धाम के पर्यटन विकास हेतु बेल्हा देवी मन्दिर में जल एवं विद्युत व्यवस्था हेतु 2.68 लाख रुपये, 2.76 लाख एवं महडोरा शिव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु 2.96 लाख सी0 एण्ड डी0 एस0 यूनिट 10 निगम, इलाहाबाद को रु0 2.54 लाख एवं कल्याणी देवी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु रु0 2.54 लाख ग्रामीण अभियन्ता सेवा, प्रखण्ड, प्रतापगढ़ को वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार-

जी हां।

1. कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, वि0/यां0 द्वारा कुण्डा धाम मन्दिर के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 5.66 लाख से कार्य पूर्ण कराया गया है।
2. कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, वि0/यां0 उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद द्वारा बेल्हा देवी मंदिर में जल एवं विद्युत व्यवस्था हेतु गठित आगणन रु0 5.28 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त रु0 2.68 लाख की धनराशि एवं मुजाही देवी धाम का पर्यटन विकास हेतु गठित आगणन रु0 2.99 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त रु0 2.76 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। धनराशि आगणन के अनुरूप स्वीकृत न होने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा वापस कर दी गयी।
3. कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, यूनिट-10, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद के पक्ष में महडौरा शिव मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 2.96 लाख से कार्य प्रारम्भ हो गया है जिसके पूर्ण होने की तिथि सितम्बर, 2007 है।
4. कल्याणी देवी मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 2.54 लाख कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर में लगे हैण्डपम्पों का विवरण

54-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम इन्देमऊ, विकास खण्ड बीघापुर, जनपद उन्नाव में कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प आवासीय परिसर में लगे हुए हैं ? क्या यह सही है कि उक्त के संबंध में ग्रामवासियों का कोई शिकायती-पत्र माह मई, 2007 में मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां। एक हैण्ड पम्प आवासीय परिसर में अधिष्ठापित है।

जी हां।

जांच में शिकायत सही पाई गयी। बाउन्ड्रीवाल के अन्दर अधिष्ठापित हैण्डपम्प रिबोर योग्य है। इसे वहां से हटाकर अन्यत्र सार्वजनिक स्थान पर लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के नगर निगम क्षेत्र में अवैध डेयरियों एवं सुअर पालन केन्द्र को शहर से बाहर किये जाने की योजना

55-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर निगम लखनऊ क्षेत्र में कितने अवैध डेयरियां एवं सुअर पालन केन्द्र चल रहे हैं ? क्या इन अवैध सुअर पालकों व डेयरी चलाने वालों को शहर से बाहर करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री नकुल दूबे-

लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान 400 अवैध डेयरियां पुनर्स्थापित पायी गयीं एवं 239 सुअर पालकों द्वारा सुअर पालन का व्यवसाय किया जा रहा है।

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बालागंज हरदोई रोड व उ0प्र0 आवास विकास परिषद् लखनऊ द्वारा तकरोही बाजार व देवपुर पारा में कैटिल कालोनी का निर्माण कराया गया है। पिग कालोनी के निर्माण हेतु नगर निगम द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद् को पत्र भेजा गया है।

56-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[3सरे बुधवार के अता0 प्र0 सं0-70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के मेंहदीगंज में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत सोलर पम्पिंग स्टेशन को समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत चालू कराने की मांग

57-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 3.5 करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बाद भी मेंहदीगंज लखनऊ में सोलर पम्पिंग स्टेशन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त सोलर पम्पिंग स्टेशन को समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत तैयार कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

जी हां, परन्तु योजना की लागत रु0 212.95 लाख है, न कि रु0 3.50 करोड़। लागत रु0 212.95 लाख के सापेक्ष रु0 106.475 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 30.3.06 के द्वारा स्वीकृत की गयी है। योजना मेंहदीगंज, लखनऊ में सोलर पम्पिंग स्टेशन के स्थान पर जोनल पम्पिंग स्टेशन है।

योजना हेतु प्रस्तावित नलकूप का स्थल विवादित हो गया था। अब एल0डी0ए0 द्वारा स्थान परिवर्तित कर समीपवर्ती टिकैतराय में स्थान उपलब्ध करा दिया गया है।

जी हां।

योजना में प्रस्तावित जोनल पम्पिंग स्टेशन मेंहदीगंज का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। स्वीकृत की गयी धनराशि रु0 106.475 लाख का उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर शेष धनराशि स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

58-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[1ले मंगल के अता0 प्र0 सं0 70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में सिर की चोट के गम्भीर रोगियों का इलाज कराने की व्यवस्था की मांग

59-डा0 पी0 के0 राय-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में वर्ष 2006 में कितने सिर की चोट के गम्भीर रोगी पंजीकृत हुए हैं और उनमें कितने की शल्य क्रिया हुयी एवं कितने बाहर भेजे गये ? क्या सरकार ऐसे गंभीर रोगियों का इलाज कराने की व्यवस्था बाबा राघव दास मेडिकल कालेज में ही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

वर्ष 2006 में न्यूरोसर्जरी विभाग में 915 मरीज भर्ती किये गये। इनमें से 18 सिर के चोटों के मरीजों की शल्य क्रिया की गयी एवं अन्य कारणों से 28 मरीजों की शल्य क्रिया की गयी। इसके साथ ही परिजनों के अनुरोध पर 52 मरीज बाहर भेजे गये।

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को सभी उपचार हेतु उपयुक्त बनाने के लिए चिकित्सा शिक्षकों की तैनाती की जा रही है तथा पर्याप्त मात्रा में उपकरणों का क्रय किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की न्याय पंचायत पैना, बुजुर्ग भावरखेड़ा आदि गांवों में खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराने की मांग

60-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इण्डिया मार्का-2 नल को रि-बोर कराने की क्या नीति है ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि भावलखेड़ा ब्लाक, जनपद शाहजहांपुर की न्याय पंचायत पैना बुजुर्ग, भावलखेड़ा, रौसर, बरमौला, अर्जुनपुर, जमुही, सरही शाहगंज में करीब 100 नल खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो इन नलों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

हैण्डपम्प सामान्य मरम्मत योग्य न रह जाने एवं स्थाई रूप से अक्रियाशील हो जाने की स्थिति में इसके स्थान पर रिबोरिंग कराकर पुनर्स्थापन की नीति है।

कुल 94 नग हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं।

स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराकर ठीक कराने की कार्यवाही प्रगति पर है। धन की उपलब्धता के अनुसार स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को रिबोर किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर निगम में साक्षात्कार में चयनित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति

61-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर निगम में संविदा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार साक्षात्कार में चयनित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

जी हां।

नगर निगम, कानपुर द्वारा शासनादेश सं0-4140/नौ-1-2005-66 सा/2001 टीसी, दिनांक 26-08-05 के अन्तर्गत साक्षात्कार लिया गया है। उक्त शासनादेश में यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं कि "संविदा पर रखे गये सफाई कर्मियों के फलस्वरूप निकायों पर आने वाला अतिरिक्त व्ययभार नागर निकायों को स्वयं वहन करना होगा। शासन से कोई अतिरिक्त आर्थिक सहायता/अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।"

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

74वें संविधान संशोधन के उपरान्त नागर स्थानीय निकाय स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है। वे अपने कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए उनका निर्वहन राज्य सरकार के राज्य वित्त आयोग एवं बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि एवं अपने निजी स्रोतों एवं संसाधनों से प्राप्त आय से करते हैं। नागर स्थानीय निकायों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है। प्रकरण में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 26-08-2005 के प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही नगर निगम स्तर से ही की जानी है।

जनपद कानपुर देहात के बंदियों को कानपुर देहात के मुख्यालय माती में नवनिर्मित कारागार में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही

62-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिला कारागार में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं ? यदि हां, तो कानपुर देहात के विचाराधीन कैदियों को कानपुर देहात के मुख्यालय माती में नवनिर्मित कारागार में स्थानान्तरित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी हां।

जिला कारागार कानपुर की कुल क्षमता 1245 है, जिसके सापेक्ष दिनांक 31 मई, 2007 के अनुसार 2496 बन्दी निरुद्ध हैं।

जनपद कानपुर देहात के मुख्यालय माती में नई कारागार का निर्माण कराया गया है, हस्तानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त जनपद कानपुर देहात के बन्दियों को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में नये फायर सब-स्टेशन खोलने की मांग

63-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि कानपुर नगर की 40 लाख आबादी पर 4 फायर सब-स्टेशन लाटूश रोड, कर्नलगंज, मीरपुर, फजलगंज में स्थापित हैं ? क्या कानपुर नगर में नये फायर सब-स्टेशन खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

कानपुर नगर में कुल 05 स्थायी अग्निशमन केन्द्र क्रमशः लाटूश रोड, कर्नलगंज, मीरपुर, फजलगंज एवं घाटमपुर में स्थापित हैं।

अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु अग्निशमन केन्द्रों के मानक निर्धारित किये गये हैं। प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत आवश्यकता के अनुरूप ही नये अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

जनपद गोरखपुर महानगर में नालों के अपूर्ण निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

64-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में कितने नालों का निर्माण का कार्य अपूर्ण है ? सरकार उक्त नालों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

गोरखपुर महानगर में कुल तीन नालों का निर्माण कार्य अपूर्ण है।

उक्त तीन नालों में से दो नालों का निर्माण कार्य लगभग एक माह में तथा शेष एक नाले का निर्माण कार्य लगभग छः माह में पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर महानगर में यातायात की गम्भीर समस्या हेतु विशेषज्ञ अध्ययन दल का गठन किये जाने की मांग

65-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में यातायात की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार विशेषज्ञ अध्ययन दल का गठन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर के निर्माणाधीन वाईरल रिसर्च सेन्टर की प्रगति की जानकारी

66-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में निर्माणाधीन वाईरल रिसर्च सेन्टर का विवरण, लागत, प्रगति क्या है ? क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि क्या वाईरल रिसर्च सेन्टर में आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकों, वैज्ञानिकों एवं पैरा चिकित्सक कर्मियों की नियुक्ति कब तक कर ली जायेगी तथा इसका संचालन कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में निर्माणाधीन वाईरल रिसर्च सेन्टर की अनुमानित लागत रु0 167.51 लाख है। रु0 167.48 लाख व्यय किया जा चुका है। सेन्टर बनकर तैयार है। निर्माण इकाई द्वारा इनवेण्टरी हस्तानान्तरण हेतु भेजी जा चुकी है।

एक माइक्रोबायलाजिस्ट एवं एक लैब टेक्नीशियन एक वर्ष के लिए संविदा पर रखे जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ भेजी जा चुकी है। विभिन्न प्रकार के अन्य आवश्यक पदों के सृजन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शोध केन्द्र यथाशीघ्र संचालित हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के निवासी किशनपुर गढ़िया थाना बेवर के श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह के कथित आपराधिक मुकदमों की जानकारी

67-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी किशनपुर गढ़िया थाना बेवर जनपद मैनपुरी किन-किन थानों में आपराधिक मुकदमों में वांछित हैं ? क्या सरकार वांछित के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी-किशनपुर गढ़िया, थाना-बेवर, जनपद मैनपुरी इस जनपद के किसी भी थाने में आपराधिक मुकदमों में वांछित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के इण्डिया मार्का-2 के खराब हैण्डपम्पों की संख्या एवं उसे बनवाने की मांग

68-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में 31-5-07 तक कितने इण्डिया मार्का-टू हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ? क्या सरकार जांच कराकर हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद मैनपुरी में दिनांक 31-5-07 तक 351 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अस्थाई रूप से एवं 799 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब थे।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला जेल मैनपुरी में लम्बी अवधि के बन्दी रक्षकों के स्थानान्तारण की मांग

69-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल जनपद मैनपुरी में कितने ऐसे पुलिस कर्मी हैं जो विगत 15 वर्षों से वहां कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

कारागार में पुलिस कर्मी नहीं बल्कि बंदीरक्षक तैनात होते हैं। जिला कारागार मैनपुरी में विगत 15 वर्षों से बंदीरक्षक संवर्ग का कोई कर्मचारी तैनात नहीं है।

कार्मिक स्थानांतरण नीति के अनुसार बंदीरक्षक संवर्ग के कार्मिकों को स्थानांतरित किये जाने पर विचार किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती सुनीता सिंघल, भूतपूर्व पार्षद का ठेकेदारों के बिल से कटौती सम्बन्धी नगर प्रमुख लखनऊ को भेजे गये कथित शिकायती-पत्र

70-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत ठेकेदारों के बिल से 40 प्रतिशत तक कटौती करने विषयक श्रीमती सुनीता सिंघल, तत्कालीन पार्षद एवं श्री विनोद कृष्ण सिंघल, वर्तमान पार्षद का संयुक्त हस्ताक्षरित-पत्र दिनांक 21-11-06 जो कि माननीय नगर प्रमुख एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम को पेयजल जल समस्या, नालों की सफाई तथा सीवर की समस्या से सम्बन्धी सभासद के पत्र पर कार्यवाही

71-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत पेयजल समस्या, दूषित जल आपूर्ति, उफनाते एवं टूटे सीवरों आदि विषयक श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 18-11-06, 22-11-06, 30-11-06, 06-12-06, 01-01-07,

24-4-07, 25-04-07 जो कि नगर प्रमुख/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी जल संस्थान जोन-1 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

जी हां।

लखनऊ जल संस्थान से संबंधित कार्यों का निस्तारण कराया गया है। जलापूर्ति के संबंध में पेयजल का प्रतिदिन परीक्षण किया जाता है और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

नलकूप एवं हैण्डपम्पों के रिबोर कराने आदि का कार्य नागर निकाय के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई आदि के संबंध में नगर निगम, लखनऊ को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर की पेयजल समस्या के अन्तर्गत हैण्डपम्प आदि की व्यवस्था करने की मांग

72-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधान सभा क्षेत्र कानपुर नगर में पेयजल की समस्या को देखते हुए इण्डिया मार्का-2, 200 हैण्डपम्प लगवाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

पूर्वी (कैण्ट) विधान सभा क्षेत्र कानपुर में वर्ष 2005-06 व 2006-07 में 200-200 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त उक्त विधान सभा क्षेत्र में 35 नलकूपों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

74वें संविधान संशोधन के पश्चात नागर स्थानीय निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु शासन द्वारा कोई अनुदान की धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है। वे अवस्थापना सुविधाओं का विकास अपने संसाधनों से स्वयं कराते हैं। यदि जल संस्थान/नगर निगम द्वारा रिवाल्विंग फण्ड से ऋण की मांग हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु की जायेगी, तो स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, आज की कार्यसूची में दो अल्पसूचित प्रश्न तथा 11 तारांकित प्रश्न लगे थे। अल्पसूचित प्रश्नों के लिये 20 मिनट का समय निर्धारित है तथा तारांकित प्रश्नों के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित है नियमावली में। मान्यवर, आप देखें कि अगर एक एक प्रश्न पर 40-40 मिनट का समय ले लिया जायेगा तो बाकी सारे लोगों के अधिकार इस तरह से छिन जायेंगे जिनके

तारांकित प्रश्न लगे हैं। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल आज लगा था तारांकित प्रश्न के रूप में। वह नहीं आ पाया है। मान्यवर, जो प्रक्रिया है उसके अनुसार मूल प्रश्नकर्ता के साथ केवल दो प्रश्न सप्लीमेंट्री के रूप में एलाऊ किये जाते रहे हैं। अगर इसी प्रकार से 40-40 मिनट का समय एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पर लग जायेगा तो बाकी सभी सदस्यों का अधिकार छिन जायेगा। मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि जितने भी कार्यसूची में प्रश्न लिये गये हैं उन सभी लोगों को प्रश्नोत्तर का अवसर मिलना चाहिये ताकि उन सबके प्रश्न टेक अप किये जा सकें और उनके उत्तर हो सकें और वह लोग भी सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकें और यह पूरा सदन तथा पूरा प्रदेश यह जान सके कि विधान सभा में क्या प्रश्न हुआ। मान्यवर, आपका हम लोगों को इस पर संरक्षण मिले। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आपसे यह भी व्यवस्था चाहता हूं कि जो हमारे प्रश्न रह गये हैं उसको कल की कार्यसूची में प्राथमिकता के आधार पर टेक अप करा लें।

श्री अध्यक्ष-

इसके बारे में मैं आप सबका सहयोग जरूर चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी प्रश्न आयें उनके सरकार उत्तर दे। मेरा बराबर प्रयास रहा है लेकिन सहयोग आपका जरूर चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न की जो बात है वह तो हम आपके सम्मान के लिये करते हैं। यह मैं चाहता हूं कि जितने प्रश्न आयें सरकार की तरफ से सबके उत्तर आयें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप कृपया प्रश्नों के संबंध में नियमावली में जो व्यवस्था है उसे देखने का कष्ट करें। मान्यवर, इसमें आपने 29 (4) में प्राविधान किया है कि यदि दो से अधिक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न होते हैं तो उन्हें आप तारांकित प्रश्न में परिवर्तित कर देते हैं। इसका भाव यह है कि सारे चयनियत प्रश्नों के उत्तर यहां पर आ जायें। किसी प्रश्न का उत्तर यदि मंत्री जी नहीं देते हैं, उसके लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है कि क्या उत्तर दें। मान्यवर, किसी प्रश्न पर पूरे सदन को हाईजैक करके उस पर 40-40 मिनट का समय ले लेना यह तो दूसरे सदस्यों के अधिकारों का हनन है। मान्यवर प्रश्नकाल के लिये एक घंटे बीस मिनट का समय निर्धारित है। बीस मिनट का समय आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के लिए देते हैं बाकी एक घंटे का समय तारांकित प्रश्नों के लिये देते हैं। किसी प्रश्न की महत्ता के बारे में मैं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूं वह भी महत्वपूर्ण था। लेकिन जो दूसरे सारे के सारे सदस्यों के प्रश्न लगे हुए हैं उनका अधिकार है कि वह सरकार से उसका उत्तर लें। आज पहला दिन है। इसके बाद पूरे महीने भर विधान सभा चलनी है। आप इसमें अपना हमें संरक्षण दें।

श्री अध्यक्ष-

भविष्य में आपकी भावनाओं का आदर करते हुए पूरी तरह से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर आयें इसके लिए प्रयास किया जायेगा।

अब इसके बाद जो नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनको मैं लेता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02, जुलाई, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रदूषित पेयजल पीने से फैल रही संक्रामक बीमारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री उदय राज यादव की जनपद उन्नाव के कुछ मार्गों के नवीनीकरण/मरम्मत हेतु वर्ष 2006-2007 में अवमुक्त किये गये धन के दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की राजधानी लखनऊ में "मा0 कांशीराम अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल" (स्पोर्ट्स स्टेडियम) के नाम से लम्बित परियोजना पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री राम प्रकाश कुशवाहा की छत्रपति साहू जी महराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में की जा रही घोर अनियमितताओं की जांच कराकर कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2004-05 की जिला योजना के पर्यटन मद में कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये शासकीय धन के कथित अपव्यय की तकनीकी समिति द्वारा मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री राम बिशुन आजाद की जनपद गोण्डा के रामगढ़-टिकरी रेंज में वनाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा घनिंग एवं परमिट के नाम पर एवं अन्य अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की ग्राम सरॉय लाल्लूका छितौना (विजली पुरा क्षेत्र) जनपद शाहजहांपुर में चकबन्दी न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(सदन के सहमति से श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की सूचना को छोड़कर शेष सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

लखनऊ मध्य क्षेत्र में प्रदूषित पेयजल से संक्रामक बीमारी उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विशेषकर मध्य विधान सभा क्षेत्र में प्रदूषित पेयजल पीने के कारण संक्रामक बीमारी फैलती जा रही हैं। क्षेत्र के पुराने इलाकों में कई लोगों की मृत्यु भी हो गयी है और अनेक लोग अस्पतालों में पहले से भर्ती हैं और लगातार भर्ती होते जा रहे हैं। प्रायः गर्मी के बाद होने वाली बरसात से संक्रामक रोग सम्भावनायें बढ़ जाती हैं लेकिन इस बार पहले से ही पुराने लखनऊ के अनेक हिस्से भयंकर संक्रामक रोग की चपेट में आ गये हैं। इसका मुख्य कारण है गन्दगी, दूषित पेयजल की सप्लाई तथा बाजारों में कटे हुए फलों एवं सब्जियों की बिक्री। जल संस्थान शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने में असमर्थ है क्योंकि अनेक जगहों

पर पुरानी पानी की पाइप लाइनों में लीकेज है और अनेक स्थानों पर सीवर और पानी की लाइनें पास-पास होने के कारण दोनों में लीकेज होने के कारण सीवर और पीने का पानी मिल जाता है। इन सब बातों की जानकारी होने के बाद भी जल संस्थान इनको ठीक नहीं करा रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद उन्नाव के कुछ मार्गों के नवीनीकरण/मरम्मत हेतु वर्ष 2006-07 में अवमुक्त किये गये धन के दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री उदयराज यादव-

[अध्यक्ष महोदय, अवगत कराना है कि शासन द्वारा वर्ष 2006-07 में जनपद उन्नाव में कुछ मार्गों के नवीनीकरण तथा मरम्मत हेतु स्वीकृत जारी करते हुए धन अवमुक्त किया गया था। विभाग द्वारा उनमें से कई मार्गों की मरम्मत व नवीनीकरण न कराकर धन खर्च कर दिया गया है, तथा शासन को जो सूचना भेजी गयी है उसमें मार्गों पर कार्य पूर्ण करवा दिया गया दिखाया गया है। उदाहरण के रूप में हेलौली से ग्राम कुटी खेड़ा तक 4 किमी0 मार्ग की मरम्मत तथा नवीनीकरण हेतु लगभग 7 लाख रु0 स्वीकृत हुए थे उक्त मार्ग पर कोई भी कार्य नही कराया गया है। साथ ही धन खर्च हो चुका है, शासन को जो सूचना भेजी गई है उसमें कार्य पूर्ण हुआ दिखा दिया गया है। जो गलत है।

कृपया इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय।]

लखनऊ में "मा0 काशीराम अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल" (स्पोर्ट्स स्टेडियम) की लम्बित परियोजना पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री आर0 के0 चौधरी-

[अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों (नेशनल गेम्स) का आयोजन होना है परन्तु राजधानी लखनऊ में ऐसा कोई क्रीड़ा संकुल (बड़ा स्टेडियम) नहीं है जहां एक ही जगह लगभग सभी राष्ट्रीय खेलों को आयोजित किया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज-गोसाईगंज के बीच मुख्य राजमार्ग पर ग्राम पंचायत खुजौली में खेल विभाग द्वारा लगभग 62 एकड़ ग्राम समाज की जमीन ली जा चुकी है। इसी 62 एकड़ जमीन में सामाजिक परिवर्तन के महानायक "मा0 कांशीराम जी के नाम एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल" लगभग 84 करोड़ रुपये लागत की बड़ी परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना पर फरवरी, 2007 में निर्माण कार्य प्रारम्भ होना था। परन्तु उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव की घोषणा हो जाने से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे आग्रह है कि राजधानी लखनऊ में "मा0 कांशीराम अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल" के नाम से लम्बित परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें, जिससे प्रदेश के लाखों होनहार खिलाड़ियों के भविष्य निर्माण का रास्ता सुगम हो सके।]

छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराकर कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री राम प्रकाश कुशवाहा-**

[अध्यक्ष महोदय, अवगत कराना है कि श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संपूर्ण उ0प्र0 की बी0एड0 प्रवेश परीक्षा करवाई जा रही है। 2006-07 में बी0एड0 मैनेजमेंट कोटा समाप्त कर दिया गया था, फिर भी उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और उनके आधीनस्थ अधिकारियों ने कुछ महाविद्यालयों को प्रबन्धतंत्रीय कोटा के तहत पचास प्रतिशत प्रवेश करने की अनुमति दी। परीक्षा से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण व गोपनीय कार्य गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी एक निजी संस्था को दिए गये हैं। इससे लगातार परीक्षा की गोपनीयता भंग हो रही है। तथ्यों से परिलक्षित है कि उपरोक्त विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित कर्रवाई की जा रही बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में गंभीर भ्रष्टाचार व्याप्त है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार मय किया जा रहा है। कुपात्र को पात्र और सुपात्र अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित करके गत वर्ष कि भांति इस वर्ष भी प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य पर कुठाराघात किया जा रहा है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकहित के महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त विश्वविद्यालय द्वारा बी0एड0, प्रवेश परीक्षा में की जा रही घोर अनियमितताओं की जांच कराके कठोर कार्यवाही सुनिश्चित का मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2004-2005 की जिला योजना के पर्यटन मद में कार्यवाही संस्था द्वारा शासकीय धन के अपव्यय की तकनीकी समिति द्वारा मूल्यांकन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, जनपद प्रतापगढ़ वित्तीय वर्ष 2004-05 की जिला योजना के पर्यटन मद में बेलहा देवी मन्दिर में जल विद्युत व्यवस्था हेतु 2.68 लाख एवं मुजाही देवी धाम के पर्यटन विकास हेतु 2.76 लाख रुपया कार्यदायी संस्था सी एण्ड डी शून्य एस0 वी0/यां0 उ0 प्र0 जल निगम इलाहाबाद को स्वीकृति एवं उपलब्ध धनराशि से आदि तक कार्य नहीं शुरू किया गया। कार्यदायी संस्था भी उपयुक्त नहीं है। विभाग को किसी अन्य कार्यदायी संस्था को धन उपलब्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कराने एवं तत्काल कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही करनी चाहिए थी जो नहीं हुई और जनहित का कार्य प्रभावित हुआ। इसी प्रकार उपरोक्त संस्था द्वारा कुण्डाधाम ब्लाक पट्टी के पर्यटन विकास हेतु 5.66 लाख प्राप्त किया गया परन्तु लगभग 1.50 लाख रुपये का अनुमानित कार्य करके शेष धन खा लिया गया। जिसका स्थलीय सत्यापन एवं तकनीकी समिति द्वारा मूल्यांकन आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा में रामगढ़ टिकरी रेन्ज में वनाधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा थिनिंग एवं परमिट के नाम पर अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जाँच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम बिशुन आजाद-

[अध्यक्ष महोदय, देवी पाटन मण्डल के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के रामगढ टिकरी रेंज में वनाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा थिनिंग एवं परमिट के नाम व्यापक धांधली की जा रही है इस कारण वन सम्पदा को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है थिनिंग के नाम पर मानक के विपरीत पेड़ों की कटाई कराई गई, थिनिंग की लकड़ी नीलाम अथवा वन निगम को स्थानान्तरित न कर अधिकारियों की मिलीभगत से औने-पौने दामों में बेच दिया गया था।

वन सीमा से सटे हुए गांव में कटान परमिट जारी करते समय कटान स्थल एवं वन सीमा के बीच दूरी भ्रामक रूप में दर्शाकर परमिट जारी किया गया है। वनाधिकारी के मिलीभगत से लकड़ी कटान परमिट से अधिक पेड़ कटवाये जाते हैं। काश्तकारों की लकड़ी जिस स्थान पर होती है बिना लोडिंग के अन्य स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा काश्तकारों की परमिट कटान लकड़ी इकट्ठा करते हैं ट्रकों की लोडिंग परमिट उसी स्थान पर बनायी जाती है वनाधिकारियों की सह से ठेकेदारों द्वारा व्यापार कर की चोरी जानबूझकर करवाया जाता है। जिसमें सरकार को राजस्व की भारी क्षति हो रही है उच्च स्तरीय जांच कराना अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य देने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर में ग्राम सराय लाल्लूका छितौना (विजलीपुरा क्षेत्र) में चकबन्दी न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अध्यक्ष महोदय, ग्राम सराय लाल्लूका छितौना (विजली पुरा क्षेत्र) ब्लाक भावल खेड, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर में चकबन्दी कराने के आदेश 2 वर्ष पूर्व पारित होने के बाद भी अभी तक चकबन्दी नहीं हो सकी, इस क्षेत्र में रास्ता नहीं है कुछ दबंग लोग छोटे लोगों की जमीनें नाजायज तौर पर कब्जा किये हुए हैं, रास्ता न होने पर खेतों में से निकलने के कारण अक्सर

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विवाद, गाली गलौज होता है परन्तु कुछ लोगों के नाजायज प्रभाव डालने तथा स्थानीय स्तर पर चकबन्दी के अधिकारियों की रुचि ना होने के कारण चकबन्दी में देरी हो रही हैं जनहित में इस क्षेत्र में चकबन्दी होना अत्यन्त आवश्यक है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्र में तत्काल चकबन्दी करवा दें ताकि रास्ते के साथ-साथ क्षेत्र में शान्ति हो सके।]

चौदहवीं विधान सभा के अन्तिम सत्र में तत्कालीन नेता सदन द्वारा प्रत्येक विधायक को 200-200 हैण्डपम्प व सात कि0 मी0 सड़क दिये जाने की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु बजट में धन का प्राविधान न किये जाने तथा वर्तमान सरकार द्वारा सत्तापक्ष के विधायकों से दस-दस करोड़ रुपये के विकास प्रस्ताव मांगे जाने के सम्बन्ध मे औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 2 जुलाई, 2007 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल एक सूचना प्राप्त हुई श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल और श्री अम्बिका चौधरी जी की चौदहवीं विधान सभा के अन्तिम सत्र में तत्कालीन नेता सदन द्वारा प्रत्येक विधायक को 200-200 हैण्डपम्प व 7 कि0मी0 सड़क दिये जाने की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु बजट में धन का प्राविधान न किये जाने तथा मौजूदा सरकार द्वारा सत्ता पक्ष के विधायकों से दस-दस करोड़ रुपये के विकास प्रस्ताव मांगे जाने के सम्बन्ध में है।

माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी, बताइये कहां प्राप्यता है ?

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह औचित्य के प्रश्न का कारण बनता है। पिछली विधान सभा के अन्तिम सत्र में तत्कालीन नेता सदन ने इस सदन में घोषणा करी थी। कांग्रेस के माननीय प्रमोद तिवारी जी ने यह बात उठायी थी कि प्रत्येक विधायक को उसके क्षेत्र में 200 हैण्डपम्प, इसमें मिस्टेक से 2 छप गया है, और 7 कि0मी0 सड़क तथा विधायक निधि एक करोड़ से सवा करोड़ कर दी जायेगी। श्रीमन्, विधायक निधि का उस समय लागू हो गया था और माननीय विधायकों ने उस समय एक करोड़ का सवा करोड़ जारी कर दिया था और बजट में भी आया है विधायक निधि एक करोड़ से सवा करोड़ कर दी गयी लेकिन दो घोषणाएं जो पूरे सदन के लिये थीं, सभी सम्मानित विधायकों के लिये थी कि 200 हैण्डपम्प उनके क्षेत्र में लगे और 7 कि0मी0 सड़क बने। तो इस सदन की घोषणा थी, सदन की सम्पत्ति हो गयी। सदन की सम्पत्ति होने के कारण उसका पालन करने का कर्त्तव्य सरकार को हो गया। बजट में उसका प्राविधान भी हो गया। उस समय आचारसंहिता लग गयी थी इस कारण उस बजट को पी0एल0ए0 खाते में डाल दिया गया। आज उत्तर प्रदेश का करीब 7 हजार करोड़ रुपया पी0एल0ए0 खाते में पड़ा हुआ है क्योंकि आचार संहिता लागू हो गयी थी। इस कारण से योजना लागू नहीं हो पायी। लेकिन मौजूदा सरकार ने अपने बजट में इन घोषणाओं के सम्बन्ध में न तो स्पष्ट किया, न ही इस बात से इंकार किया। दोनों चीजों में एक चीज तो आनी चाहिए। यदि इंकार करें तो बतायें कि कारण क्या है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जो प्रदेश का बजट होता है, उसका अर्थ यह होता है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो। हर विधायक चाहे वह सत्तापक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसका यह अधिकार है कि वह बजट को क्षेत्र में योजनाओं में लगा सके। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि सरकार ने सत्ता पक्ष के विधायकों से कह दिया कि आप लोग अपने-अपने क्षेत्र की 10-10 करोड़ की विकास योजनाएं दे दीजिये। यदि यह बात सही है तो यह सदन का अपमान है, बाकी विधायकों का अपमान है। क्योंकि आज तक जितनी भी घोषणायें की गयी हैं वह केवल सत्तापक्ष के लिये नहीं की गयी हैं। घोषणा पूरे सदन के लिये की गयी है। विधायक विधायक होता है, यह अलग बात है कि कोई सत्ता पक्ष में है और कोई विपक्ष में है लेकिन योजनाओं का हिस्सा हर क्षेत्र में होना चाहिये सरकार की अगर इस तरह की नीति है तो इसका मतलब विपक्ष के अधिकारों का हनन हो रहा है, यह नियमावली और संविधान में इस बात का उल्लेख है कि जिस बात को सदन में कह दिया जायेगा, वह सदन की सम्पत्ति हो जायेगी। यदि इसको लागू नहीं किया जायेगा तो संविधान को एक तरह से तोड़ा जा रहा है, नियमावली के नियमों को विनियमित किया जा रहा है। इसी कारण इस विषय को मैं औचित्य में लाया हूं क्योंकि यह सदन की घोषणा है। जिस समय यह घोषणा हुयी थी, आप सभी इधर बैठे हुये थे, लालजी वर्मा बैठे हुये थे, रामवीर जी भी बैठे हुये थे, इन्द्रजीत सरोज जी भी थे, फागू चौहान जी भी थे, सभी के लिये यह घोषणा हुयी थी। मैं चाहता हूं कि माननीय वर्मा जी सदन की घोषणा का उपहास न बनायें। सरकार बदलने से घोषणायें बदल जायें, ऐसा नहीं होता है। सरकार बदलने से सदन में कही बात को तोड़ दिया जाय, ऐसा भी नहीं होता है अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप इसका कारण सदन में स्पष्ट करें। आप अकेले निर्णय ले लें, यह भी उचित नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से औचित्य के तीनों विषयों पर स्थिति स्पष्ट कराना चाहता हूं और चर्चा कराना चाहता हूं।

* श्री अम्बिका चौधरी-

मेरी नोटिस है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इसमें से कोई भी बात दोहरानी नहीं है। मैं सिर्फ दो बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। श्रीमन्, संविधान में आर्टीकिल 168 में विधान मंडलों के गठन के साथ ही, इसको जो प्राप्त शक्तियां हैं, उसमें इसकी सर्वोच्चता सबसे ऊपर है। सातवीं अनुसूची में जो विषय हमारे लिये निश्चित है, उसमें सदन सर्वोच्च है और इसके ऊपर कोई दूसरी चीज हावी नहीं हो सकती। हमारे अपने विकास के लिये, जो भी प्रस्ताव यहां रखे जाते हैं और जो भी चीजें सदन में आ जाती हैं उनको सदन के बाहर से कहीं काटपीट कर कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। इतनी बात मुझे नियम और संविधान के बारे में कहनी है। अब अनुरोध आपसे यह है कि सरकार एक निरन्तर प्रक्रिया है। कु0 मायावती जी मुख्य मंत्री थीं, उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री हुये, पुनः कु0 मायावती जी हुयी हैं, पुनः कोई मुख्य मंत्री होगा, इसके पहले भी कोई मुख्य मंत्री था, इसके बाद भी कोई मुख्य मंत्री होगा। सरकार निरन्तर प्रक्रिया है, पहले आजम साहब वहां बैठते थे आज लालजी वर्मा जी बैठे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन श्रीमन् यह निजी सम्पत्ति के प्रबन्ध की तरह से विधान सभा में कही गयी बातों का इंतजाम नहीं हो सकता। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि यह लालजी वर्मा ने कहा था, हमसे क्या मतलब, यह जगदीश राय जी ने कहा था, हमसे क्या मतलब। श्रीमन् सरकारों का जो कमिटमेंट है, वह प्रत्येक अवसर पर एक सरकार की कही गयी बात, सदन में जो बात कही गयी है वह दूसरी सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। सरकार स्वतंत्र है अपनी नीतियों के निर्धारण के लिये, अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने के लिये और अपनी प्राथमिकतायें तय करने में वह दूसरी कोई प्राथमिकता बदल सकती है। इसमें हमको कोई दूसरी बात नहीं कहनी लेकिन जो घोषणा हो गयी और प्रत्येक सदस्य के लिये बराबर रूप से लागू थी, उससे मुकरने का अधिकार संविधान में, जो मान्य और स्थापित परम्परायें हैं उनके अनुसार इस सरकार को नहीं है इसलिये यह नियमों और संविधान के प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति बन रही है। इसलिए औचित्य के प्रश्न के रूप में इसे आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। सदन के सभी सदस्यों को समान अधिकार देते हुये, प्रत्येक विधान सभा सदस्य के प्रस्ताव पर 7 किमी0 सड़क और प्रत्येक विधान सभा सदस्य के प्रस्ताव पर 200 हैण्डपम्प की स्थापना। श्रीमन्, इनके बारे में अगर हमारी जानकारी थोड़ी हो तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह बतायें फिर उसके बाद हमारे प्रश्न को आप चाहे ग्राह्य करें और चाहे अग्राह्य करें। लेकिन परम्पराओं का उल्लंघन होगा, इस पर मैं विशेष रूप से अनुग्रह चाहूंगा।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय गौरी शंकर जी, केवल दो मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, सीधी बात यही है कि इस औचित्य के प्रश्न पर सभी माननीय सदस्यगणों की रुचि निहित है। ऐसा नहीं हो सकता कि पेयजल का संकट किसी एक क्षेत्र विशेष में होता हो इसलिए सभी माननीय सदस्यों के ऊपर इसका दबाव रहता है और इससे सभी लोग ग्रसित हैं। मान्यवर, जब यह प्रावधान किया गया तो पूरे प्रदेश के पेयजल संकट के निवारण के लिए था। इसी प्रकार से सड़कों के निर्माण का भी सभी माननीय सदस्यगणों के ऊपर दबाव रहता है, इसमें बहुत लम्बी-चौड़ी बहस की आवश्यकता नहीं है। मेरा इस विषय पर बलपूर्वक निवेदन है कि जो घोषणा की गई थी, जो घोषणा पूर्व सरकार ने की है, उसको किसी तरह से ठण्डे बस्ते में नहीं डाला जाना चाहिए मान्यवर, बहुत लम्बे समय से मैं भी विधायक हूं जो भी घोषणा होती है वह विधान परिषद् तक के माननीय सदस्यों पर भी लागू होती है और उसका लाभ सभी माननीय सदस्यों को मिलता है, इसलिए मैं इस पर विशेष बल देते हुए कहता हूं कि इसे लागू किया जाए।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, निश्चित तौर पर अगर किसी नये सदस्य ने इस तरह का प्रश्न औचित्य के माध्यम से उठाया होता तो हमें कुछ नहीं कहना था लेकिन मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल, चौधरी साहब और माननीय गौरी शंकर जी जो कि इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, इस विषय को

औचित्य के प्रश्न के रूप में उठा रहे हैं। माननीय सदस्य मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे कि किस नियम के किस खण्ड के अनुसार यह औचित्य का प्रश्न बनता है ? विधान सभा में कोई घोषणा होती है तो उसके लिए समितियां बनी हैं, उसके अनुसार जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से मान्यवर, निश्चित रूप से यह कहीं दूर-दूर तक भी औचित्य का प्रश्न नहीं है और उसके नजदीक तक भी नहीं पहुंचता है। जहां तक माननीय नरेश अग्रवाल जी ने दो-तीन बातें कही हैं, उसमें एक बात तो यह कही कि मुलायम सिंह यादव ने सवा करोड़ की विधायक निधि की घोषणा की थी। मान्यवर, मैं भी सदन में था, घोषणा हुई थी और उसके बाद जो शासनादेश जारी हुआ उसको क्या आपने पढ़ा था ? उसमें सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि यदि विधायक निधि में कहीं अवशेष बचा हो तो जिस विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा काम है, उस क्षेत्र में उसे आवंटित कर दिया जाए। मान्यवर, कोई अतिरिक्त घोषणा नहीं हुई, शासनादेश भ्रमित करने वाला हुआ, कहीं भी किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की गई। कोई सदन का सदस्य कह दे कि ऐसा शासनादेश जारी हुआ और पैसा दिया गया तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा। माननीय नरेश अग्रवाल जी को तो स्वागत करना चाहिए था कि आपने घोषणा की थी लेकिन कार्यान्वयन नहीं किया था, शासनादेश भ्रमित करने वाला निकाला था लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने घोषणा नहीं की थी लेकिन पहले ही दिन इस बात का प्रावधान कर दिया। जहां तक दूसरी बात अग्रवाल साहब ने कही है कि सत्तापक्ष के विधायकों से 10-10 करोड़ की योजनाएं मांगी गयी हैं तो मान्यवर, मैंने उसी दिन सदन में कार्य-स्थगन के माध्यम से कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य से अलग से चाहे वह सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का कोई भी कार्य योजना नहीं मांगी गयी है, कार्यहित में किसी कार्य को वित्तीय स्थिति को देखते हुए स्वीकृत किया जा सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है। कोई भी प्रस्ताव अलग से नहीं मांगा गया है, इस बात को मैं साफ करना चाहता हूं। मान्यवर, जो भी बिन्दु उठाये गये हैं, उनके आधार पर यह नियम-300 में नहीं आता है इसलिए मान्यवर, इस नियम-300 की नोटिस को अग्राह्य करें। जहां तक जो अन्य कार्यों से सम्बन्धित प्रश्न हैं, बजट पर सामान्य चर्चा कल से प्रारम्भ होगी, उसका नेता प्रतिपक्ष प्रारम्भ करेंगे और माननीया नेता सदन उत्तर देंगी। उस समय भी समस्यायें आयेंगी निश्चित रूप से उसका उत्तर भाषण में जवाब आ जायेगा या आगे चलकर विभागीय अनुदान की मांग होगी उस समय चर्चा करने का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिये निवेदन करूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस पर श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, मा0 अम्बिका चौधरी व श्री गौरी शंकर एडवोकेट जी को सुना। यह सूचना नियम-300 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, दो चीजों पर सरकार नीति तो बता दे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल जी बैठिये। सूचना निरस्त हो गयी है, अब अगला मद लेने दें।

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 29 जून, 2007 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 29 जून, 2007 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 जून, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 व 5 में कुछ नहीं है।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 जून, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 2 जुलाई से 27 जुलाई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :--

1-दिनांक 3, 4, 5 व 6 जुलाई, 2007 को आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के दिन नियम-56 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

2-दिनांक 02 जुलाई, 2007 से दिनांक 27 जुलाई, 2007 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

जुलाई, 2007

02 सोमवार निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :--

1-उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।

2-उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।

03 मंगलवार
04 बुधवार
05 गुरुवार
06 शुक्रवार
} वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

07 शनिवार 08 रविवार	बैठक नहीं होगी।
09 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।
10 मंगलवार 11 बुधवार 12 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।
13 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)।
14 शनिवार 15 रविवार	बैठक नहीं होगी।
16 सोमवार 17 मंगलवार 18 बुधवार 19 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।
20 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)।
21 शनिवार 22 रविवार	बैठक नहीं होगी।
23 सोमवार 24 मंगलवार 25 बुधवार 26 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।
27 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान। <u>2-3.00 बजे अपराह्न</u> उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

आज की कार्यसूची के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कार्यसूची के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है। आज की जो कार्यसूची है उसमें नियम-51 का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-19 में नियम-51 की सूचना है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2007-2008 की "लोक लेखा समिति" "प्राक्कलन समिति" "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एंव निगम संयुक्त समिति" तथा "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति" और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना तथा नामित किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2007-2008 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं नियम संयुक्त समिति" तथा "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति" और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

1.	नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	सोमवार, 09 जुलाई, 2007 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2.	नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	मंगलवार 10 जुलाई, 2007 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)

3.	नामों की वापसी की तिथि तथा समय	गुरुवार 12 जुलाई, 2007 को समय अपराह्न 4.00 बजे तक
4.	निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान	
	(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति के लिये	गुरुवार 19 जुलाई, 2007
	(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों के लिये	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या 44-ख में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह अधिकार आपको मिल जाय। कहां चुनाव करायेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव रख दीजिए। अध्यक्ष जी को अधिकार मिल जायेगा।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने आपको अधिकार देने के लिए प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिन समितियों के निर्वाचन की सूचना आपने दी है उन समितियों के लिए सभी सदस्यों को आप स्वयं नामित कर दें और आपके द्वारा जो नामित सदस्य होंगे वह इस सदन द्वारा विधिवत निर्वाचित माने जायेंगे।

इसी के साथ-साथ आगे अगर आकस्मिक रिक्ति होगी उसके लिए भी आपको प्राधिकृत किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा समितियों के गठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव लाया गया है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 †

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 †

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 20-8-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02 जुलाई, 2007 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री उदयभान करवरिया की जनपद कौशाम्बी में यमुना नदी में डूबकर 26 लोगों के मरने तथा जनपद मिर्जापुर में लोगों के गंगा नदी में डूबने से घटित घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी, श्री नरेश अग्रवाल, डा0 कौशल किशोर, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश में कथित रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के विरुद्ध फर्जी मुकदमें पंजीकृत कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप जैन आदित्य की प्रदेश में खाद्य पदार्थों में विशेषतः दूध एवं फलों में जहरीले केमिकल एवं प्रतिबंधित दवाओं के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री हुकुम सिंह की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली के जर्जर होने तथा रख-रखाव एवं सफाई के लिये कार्य करने वाली संस्था के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की प्रदेश में वनों एवं वृक्षों के अंधाधुंध कटान से पर्यावरण का उत्पन्न गम्भीर संकट तथा जनान्दोलन के रूप में वृक्षारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन्स में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या- 365/07 में प्रभावी कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री उदयराज यादव की जनपद उन्नाव में पेयजल संकट तथा खराब इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुईं। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री दीप नारायण सिंह, डा0 अनिल चौधरी तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल।

* श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद कौशाम्बी में 22 जून, 2007 को एक ऐसी घटना घटी जिस घटना के लिये सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि आगे उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। यह पहली बार घटी घटना नहीं थी। इस घटना के चार-पांच दिन पहले भी गंगा नदी में नाव से डूबकर 4-5 लोग मर गये थे। 22 जून की जो घटना घटी वह इतनी हृदय विदारक् थी। एक नाव में जिसकी क्षमता मात्र 10 लोगों को बैठाने की थी उसमें 26 लोगों को बैठाया गया और यह जो 26 लोगों को बैठाया गया यह लोग शुभ कार्य के लिये अवघन घाट,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसकी सरकारी नीलामी की जाती है। ऐसा नहीं है कि यह वह घाट हो जिससे सरकार को कोई राजस्व प्राप्त न होता हो। सरकार के द्वारा ही उसकी नीलामी की जाती है और नीलामी से सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है। नाव में 26 लोगों को बैठाकर यमुना जी के दूसरे किनारे आमलिया घाट पर मुण्डन संस्कार के लिये नातेदार, रिश्तेदार सवार होकर चल दिये। मुण्डन संस्कार भी हुआ और सभी परिवारीजन हंसते, गाते, खेलते उसी नाव पर सवार होकर वापस अवघन घाट के किनारे पर पहुंचे थे कि 26 के 26 लोग यमुना नदी में डूब गये। केवल नेग लेने के चक्कर में उस नाव को दुर्घटनाग्रस्त किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उस नाव में चार ऐसे अबोध बच्चों की मृत्यु हो गई जिनको यह भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। नाव पर 26 लोग थे जिसमें से 17 डेड बॉडी रिकवर हुई है। बाकी डेड बॉडी कहां गई इसको किसी ने भी खोजने की कोशिश नहीं की। यह मामूली घाट नहीं था। इलाहाबाद, कौशाम्बी में ही नहीं अन्य जगहों पर भी इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं उसी दिन मिर्जापुर में नाव डूबने से 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई।

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। इसमें शासन को कम से कम इतनी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए कि जहां से राजस्व की प्राप्ति हो रही है वहां पर, इस प्रकार के घाटों पर शासकीय व्यवस्था की जाती है ताकि इस प्रकार की घटना न हो और पूर्व की घटना की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। नाव में जितनी क्षमता है उतने लोग नहीं बैठते हैं क्षमता से तीन गुना सवारी बैठा ली जाती है। इसमें शासकीय व्यवस्था न होने के कारण घाटों पर कोई रोकने वाला नहीं है। 10 सवारी के बैठने की क्षमता होती है और 26 लोगों को बैठा लिया जाता है इसमें, मैं दो चीजें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। यमुना जी और गंगा जी में ही दुर्घटना होने की बात नहीं है बल्कि आए दिन क्षेत्र में डग्गामार वाहन चलते हैं जिसमें किसी भी तरह से लटककर लोग बैठ जाते हैं। ...

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी बात आ गई है।

श्री उदयभान करवरिया-

अगर कहीं पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या घायल हो जाता है तो कोई न कोई मंत्री वहां पहुंचता है। उसके परिवार को सांत्वना देता है यहां 17 लोगों की डेड बॉडी निकली, 26 लोगों की एक स्थान पर मृत्यु हो गई लेकिन शासन सत्ता की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी घटना दुबारा न हो इसके लिए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो परिवार पूरे के पूरे समाप्त हो गये या अपने पीछे अबोध बच्चों को छोड़ गये हैं।..

श्री अध्यक्ष-

पूरी बात आ गई है।

श्री उदयभान करवरिया-

अगर किसी दल विशेष का कोई कार्यकर्ता होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार तुरन्त मुआवजे की घोषणा करती है और यहां 17 लोगों की बॉडी मिली उनके लिए कोई मुआवजा घोषित नहीं किया गया न ही सरकार का कोई मंत्री संवेदनशीलता दिखाने वहां गया।

श्री अध्यक्ष-

यह दुःखद घटना है। सब बातें आ गई हैं। रिपीट करेंगे तो महत्व घट जाएगा।

श्री उदयभान करवरिया-

उन परिवारों के सदस्यों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी जाये और भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, निश्चित रूप से यह दुःखद घटना है इसके लिए सरकार की तरफ से जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। घाटों पर नाव के संचालन को सुनिश्चित किया जाये। क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर कार्यवाही की जाए निश्चित रूप से यह समस्या गम्भीर है। जहां तक नियम-56 की बात है यह इसके अन्तर्गत ग्राह्य योग्य नहीं है।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

कोई मंत्री वहां नहीं गया, क्या इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मिर्जापुर के ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री मिश्रा जी वहां गए थे तो यह सरकार संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त शासन में जो नियमों में व्यवस्था है वह यह है कि दैवी आपदा में सहायता दिए जाने का प्राविधान है दैवी आपदा के अन्तर्गत यह नहीं आता है इसलिए इसको अग्राह्य किया जाता है।

* श्री हुकुम सिंह-

गरीब आदमी सफर करता है। गरीब व्यक्ति के घर में खाने को है या नहीं, नियमों का हवाला दे रहे हैं। अर्निंग सदस्य मर गया। महिलायें रह गईं। बच्चे रह गये। ऐसी स्थिति में नियमों के प्राविधान के बारे में बता रहे हैं कि दैवी आपदा में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष-

दुर्घटनायें हो जाती हैं इसको दिखवा लें। श्री उदयभान करवरिया जी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम-56 में नहीं आता है। इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

श्री उदयभान करवरिया-

मुआवजे की घोषणा कर दें।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली के नियम-56 से 62 तक आप स्वयं देख लें 'अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव', इसमें प्रस्ताव देने की विधि बताई गयी है और विषय दिये हैं और यह सीमा नहीं दी है कि एक दिन में कितने प्रस्ताव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिए जाने चाहिए और कितने पर अध्यक्ष चर्चा करायेंगे। यह बात उठी थी कि बहुत से नये सदस्य आए हैं, वे बहुत सी समस्याएं उठाना चाहते हैं। आपने कहा कि आज हमको 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं, उसमें से दो को स्वीकार किया जाता है, जिस पर सदस्य अपनी भावनाएं व्यक्त कर दें, शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर देंगे। इसी पीठ से परम्परा रही है, मा0 केशरीनाथ त्रिपाठी जी और मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी के जमाने में कभी-कभी 7-7, 8-8, 9-9 मा0 सदस्यों को बोलने का मौका मिला है। यह सकी है कि मा. संसदीय कार्य मंत्री जी यह कह देंगे कि यह नियम-56 में नहीं आती इसलिए इसे अग्राह्य किया जाए लेकिन यह विपक्ष का एक अधिकार है कि हम सरकार के संज्ञान में घटनाओं को लायें और हम उनको नियमों के अन्तर्गत लाते हैं। आपने तो दो की सीमा बांध दी। यह किसी नियम में नहीं दिया है, मैंने सब पढ़ लिया है, उसमें कोई सीमा नहीं दी है। मेरा अनुरोध है कि इस सत्र में जितने मा0 सदस्य अपनी सूचनाएं दे रहे हैं कम से कम उनको सुन लें। बहुत टाइम नहीं लगता है। अभी 1.00 बजा है, नियम-56 शुरू हो गया है। एक समय था जब 2-3 बजे तक कार्य स्थगन चलता था। मेरा अनुरोध है कि आप नई व्यवस्था न बनायें जो पुरानी परम्परा रही है, उसको चलने दें और मा0 सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रखने का मौका दें जिससे लोग अपनी बात कह सकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, अभी इधर जो 2-3 दिन सत्र चला है, मैंने नये सदस्यों को सुनने का प्रयास किया है। प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के अध्याय 5 में दिया है कि "किसी उपवेशन हेतु नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं में से अध्यक्ष अधिकतम 5 ऐसी सूचनाओं को चयनित करेंगे जो नियम-58 तथा 59 की शर्तों को पूरा करती हों और अध्यक्ष के विवेक में महत्वपूर्ण हो।" यह अध्याय 5 में स्पष्ट लिखा है। मा0 अग्रवाल साहब आप इतनी जल्दी शंका न करें। बैठकर तय कर लीजिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, नये सदस्यों को भी बोलने का मौका मिल जाए, दो सूचनाएं तो माननीय नेताओं की ही हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप शंका न करें, आप अपनी सूचना [illegible] चौधरी साहब, आप बोलेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जो कार्य-स्थगन की सूचना नियम-56 के अन्तर्गत मैंने आज प्रस्तुत की है, आपने उसकी ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, आप वरिष्ट सदस्य हैं, नियम-56 की जो सूचना है, उस पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह पूछ लें कि कितनी 56 की सूचनाएं दी हैं ? नियमों में है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे। मा0 अग्रवाल जी की तीन हैं।

श्री हुकुम सिंह-

एक ही विषय पर एक होनी चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे आप 58(1) देखें। "एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे।"

श्री प्रमोद तिवारी-

यह कहीं नहीं है कि एक सदस्य एक उपवेशन में एक सूचना देगा।

श्री लालजी वर्मा-

एक उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं दिये जायेंगे। इसका तात्पर्य कोई हमें समझा दे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं बता रहा हूं। मान्यवर, आप हिन्दी की डिक्शनरी मंगवा लें। एक उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं दिये जायेंगे। एक उपवेशन मतलब एक सिटिंग मतलब एक दिन।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, श्री नरेश अग्रवाल जी ने एक दिन में 3 प्रस्ताव दिये हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर 2-3 हों तो चुनेंगे तो एक ही।

श्री अध्यक्ष-

चलिए ठीक है। इससे नये सदस्यों को एक जानकारी उपलब्ध हो गई।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में एक शासनादेश जारी होने से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके बारे में मैंने यहां कार्य-स्थगन की नोटिस दी है। मान्यवर, एक शासनादेश जारी हुआ। माननीय मुख्य मंत्री के आदेश से कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में जो एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गई हैं उन्हें लिखवाने के लिए विशेष काउण्टर खोले जायें। शासनादेश निर्गत हो गया और जैसी कि आशंका थी कि इस सरकार के पदारूढ़ होते ही इसके एजेण्डे में एक बात जरूर रहेगी कि अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए जितनी भी उत्पीड़न की कार्यवाही हो सकती है वह सबसे पहले की जाएगी। चाहे प्रदेश का भला हो या बुरा हो उससे उसे कोई लेना देना नहीं हैं उस राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न में एक जाति विशेष के लोग मिल जायें तो और उत्तम। और उसमें जितनी कमी रह गई थी ट्रान्सफर पोस्टिंग की इन सारी कमी को दूर करने के

लिए ऐसा किया गया। शासन में बड़े विद्वान लोग हैं और उनसे भी विद्वान लोग मंत्रि-परिषद् में हैं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी0 आर0 पी0 सी0 के सेक्शन 154 में जो लिखा है वह मैं पढ़ देता हूं- एवरी इन्फार्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन आफ ए कांग्नीजेबुल आफेन्स, इफ गिवेन ओरली टू ऐन आफिसर इन चार्ज आफ ए पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूज्ड टू राइटिंग बाइ हिम आर अन्डर हिज डाइरेक्शन, एण्ड बी रीड ओवर टू दी इफारमेन्ट एण्ड एवरी सच इन्फार्मेशन वेदर गिवेन इन राइटिंग आर रिडयूज्ड टू राइटिंग एज अफोरसेड शैल बी साइन्ड बाइ द परसन गिविंग इट एण्ड द सब्सटेन्स देयर आफ शैल बी इन्टर्ड इन ए बुक टू बी केप्ट बाई सच आफिसर इन सच फार्म एज दी स्टेट गवर्नमेन्ट में प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ. मान्यवर, मैं इसका अनुवाद हिन्दी में कर देता हूं। इसमें लिखा है कि किसी अपराध से सम्बन्धित सूचना लिखित रूप में किसी व्यक्ति द्वारा दी जाए और अगर वह लिखित नहीं दी जाती है तो जो स्टेशन अफसर हो वह उस सूचना को संक्षेप में लिखेगा और उस पर दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर किये जायेंगे। उसमें 2-3 शर्तें थीं। लिखित रूप में होनी चाहिये और घटना के सम्बन्ध में होनी चाहिये और पहली सूचना होनी चाहिये। इसी में 154(3) में है-एनी पर्सन अग्रीव्ड बाइ ए रिफ्यूजल आन द पार्ट आफ ऐन आफीसर इनचार्ज आफ ए पुलिस स्टेशन टू रिकार्ड द इन्फार्मेशन रिफर्ड टू इन सब सेक्शन (1) में सेंड द सब्स्टेन्स आफ सच इनफोर्मेशन, इन राइटिंग एण्ड बाई पोस्ट, टू द सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस कन्सर्ड हू इफ सेटिस्फाइड दैट सच इन्फार्मेशन डिस्क्लोजेज द कमीशन आफ ए कांगनीजबिल आफेन्स, शैल इदर इन्वेस्टीगेट द केस हिम सेल्फ आर डाइरेक्ट एन इन्वेस्टीगेशन टू बी मेड बाइ एनी पुलिस आफीसर सुबार्डिनेट टू हिम द मैनर प्रोवाइडेड बाइ दिस कोड, एण्ड सच आफिसर शैल हैव आल द पावर्स आफ एन आफिसर इन चार्ज आफ ए पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट आफेन्स. अगर स्टेशन आफिसर दर्ज नहीं करता है तो पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा या लिखित आधार पर प्रार्थना की जाय और उसका सारांश मूल रूप में उसकी तात्विक बातों का उल्लेख करते हुये पुलिस अधीक्षक को दिया जायेगा। वह उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे या अपने किसी अधीनस्थ से इन्वेस्टीगेशन करायेंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में कई बार परीक्षण की बात आयी थी, एफ0 आई0 आर0 नहीं दर्ज होती है और कब दर्ज होगी, कब तक दर्ज हो सकती है इसमें बड़ी स्पष्टता से कई मामलों में अपनी राय रखी है उसका उद्देश्य बताया है उसमें यह है कि- द आब्जेक्ट आफ दिस सेक्शन इज टू आब्टेन ऐन अर्लि इन्फार्मेशन आफ ऐन अलजिड क्रिमिनल एक्टिविटी, टू रिकार्ड द सर्कमस्टेन्सेज एण्ड द फैक्ट्स बीफोर देयर इज ए टाइम फार देम टू बी इम्बेलिश्ड आर फारगेटन. तात्पर्य एफ0 आई0 आर0 का यह दिया गया कि उतने समय तक दर्ज कर देनी चाहिये कि इसमें अतिरिक्त समय नहीं लगे। और कई केसेज हैं, मैं केस साइट करने के लिये नहीं हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में कहा एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने का तात्पर्य फिक्स नहीं है कि घटना के आधे घंटे के बाद घटना ने एक वर्ष के बाद तक, लेकिन जितना शीघ्रातिशीघ्र हो सके घटना के कग्नेजिबिल आफेंस होने के बाद दर्ज कर देनी चाहिये और इसलिये दर्ज कर देनी चाहिये ताकि वह धूमिल न हो जाय। यह उसका फैसला है। इन साढ़े तीन वर्षों में एफ0 आई0

आर0 नहीं लिखायी गयी। हो सकता है कि सत्ता के प्रभाव में किसी दरोगा ने दर्ज न किया हो लेकिन पुलिस अधीक्षक को डाक से भेज सकता था। डाक पर भेजने पर कोई रोक नहीं थी।

श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, हम लोग यह जानना चाहते हैं कि इन साढ़े तीन वर्षों में चौधरी साहब क्या कर रहे थे ? तब यह किताब उन्होंने क्यों बंद कर रखी थी ? सबका उत्पीड़न करा रहे थे।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

चौरसिया साहब आप बोलो। समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिये उस समय मुकदमा चलाया गया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहिये। आप लोग अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायें। माननीय सदस्य, मिश्रा जी बैठ जायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, तमाम बातें आ गयी हैं। मैं अपनी सूचना पर ही बात रख रहा हूं, इनके प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। तो ऐसी स्थिति में किसका उत्पीड़न हुआ है किसका नहीं हुआ है इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। एक बात कहना चाहता हूं कि वह शासनादेश जारी करके सीधे-सीधे निर्देश गये थे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर चाहे कोई भी मामला न हो लेकिन किसी भी तरह से नये सिरे से एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जाय। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि एफ0 आई0 आर0 किसी भी हालत में दर्ज करने का निर्देश दिया जाना सोलह आना गैर कानूनी है और इस निर्देश का दुरुपयोग हो रहा है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों पर न सिर्फ फर्जी मुकदमें दर्ज करने का सिलसिला शुरू हुआ है बल्कि एक नये तरह का अध्याय शुरू हुआ है, लोकतंत्र की जो मूल भावना है श्रीमन् उसमें किसने किसका कितना उत्पीड़न किया है और कौन कितना कमजोर पाया गया मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। मान्यवर, मैं जानता हूं कि इस सदन में आया हुआ कोई भी सदस्य इतना कमजोर नहीं है कि वह अपनी एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखवा सके। उसकी दरख्वास्त पोस्ट आफिस में जाने लायक नहीं थी या उसकी चिट्ठी जाने लायक नहीं थी। जो पोस्ट आफिस जाने लायक नहीं था, वह सदन में आ गया, आप पुछवा लें।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप लोग माननीय चौधरी साहब की बात की सुनें। आप लोग शान्त होकर बैठ जायें।

*श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, इनसे पूछा जाये कि क्या इनकी सरकार में मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमा नहीं दर्ज करवाया गया था ? दो-ढाई साल हो गये मुझे न्याय नहीं मिला था। आज यह यहां आपत्ति उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब अपनी बात कह रहे हैं, आप लोग बीच-बीच में इस तरह से टोका-टाकी बिल्कुल न करें। चौधरी साहब को अपनी बात कहने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ददूदू प्रसाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, आप इनसे कहें सिर्फ ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं माननीय सदस्य का, जिन्होंने मेरे संज्ञान में लाया कि मुझे सिर्फ ग्राह्यता पर ही बोलना है। मान्यवर, इन परिस्थितियों में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कानून के सारे प्राविधानों की धज्जियां उड़ाते हुये आज समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमें लगाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब आप सिर्फ इसकी ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, मैं जो बात कह रहा हूं वह कपोल-कल्पित नहीं है, मैं यह प्रमाण देना चाहता हूं, रामपुर में श्री मोहम्मद आजम खां के विरुद्ध एक रिपोर्ट 14-06-2007 को कोतवाली रामपुर में दर्ज कराई गयी है, जिसमें डूडा की 500 सिलाई मशीनें तथा 500 कम्बल के दुरुपयोग का मामला है। इसके बाद 3-4 रिपोर्ट जौहर विश्वविद्यालय की भूमि को लेकर श्री मोहम्मद आजम खां के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बरेली में सदस्य राज्यसभा श्री बीरपाल सिंह यादव तथा उनके परिवारजनों के विरुद्ध 28-6-07 को तीन झूठे मुकदमें दर्ज कराये गये हैं तथा 29-6-07 को इन मामलों में एस0 सी0 एस0 टी0 एक्ट को जोड़ा गया। एटा के पूर्व विधायक श्री रामेश्वर सिंह के विरुद्ध लगभग आधा दर्जन झूठे मुकदमें दर्ज कराये गये हैं। एटा के ही पूर्व विधायक श्री राजेन्द्र सिंह चौहान के पुत्र श्री नरेन्द्र चौहान के विरुद्ध फर्जी मुकदमा 30-6-07 को दर्ज कराया गया है और यहीं के पूर्व विधायक श्री शिशुपाल सिंह यादव के विरुद्ध लगभग दो वर्ष पूर्व का एस0सी0एस0टी0 का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामला दर्ज कराया गया है। देवरिया में श्री राम नगीना यादव को 30-6-07 की रात को पुलिस फर्जी मुकदमें में ली गयी और सुबह मुचलके पर छोड़ा। मान्यवर, बदायूं में बनवारी सिंह जी जो सदस्य, विधान परिषद् हैं उनके बेटे के विरुद्ध फर्जी मुकदमा लिखा गया है। इसी तरह से धनीराम वर्मा जी जो पूर्व स्पीकर रहे हैं और जो वर्तमान में विधायक हैं उनके विरुद्ध दो साल पूर्व के मामले में फर्जी मुकदमा लिखा गया है। इसी तरह से प्रतापगढ़ के मामले हैं। (व्यवधान) प्रतापगढ़ की डिटेल मैं बता रहा हूं प्रमोद तिवारी जी से पूछ कर बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोलें। आप पूरे नाम पढ़ रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

इसी तरह से कृष्ण गोपाल जी यहां पर बैठे हुये हैं। इनके बेटे के विरुद्ध फर्जी मुकदमा लिखा गया है।

मान्यवर, यह तो कुछ उदाहरण मात्र हैं।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, ऐसे तो नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी कृपया बैठ जायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप मुझे चुप नहीं करा सकते हैं। यह कोई तरीका नहीं है मान्यवर।

मैं माननीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से बोल रहा हूं अध्यक्ष जी आप किसी की धमकी में मत आइये। मैं किसी की धमकी में नहीं हूं। मैं अध्यक्ष जी की आज्ञा से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, आप लोग बार-बार खड़े होकर टोका-टाकी कर रहे हैं। बिना मेरी अनुमति के खड़े होकर बोल रहे हैं।

इस पर कोई चर्चा तो हो नहीं रही है। इस बीच में टोका-टाकी करने का औचित्य क्या है ? बीच में आपको मौका मिलेगा। आप अपनी बात कहियेगा।

चौधरी साहब एक विषय पर बोल रहे हैं। आपको अनुमति नहीं है। बिना अनुमति के बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं। यह गलत बात है।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, संक्षेप में बोलें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आज राजनीतिक विद्वेष के चलते, पूरे प्रदेश में फर्जी मुकदमों के लिखे जाने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। कानूनी परिभाषा को तोड़-मरोड़ कर नये ढंग से फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट लिखी जा रही है। फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट का यह मतलब नहीं है कि 10

साल बाद 5 साल बाद अचानक किसी को याद आ जाये और उसकी एफ0 आई0 आर0 हो जायेगी। वह घटना होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में जिस तरीके से सूचित होता है वही फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट होती है। मान्यवर, यह जो कानून की गलत परिभाषा की जा रही है उससे पूरे प्रदेश में लोगों में रोष व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष-

क्या एफ0 आई0 आर0 में कोई लिमिटेशन है कहीं ? किताब हो तो देखकर बताइये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन क्या इसकी लिमिटेशन हैं इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में बतायी है। 100 से ज्यादा केस में यह डिसाइडेड है कि लिमिटेशन क्या होगी क्या नहीं होगी। घटे दिन में उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। साढ़े तीन साल तक क्या डाकखाने मान्यवर वंद थे ? वह बंद नहीं थे। 194(3) का उल्लेख आया है। मैं चाहता हूं कि इस शासनादेश को निरस्त किया जाना चाहिये और समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकों और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न तत्काल बंद होना चाहिये नहीं तो पूरे प्रदेश में इससे स्थिति विस्फोटक होगी। लोकतंत्र में अगर राजनीतिक विद्वेष के आधार पर इस तरह से एक दूसरे के विरुद्ध कार्यवाही होगी और शासन में बैठे हुये लोग इस कार्य को इस तरह से करायेंगे तो फिर मान्यवर पूरा का पूरा ढांचा हमारा ध्वस्त हो जायेगा। इससे गम्भीर और विस्फोटक और कोई बात प्रदेश में नहीं हो सकती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करके सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रंगनाथ मिश्रा)-

मान्यवर, अभी हमारे मित्र अम्बिका चौधरी साहब ने कहा एफ0 आई0 आर0 के लिये कि डाक से दे देते अगर दरोगा ने नहीं लिखा तो एसपी के यहां जा सकते थे। मैं यह कहना चाहता हूं इस सदन में।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम के अनुसार सदन चल रहा है तो आप नहीं बोल सकते हैं। मिश्रा जी, आप बैठ जायं।

श्री रंगनाथ मिश्रा-

मान्यवर, उस समय एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं हुई तो क्या वह एफ0 आई0 आर0 अब दर्ज नहीं होगी। इसी सदन में हम चिल्लाते रहे एफ0 आई0 आर0 दर्ज की जाय या सी0 आई0 डी0 की जांच करा दी जाय, क्या आपने किया ?

श्री अध्यक्ष-

मिश्रा जी बैठ जायं। कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने जो आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी या किसी राजनीतिक दल के दमन के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है, यह निराधार है, ऐसी

सरकार की कोई मंशा नहीं है। लेकिन मान्यवर, शासन के संज्ञान में और सरकार को तमाम ऐसी जगहों से यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि 3 वर्षों में उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं की गयी और जिसके आधार पर तमाम प्रयासों के बाद भी और यह सदन भी गवाह है, तमाम यहां पर भी बिन्दु उठाये गये एफ0 आई0 आर0 न लिखे जाने के, इसके साथ ही साथ मैं स्वतः ही गवाह हूं कि अम्बेडकरनगर जिले में एक प्रकरण में 4 माननीय विधायकगण गये उसके बाद भी एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गयी। माननीय चौधरी साहब ने जिक्र किया कि डाक से तो सामने दिये जाने के बाद भी एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं हुई तो डाक से देने पर एफ0 आई0 आर0 क्या दर्ज होती। निश्चित रूप से कोई कार्यवाही नहीं हुई।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि जनमानस में यह भावना व्याप्त है कि विगत 3 वर्षों में जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अनेक प्रयासों के उपरान्त भी पंजीकृत नहीं हुई है। जनता के इस विधिक अधिकार को प्रदान किये जाने की शासन की प्रतिबद्धता के कारण विगत 3 वर्षों में जिन व्यक्तियों को यह शिकायत है कि उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं हुई है, उनके सम्बन्ध में आगामी 30 दिवस 22-7-2007 के प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1494/छःपु-3-2007, दिनांक 22-6-2007 निर्गत कर सम्बन्धित सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की बिल्कुल मंशा किसी भी राजनीति व्यक्ति या राजनीति व्यक्ति के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की नहीं है लेकिन अगर अपराधियों को किसी राजनीति सिम्बल के आधार पर बचाने का प्रयास किया जायेगा तो सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार की नजर में अपराधी, अपराधी है वह कितना ही राजनीति संरक्षण प्राप्त क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और उसी मंशा के तहत यह निर्देश जारी किये गये हैं। यह विषय नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिये इसे आप अग्राह्य करें।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने माननीय चौधरी साहब को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री हुकुम सिंह जी की है।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह जनहित का प्रश्न है और राजनीति से प्रेरित नहीं हैं लोक महत्व का इसलिये है कि इससे लाखों किसानों के परिवार प्रभावित हैं। अविलम्बनीय इसलिये है कि आज तक भी वह काम शुरू नहीं हुए जो हो जाने चाहिए थे। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के दो नहर सिस्टम हैं एक यमुना कैनाल और दूसरी गंगा कैनाल। इनसे लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है लेकिन कुछ दिनों से इनका मेन्टीनेंस और सफाई आदि कोई काम नहीं हुआ और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोड़ों रुपये का अपव्यय कर दिया गया। मान्यवर, एक परम्परा चली आ रही थी कि जनपदों में जो डिवीजन है, वह नहरों की सफाई के लिये, मेन्टीनेंस के लिये जब पैसा भेजा जाता था तो उनके द्वारा प्रोजेक्ट कारपोरेशन नामक संस्था के सीधे पैसा दे दिया गया। खण्डों में पैसा गया नहीं तो सफाई हुई नहीं मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि तमाम रजबहे ऐसे हैं, दर्जनों के नाम मैं गिना सकता हूं जिनकी केवल निशानी बची है, न उनकी पटरी है, सब कट गयी, लोगों ने काट ली और कोई देखने तक नहीं आया। जब शिकायत करने गये तो कहा गया कि पैसा नहीं है, बजट नहीं है। मुझे सुनिश्चित जानकारी है कि 600 करोड़ रुपया, जो इस काम पर खर्च होना चाहिए था, उसका सीधे-सीधे अपव्यय हुआ। मैं इस सम्बन्ध में दो बात कहना चाहता हूं कि अभी बारिश नहीं हुई है, मानसून की प्रतीक्षा होती रहती है, कहा गया कि मानसून आने वाला है लेकिन मानसून आया नहीं है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दो नहर प्रणालियों के अलावा कोई सिंचाई का साधन है नहीं। इसलिये मेरी मांग है कि एक तो तीव्र गति से काम शुरू हो जाय ताकि गन्ने की फसल बचाई जा सके और जो धान की रोपाई हो सकती है वह भी समय से शुरू हो सके। आज तक चूंकि काम शुरू नहीं हुआ है इसलिये पीड़ा मेरी यह है कि कब तक हम मानसून की प्रतीक्षा करेंगे। दूसरी बात यह कि जो लोग किसानों के पैसे को लेकर बैठ गये, जिन्होंने धन का दुरुपयोग किया, उसकी जांच होनी चाहिए। मेरी जानकारी में है कि तत्कालीन लोक लेखा समिति ने इस प्रकरण की जांच की थी और जांच करने के बाद विस्तार से इसमें पूछताछ की थी और यह भी पाया कि लगभग 900 करोड़ रुपये के जो काम होने चाहिए, वह नहीं हुए हैं। आज उस लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहां है, मुझे पता नहीं सदन में भले ही आप उसका संज्ञान न लें लेकिन यह चीज व्यक्तिगत रूप से मेरी जानकारी में है। मैं दो काम चाहता हूं कि जनहित में यह काम तुरन्त शुरू हो जाने चाहिए दूसरी बात यह चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस धन का अपव्यय किया है, वह भले ही अब सदन के सदस्य न हों यहां से छुटकारा पा गये हों, उनको कम से कम एक सबक मिलना चाहिए, जिन लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया है, लाखों किसानों के परिवारों को वंचित करने का काम किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। थोड़ी सी रिकवरी के लिये गरीब आदमी को जेल भेजा जाता है, जेल तो इन लोगों को जाना चाहिए, जो आज आनन्द ले रहे हैं, मैं कब से कह रहा हूं कि इसकी एफ0आई0आर0 दर्ज करा दें। कीजिए एफ0आई0आर0 दर्ज, कीजिए रिकवरी और दिलाइये किसानों को राहत।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार किसानों की समस्याओं से पूरी तरह से अवगत है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात को कहा है कि नहर के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए अनुरक्षण मद में 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का काम किया गया हैं निश्चित रूप से वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री हुकुम सिंह जी की जो चाहते हैं, निश्चित रूप से नहरों की सफाई कराकर अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी। जहां तक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में बात आई है तो निश्चित रूप से आप इस बात को लिख करके दे देंगे तो तथ्यों के आधार पर

जांच कराकर कार्रवाई करायी जायेगी। यह नियम-56 में ग्राह्य करने लायक नहीं है, अभी सिंचाई विभाग की अनुदान मांग आयेगी उसमें माननीय सदस्य को चर्चा करने का पूरा अवसर मिलेगा इसलिये मान्यवर, इसे अग्राह्य करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय हुकुम सिंह जी ने स्पेसिफिक एक नहर का जो मामला उठाया है और कहा है कि वहां सफाई का काम शुरू हो जाए, इसको दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कहा है और मेरी चाहत है कि नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि अन्तिम छोर तक पानी तभी पहुंच पायेगा जब नहरों का नाम-निशान रहेगा लेकिन मान्यवर, केवल निशान ही बचा है, रजबहे तक समाप्त कर दिये गये हैं, अधिकारी तंत्र पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सारे प्रकरण की एक टीम भेजकर जांच करायी जाय।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, माथुर साहब आप बैठ जाएं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मेरी चाहत है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इनकी चाहत क्या है यह वर्णित हो जाए ?

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात करना चाहते हैं यही चाहत है। यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है, वह ठीक है। मैं भी लोक लेखा समिति का सदस्य था, 900 करोड़ रुपये का घोटाला लोक लेखा समिति द्वारा पकड़ा गया, पता नहीं उस रिपोर्ट को क्यों दबा दिया गया ?

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब आपकी बात आ गई है माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच करा ली जायेगी।

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आप लोक लेखा समिति की रिपोर्ट मंगा लें, उसे पटल पर रखना आवश्यक था। 900 करोड़ रुपये की जो हानि हुई है, जिस तरह से उस धन की बरबादी की गई है, जिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार से उस पर लीपापोती की गई है, उसकी जांच कराई जाए। मान्यवर, यह अतिमहत्वपूर्ण है इस पर आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसे दोहरायें नहीं, आपकी बात आ गई है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, लोक लेखा समिति या जो अन्य समितियां हैं, उनकी कार्यवाही के लिये नियम बने हैं, समितियां रिपोर्ट देती हैं, उसे सदन के पटल पर रखा जाता है, सदन निर्णय करता है फिर उसके अनुसार कार्यवाही होती है। सदन को यह तय करना होता है कि किस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी। जहां तक इस प्रकरण का सम्बन्ध है मैंने आश्वस्त किया कि माननीय हुकुम सिंह जी ने जो आरोप लगाये हैं उसे लिख करके दे दें क्योंकि जांच की भी एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो हमने कहा है, उसी का संज्ञान ले लेना चाहिए। जो हमने कहा उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। लालजी वर्मा जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, कभी नहीं लिखकर मांगा जाता है। जो कुछ मैंने कहा वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा है, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। नई-नई परम्परायें क्यों डाल रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, सदस्य हैं जांच का एक निश्चित केन्द्र बिन्दु होना चाहिए, एक तथ्य होना चाहिए कि इस आधार पर भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित रूप से स्पेसिफिक बिन्दु आयेंगे उसके आधार पर उसकी जांच करायी जायेगी। जहां तक लोक लेखा समिति की या किसी समिति की रिपोर्ट सदन में रखी जाती है, सदन में रखे जाने के उपरान्त सदन ही तय करता है, माननीय सदस्य उसका प्रस्ताव करते हैं। सदन तय करता है कि किस तरह से प्रक्रिया अपनायी जाए। निश्चित रूप से किसी भ्रष्टाचारी को सरकार बचने नहीं देगी, इस बात से आश्वस्त करता हूं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

लोक लेखा समिति का बहुत बड़ा प्रकरण प्रदेश के लोगों ने जाना था। उसे सदन में पेश ही नहीं होने दिया गया। [× × ×] और अग्रिम आदेश तक उसे तैयार ही होने से रोक दिया गया। उसके बारे में हमने जो पत्राचार किया था, तीन पत्र लिखे थे, आज उसे आपके पास भेज दिया है। आपसे पुनः आग्रह किया हूं कि आप अपने अधिकार का उपयोग करते हुए इसमें कार्यवाही करायें। मैंने 4 महीने तक समीक्षा किया था और 900 करोड़ रुपये से ऊपर की धनराशि में 400 करोड़ रुपये के घपले की संभावना व्यक्त की थी। इसमें मंत्री, अधिकारी और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रमुख सचिव स्तर तक के अधिकारी संलिप्त थे। इसलिये शासन सी0बी0आई0 या खुली सतर्कता जांच करायें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी लिखा गया था कि आप इसकी विशेष आडिट करें कार्यवाही शुरू कर दी गयी थी। तत्कालीन सरकार ने रुकवा दिया या क्या किया मैं नहीं जानता। मान्यवर, आप इसका समर्थन करते हैं वरना एक गलत परम्परा पड़ जाती। समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने से रोकने का अधिकार किसी अध्यक्ष को नहीं है। आप उस स्वस्थ परम्परा को पुनः स्थापित करें और उसकी कापी भी मा0 सिंचाई मंत्री जी को भेजी है कि चाहें तो शासन की दृष्टि से जांच करा लें। इसकी जांच होनी चाहिए, गम्भीर मसला है। सिंचाई विभाग में गलत परम्परा पैसे का घोटाला करने की जिस प्रकार से डाली गयी थी उस पर अंकुश लगायें।

श्री अध्यक्ष-

इसका संज्ञान लिया गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो भी इस तरह के मामले आयेंगे, आपका जो निर्देश होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, लोक लेखा समिति ने बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा था.....

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब बैठिये, मैं इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, बहुत बड़े घोटाले का मामला है। इसको समयबद्ध कर दिया जाए। एक महीने या दो महने में इस पर कार्यवाही की जायेगी। यह बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि एक समय सीमा निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी। सिरोही जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सूचना अग्राह्य हो चुकी है। मैंने दूसरी सूचना ले ली है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो गम्भीर घोटाले की बात कही गयी है उसकी पूरी तरह से उच्च-स्तरीय जांच हो और जो दोषी हों उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिया जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओम प्रकाश सिंह जी वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं और गत वर्ष लोक लेखा समिति के सभापति भी रहे, उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिये मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। अध्यक्ष का उल्लेख किसी भी तौर पर नहीं होना चाहिए कि [***] क्योंकि भविष्य में अत्यन्त गम्भीर दृष्टांत होगा। मैं उसके तथ्यों पर बात नहीं करता। अध्यक्ष और अध्यक्ष से सम्बन्धित अगर कोई वाक्य हो तो उसको कार्यवाही से निकलवा दें। यह टिप्पणी भविष्य के लिये अध्यक्ष पीठ की परम्परा के लिये एक गम्भीर बात हो सकती है।

नोट :-[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

कार्यवाही से वह शब्द निकाली जाती है जो असंसदीय या आपत्तिजनक हो। मैं तो चाहूंगा जो पत्र मैंने तत्कालीन अध्यक्ष को लिखे थे जिसकी कापी आज ही आपको रिसीव कराई है उसको सदन के समक्ष रखें जिससे सबको पता चल सके।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

पीठ के प्रति आरोप या महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति सदन में आरोप नहीं लगाये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसको कार्यवाही से निकलवा देते हैं।

*श्री प्रदीप जैन आदित्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आभारी हूं। आज प्रदेश के अन्दर खाद्य पदार्थों में मिलावट का तेजी से दौर चल रहा है। पूरे प्रदेश में खाद्य पदार्थ के रूप में दूध हो, चाहे फल, तरकारी व अन्य वस्तुएं हों घी हो इन सबमें मिलावट का एक भयानक दौर चल रहा है। अभी उस दिन नेता कांग्रेस ने देशी घी में मिलावट का मामला उठाया था उसके अन्दर पशुओं की चर्बी और हड्डी का चूरा व अन्य कैमिकल मिलाया जा रहा है एक गम्भीर बात है। देशी घी को धार्मिक कृत्यों में भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें मिलावट से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है व जो शाकाहारी हैं उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। अभी दशहरी आम के बारे में एक खुलासा हुआ है कि इसमें केल्सियम कार्बाइड की दवा इंजेक्शन के माध्यम से लगाई जाती है इससे यह फल चमकदार हो जाता है। यह इंजेक्शन तरकारी में जैसे लौकी, कद्दू में भी लगाया जा रहा है इससे इसका आकार बढ़ जाता है। दूध जो बनता है उसमें यूरिया और पेंट मिलाया जा रहा है। अभी स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट आई है उसमें उल्लेख है कि ऐसे दूध में कैल्सियम और प्रोटीन नहीं है और यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि सरकार एक अनवरत प्रक्रिया है मिलावट बन्द नहीं हो पा रही है प्रशासन के नकारेपन पर शासन कभी ध्यान नहीं देता है। हमारे बुन्देलखण्ड के अन्दर भी लोग हेयर डाई पीकर आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को जो डी0ए0पी0 और यूरिया मिल रही है उसमें भी मिलावट होती है मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के कार्य-स्थगन पर चर्चा कराई जाय।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

अध्यक्ष जी, इस विषय पर मुझसे पूर्व विधायक जी ने जो बात रखी। खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में मैंने नियम 51 के अन्तर्गत फ्राइडे को आपको सूचना दी थी परन्तु वह नहीं आ सकी। मेरा कहना है कि प्रतिबन्धित आक्सीटोक्सिन के इस्तेमाल से शरीर के अन्दर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हारमोलनल इम्बैलेन्सेस हो जाते हैं। महिलाओं के अन्दर पुरुषोचित गुणों का विकास होने लगता है और पुरुषों के अन्दर स्त्रियोचित गुणों का विकास होने लगता है। ऐसी स्थिति में यह केवल व्यावहारिक नहीं है। कृपया एक बात समझें। मान्यवर, बात यह है कि अगर समय से इस पर कार्यवाही न की गयी और यह प्रक्रिया अनवरत् चलती रही तो इस सदन में न नर होंगे और न मादा होंगी। बल्कि इन दोनों के बीच की कोई चीज विद्यमान होगी। मान्यवर, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। मेरा एक निवेदन है कि यह किडनी और लिवर को पूरी तरह से खराब करता है। यह ऑक्सीटोक्सिन जब प्रतिबन्धित है तो यह हमारे यहां मेडिकल स्टोर में कैसे उपलब्ध हो रहा है ? मेरा कहना है कि जब यह प्रतिबन्धित है तो इसको प्रदेश के मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। सदन में इस बात का यकीन दिलाया जाय कि तत्काल इस पर जनहित में कार्यवाही की जायेगी जो मेडिकल स्टोर हैं उनमें यह आक्सीटोक्सिन किसी को मिलने न पाये। मान्यवर, अगर समय रहते इस पर कार्यवाही नहीं की गयी तो इसके दुष्परिणाम होंगे।

(श्री करवरिया के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

करवरिया जी, आप इनसे अच्छा स्पष्ट नहीं बता पायेंगे। करवरिया जी, आप बैठ जायें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी सारी बात सुनी सुनाई है। अनुभव पर आधारित कुछ नहीं हैं आप अनुभव को आज महत्व दे रहे हैं, सुनकर अच्छा लगा। मान्यवर, मेरी चिन्ता प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं मान्यवर, आज फ्लोरीकल्चर या फल जो है यह किसानों के बहुत बड़े आर्थिक स्रोत हैं। आज यह एक आम चर्चा सी हो गई है कि प्रदेश से जो फल या सब्जियां बाहर जा रही हैं उसमें प्रतिबन्धित दवाओं का उपयोग किया जा रहा है जिसकी वजह से बाजार में दूसरे प्रदेशों के फलों व सब्जियों की तुलना में इनकी ग्राह्यता कम होती जा रही हैं मान्यवर, एक दिन ऐसा आयेगा जब प्रदेश के किसानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज यह एक समस्या खड़ी हो गई है। मिडिल ईस्ट के जिन देशों में खास तौर से पहले फल उत्तर प्रदेश से जाते थे लेकिन आज महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और कर्नाटक के आम वहां पसन्द किये जा रहे हैं यह एक चिन्ता का विषय हैं इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां से जो आम सप्लाई हो रहे थे उसमें यह शिकायत पाई गई कि देखने में अच्छा और साइज में तो बड़ा है पर अपनी गुणवत्ता और स्वाद खोता जा रहा है। मान्यवर, मेरा दूसरा चिन्ता का विषय यह है कि दिल्ली में जो दूध की सप्लाई हो रही है टैंकर के टैंकर उसमें पानी मिला हो तो कोई बात नहीं लेकिन उसमें कैमिकल मिलाकर सप्लाई किया जा रहा है जो कि बच्चों और बूढ़ों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। मेरे मित्र जैन साहब ने इसको पूरे विस्तार से रख दिया हैं मैं केवल इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करते हुए इस पर रोक लगायें। (व्यवधान) मैं अपनी बात कर रहा हूं नरेश जी अपनी बात कर रहे है। हमारे साथी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैन साहब और माननीया सदस्या ने इस लोक महत्व के विषय पर अपनी बात रखी है। मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन गम्भीरता से देखे। आगे आने वाले दिनों में कहीं ऐसा न हो कि सब्जी, दूध और फल में मिलावट के चलते हम अपनी आर्थिक हानि करा लें जिसकी भरपाई मुश्किल हो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1956 नियमावली, 1955 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट/अपमिश्रण पर नियंत्रण और रोकथाम हेतु मण्डल मुख्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के अधीन खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में तैनात मुख्य खाद्य निरीक्षक तथा ब्लाक स्तर तथा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा अपमिश्रण पर नियंत्रण रोकथाम/छापामार की कार्यवाही की जाती है। राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच कराने के पश्चात् नमूने अपमिश्रित पाये जाने पर दोषी निर्माताओं/विक्रेताओं के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। वादों की प्रभावी पैरवी कर दोषी निर्माताओं/विक्रेताओं को सजा/अर्थदंड दिलाया जाता है।

शासनादेश दिनांक 6 जुलाई, 2006 द्वारा फलों एवं सब्जियों में कैल्शियम कार्बाइड/कापर सल्फेट के प्रयोग को रोकने, शासनादेश दिनांक 06 जून, 2007 द्वारा दूषित/मिलावटी खाद्य सामग्रियों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सभी मण्डलों/जनपदों को निर्देश भेजे गये हैं।

जहां तक आम के बाजार में पहुंचने से पूर्व उसमें प्रतिबन्धित कीटनाशकों के प्रयोग का प्रश्न है। प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि 28 जून, 2007 से आगामी 03 माहों में विशेष छापामार अभियान चलाकर फलों एवं सब्जियों की जांच/नमूना संग्रह/अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा, श्री प्रमोद तिवारी और संसदीय कार्यमंत्री को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में प्रदेश की ज्वलन्त समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश में अंधाधुंध वनों एवं वृक्षों के कटान से पर्यावरण को गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। अगर इसी तरीके से वनों का कटना होता रहा तो भविष्य में मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। प्रदेश में 33 प्रतिशत वन होना चाहिए परन्तु वनों का वास्तविक क्षेत्रफल लगभग 11.6 प्रतिशत है। बहुत से ऐसे जनपद हैं जहां पर 9.9 प्रतिशत है जो एक प्रतिशत से भी कम है। कैसे प्रदेश की जनता को शुद्ध वायु उपलब्ध होगी। बड़ा ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चिन्तनीय विषय है। प्रदेश में प्रतिवर्ष वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष भी बनाया जा रहा है वन विभाग द्वारा औपचारिकता पूर्ण कर पौधे लगाते हैं। लेकिन एक बार लगाने के बाद उसे वापस मुड़कर कोई नहीं देखता है। प्रदेश भर की पूरी जनसंख्या को जरूरत भर आक्सीजन मुहैया कराने के लिए कम से कम 17 करोड़ वृक्ष बढ़ने चाहिए। शहरों में पुराने बागों व नये विकसित पार्कों में ऐसे वृक्ष लगाये जायें जो तेजी से बढ़ती कार्बन डाई-आक्साइड को अधिकतम मात्रा में सोखें। 93 घन मीटर का वन लगभग 8 डेसीबल ध्वनि प्रदूषण को दूर करता है। एक हेक्टेयर में लगभग 20 वाहनों से पैदा की गयी कार्बन डाई-आक्साइड को सोख लेता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि पुराने प्रजाति के वृक्ष जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है उन वृक्षों को एक जन आन्दोलन के रूप में वृक्षरोपण कराया जाय तभी मावन जीवन सम्भव है। वृक्षों का महत्व हमारे पुराणों में भी कहा गया है। पद्म पुराण में कहा गया है एक हरा वृक्ष कटता है तो वह दण्डनीय अपराध है। पुराणों में श्रीकृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। मान्यवर, लेकिन पूरे प्रदेश में वृक्षों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वृक्ष हमारी कामना, भावना और परम्परा के प्रतिरूप हैं जो बादलों की द्रवित चेतना को अपनी ओर लुभाकर धरती का श्रृंगार करते हैं और फसलों को आहार देते हैं, हम क्यों नहीं देते ? सड़कों के किनारे जो वृक्ष लगाये जाएं वह पुरानी प्रजाति के हों। मान्यवर, 2300 वर्ष पूर्व अरस्तू ने कहा था "भूमि पेड़-पौधों का पेट है, अगर हम पेड़-पौधों पर चोट करेंगे तो स्वाभाविक है कि मनुष्य के पेट पर चोट होगी।" मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से शहरों में और विकसित पार्कों में विदेशी वृक्ष लगाये जा रहे हैं, उनसे लाभ होने वाला नहीं है। अगर एक आन्दोलन के रूप में पुरानी प्रजाति के वृक्षों को लगाया जाएगा तभी पर्यावरण बच सकता है अन्यथा मानव जीवन खतरे में है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा प्रश्न लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है, मानव जीवन से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर चर्चा करायें। चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देश और प्रदेश के गम्भीर संकट से जुड़ा है इसलिए यदि वृक्षारोपण ठीक से नहीं कराया गया तो इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं होगा। सरकार यह भी बताये कि उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्य योजना बनायी है ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदूषण तो हर तरह के जनमानस के लिए नुकसानदेय है, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो या अन्य किसी तरह का प्रदूषण हो तो माननीय सदस्य द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण किया गया, निश्चित रूप से उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जहां तक वनों का सवाल है, निश्चित रूप से जनजीवन और देश तथा प्रदेश के हित के लिए भूमि को वनों से आच्छादित होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, हमारे जो वन मंत्री हैं, उन्होंने भूमि को वनों से आच्छादित कराने का शुभारम्भ किया है और यह सुनिश्चित जिम्मेदारी डाली है कि जो वृक्ष लगाये जायेंगे अगर कोई भी वृक्ष सूखेगा तो सीधे डी0एफ0ओ0 जिम्मेदार होगा। इसलिए सरकार पूरी तरह इस प्रदेश को वनों से आच्छादित करने के लिए कार्यवाही कर रही है और जहां तक चर्चा कराये जाने का प्रश्न है, चूंकि

विभाग की अनुदान मांगें आनी हैं, उस पर विस्तार से हमें चर्चा करने का अवसर मिलेगा इसलिए कार्य-स्थगन के रूप में इस पर चर्चा कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री राम विशुन आजाद और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभरी हूं कि आपने मुझे कार्य-स्थगन की सूचना पर, उसकी ग्राह्यता पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, शाहजहांपुर की एक लड़की की दहेज के कारण हत्या हुई है। अलीगढ़ जिले में अभी उसकी 7 महीने पहले ही 11 दिसम्बर, 2006 को शादी हुई है। ससुराल वाले चाहते थे कि उनको वैगन-आर गाड़ी दी जाए। मान्यवर, लड़की के घर वालों ने जितनी उनकी सामर्थ्य थी, 10 लाख से अधिक दहेज दिया था लेकिन गाड़ी नहीं दे पाये थे, वैगन-आर नहीं दे पाये थे। फरवरी, 2007 में ससुराल वालों ने लड़की को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, उससे कहा कि मायके से गाड़ी लेकर आइये, तभी रह सकती हो। यह सब सुनकर उनके पिता गये, काफी समझाया-बुझाया लेकिन उसके बाद से मामला और ज्यादा खराब हो गया फिर 24 जून की रात में उनके पिता को टेलीफोन मिलता है कि तुम्हारी लड़की की हालत ज्यादा सीरियस है, वह भागकर गये तो वहां देखा कि उसकी लाश पड़ी है। उनको बताया गया कि उसने आत्महत्या की है लेकिन कोई भी सिमटेम ऐसा नहीं था जिससे साबित हो कि उसने आत्महत्या की है। उसकी बाडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि आत्महत्या लगे। किसी प्रकार की जीभ उसकी नहीं निकली थी, आंखें खुली नहीं थी, डेड बाडी जमीन पर थी। जितने भी सिमटेम वे वह सब हत्या साबित कर रहे थे। मजबूर होकर सिविल लाइन में हत्या की एफ0आई0आर0 लिखायी गयी। मान्यवर, जो लोग गाड़ी मांगने में पंचायत करने में शामिल थे और जो लोग प्रताड़ित करने में शामिल थे उसमें दहेज अधिनियम में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मान्यवर, मुल्जिम बहुत प्रभावी और असरदार हैं और इस बात की पूरी सम्भावना है कि इनके द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने और सबूतों को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए निवेदन है कि मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाए और इस घटना की निष्पक्ष जांच हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय खन्ना जी ने तो दहेज के मारे अपनी शादी नहीं की तो मान्यवर, इनके खिलाफ भी कुछ होना चाहिए कि इन्होंने दहेज के चक्कर में शादी ही नहीं की।

श्री अध्यक्ष-

यह मानकर चलिए कि जब भी यह शादी करेंगे बिना दहेज के करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

यह आश्वासन है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ व्यवस्था करा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, वह दहेज नहीं मांगेंगे तो मान्यवर, आप कोई सुनिश्चित प्रबंध करा दें।

श्री लालजी वर्मा-

वह तो चौधरी साहब कराएंगे। मान्यवर, जहां तक उठाए गए मामले का प्रश्न है तो मान्यवर, इसमें डा0 आशुतोष मिश्रा और उनकी पत्नी श्रीमती सुरभि मिश्रा हैं। वह दिल्ली में प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं वह 24-06-07 को अपने घर आए थे जहां पर उनके और उनकी पत्नी के बीच कहासुनी हुई। इस बीच वह बाजार निकल गए। इसी बीच करीब 8.30 से 9.30 बजे के मध्य में श्रीमती सुरभि मिश्रा ने कमरे में फांसी लगा ली और मृत पाई गई। इसके बाद श्री आशुतोष मिश्रा ने अपने ससुर को सूचना दी। उसके बाद लड़की के पिता श्री महेन्द्र शुक्ला ने दिनांक 25-06-07 को थाना सिविल लाइन्स अलीगढ़ में अपराध संख्या 365/07 के अन्तर्गत घटना की रिपोर्ट धारा 304/498ए आई0पी0सी0 तथा 3/4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद मृतक के पति श्री आशुतोष मिश्रा, ससुर श्री कृष्णा दत्त मिश्रा, सास श्रीमती माया मिश्रा और जेठ डा0 अनिल मिश्रा तथा जेठानी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत होने के बाद पुलिस द्वारा श्री आशुतोष मिश्रा और उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अभी विवेचना प्रचलित है। मान्यवर, इसमें कार्रवाई हुई है। मान्यवर, यह कार्य-स्थगन में नहीं आता अतः अग्राह्य करने योग्य है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री सुरेश कुमार खन्ना जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम 56 में नहीं आती है अतः अग्राह्य की जाती है।

*श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में और विशेष रूप से हमारे जनपद उन्नाव में पेयजल का जो गम्भीर संकट उत्पन्न हुआ है उसके कारण वहां पर जानवर मर रहे हैं और आदमी भी गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। मान्यवर, गांव के जो ट्यूवेल हैं वहां से उन्हें। पानी लाकर पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मान्यवर, आज भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि आज से 4-5 साल पहले 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प लगाने का शासनादेश हुआ था और उसके बाद 150 की आबादी पर इंडिया मार्का हैण्डपम्प लगाने का शासनादेश निर्गत किया गया था।

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में जो बरसात की स्थिति रही है पिछले दो दशक में, बरसात कम होने के कारण पानी का स्ट्रेटा बहुत नीचे चला गया है। इधर चार-पांच सालों से इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प भी खराब हो गये हैं। नये हैण्ड पम्प के बारे में पहले भी अम्बिका चौधरी और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि बजट में कहीं भी इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प का प्राविधान नहीं रखा गया है। यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि जहां एक तरफ वर्तमान सरकार सर्व समाज के हित की बात करती है वहीं दूसरी तरह यह आदेश निर्गत किये जाते हैं कि अम्बेडकर गांवों में लगे हैण्ड पम्प, जो खराब पड़े हैं, उनको ही ठीक किया जाय, रिबोर किया जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस गम्भीर पेयजल संकट को देखते हुए जैसे अम्बेडकर गांवों के हैण्ड पम्पों को रिबोर करने के निर्देश दे रही है, उसी तरह से अन्य हैण्ड पम्पों को भी रिबोर करने के निर्देश दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, निश्चित रूप से पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए नये इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं और लगाये जायेंगे। साथ ही साथ जो हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं वह भी एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही रिबोर किये जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह ग्राह्यता के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इसे आप अग्राह्य करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री उदयराज यादव व मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, केवल दो बिन्दु पर ही मैं कहना चाहूंगा। एक तो यह कि जो इस समय वर्तमान सरकार ने बहुत ही द्रुत गति से काम किया है वह है सारे आयोग के विस्तारीकरण का। इसमें उन्होंने अध्यक्ष के साथ दो उपाध्यक्ष को जोड़ दिया है और सदस्यों की संख्या 17 कर दी है। पता नहीं यह सारे विधेयकों में सदस्यों की संख्या 17 क्यों कर रहे हैं ? शायद किसी ज्योतिषी ने इन्हें ऐसा करने की सलाह दी है। इसमें यह भी आप देखें कि इन्होंने यह किया है कि सीधे-सीधे उन्हें राज्य मंत्री और उप मंत्री का पद दे देंगे। तो मेरा अनुरोध यह है कि ऐसा कोई भी विधेयक आये, यह अध्यादेश तो आ ही चुका है, तो मंत्री बना देंगे। मंत्री बनेंगे तो उनका कार्यालय भी होगा, उनके लिए गाड़ी भी होगी, वेतन की व्यवस्था भी होगी। यह संचित निधि से खर्च किया जायेगा तो आखिर इस सरकार ने इस सदन का उपहास करना क्यों शुरू कर

दिया ? अगर संचित निधि से इसमें खर्च होगा, यह मैंने पहले बताया था इसमें खर्च होगा जब आप मंत्री बना रहे हैं, राज्य मंत्री बना रहे हैं, उनके कार्यालय बना रहे हैं, साज-सज्जा भी कर रहे हैं तो इसमें ज्ञापन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए कि आपके इस संशोधन से हमारी संचित निधि पर क्या भार पड़ने वाला है ? मान्यवर, बारबार वही बात कह देना कि बहुमत से आये हैं। एक बार नेता प्रतिपक्ष ने कहा भी था कि बहुमत का अर्थ यह नहीं होता कि आप बुल्डोजर चला दें, परम्पराओं और मर्यादाओं पर। बहुमत का अर्थ यह होता है कि आप और मजबूती के साथ में जनहित के कार्य करें। बहुमत का सदुपयोग होना चाहिए। बहुमत का यह मतलब नहीं है, क्यों नहीं आपने इस सम्बन्ध में ज्ञापन दिया ? और अगर ज्ञापन नहीं दिया माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि इनको इसे प्रस्तुत करने की इस पर विचार करने की अनुमति आप न दें। यह तो नियमों में प्राविधान है कि ज्ञापन देंगें आप। इस सदन को जानकारी मिलेगी। कितना प्राविधान करने जा रहे हैं इसके लिए। दूसरी बात मान्यवर, यह आप पिछड़ा वर्ग का कल्याण कर रहे हैं और उसमें से यह भी हटा रहे हैं। कितना अच्छा है, विस्तृत दृष्टिकोण सामने आ रहा है कि जातीय प्रतिबन्ध हमने हटा दिया है। तो फिर यह पिछड़ा वर्ग भी समाप्त कर दीजिए। अगर इससे जातीय प्रतिबन्ध आप हटा करके यह करेंगे कि उस वर्ग के लोग भी नहीं आयेंगे, उनके कल्याण के लिए आपको व्यक्ति भी बाहर से लाने की छूट मिल जायेगी। एक संतोष की बात यह है कि जिस वर्ग के सम्बन्ध में आपने आयोग बनाये हैं एक निश्चित प्रतिनिधित्व उनको दिया गया था ताकि जो उनके मन में पीड़ा हो, उस वर्ग की समस्याओं को समझते हों, वहीं तो सार्थक सुझाव दे पायेंगे यहां पर। आपने प्रतिबन्ध हटा दिया उसके पीछे आपकी इच्छा क्या है ? आपकी इच्छा यह है कि उस वर्ग में शायद आपको योग्य व्यक्ति न मिले हों और भी योग्य व्यक्ति आप इसके लिए लायेंगे। यही है क्या ? अगर इतने लम्बे-चौड़े आरक्षण के बाद भी सेवा के क्षेत्र में भी आरक्षण देने के बाद में भी अगर इस पिछड़ा वर्ग में आज तक योग्य व्यक्ति नहीं आ पाये और हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री, लालजी वर्मा और माननीय सुखदेव राजभर जी की योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाये तो उनसे भी हमें इस योग्यता की अपेक्षा नहीं जिस योग्यता के व्यक्ति हमें चाहिए मान्यवर, तो यह कहां तक इन्साफ की बात है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मौर्या जी भी तो योग्य हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

हां, मौर्या जी यहां बैठे हुए हैं। इतनी योग्यता वाले, इतनी क्षमता वाले, जिनकी वाणी आज मान्यवर इको के रूप में इस सदन में गूंजती है। भले ही वह उधर बैठते हों जा करके। मान्यवर, यह जो इसमें आया, माननीय चौधरी साहब भी बैठते हैं, माननीय श्रम मंत्री भी बैठे हैं, इन सबकी योग्यता आपने क्षीण समझ ली और इसके लिए सोंचा कि जातीय प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया जाय, आखिर इसके पीछे मन्तव्य क्या है ? मैं तो कहना नहीं चाहता हूं, पता आपको भी है कि मन्तव्य क्या है। लेकिन इस तरह से इस सारे के पीछे जो दृष्टिकोण था कि वास्तव में जिस

आयोग का गठन हो रहा है पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए तो सुझाव दें, उस पर अमल करें, वह आपने समाप्त कर दिया और इसको आपने बिल्कुल ऐसा बना दिया कि पंगु होकर के रह जायेगा। हां जिनके लिए आप लायेंगे उनके लिए सुख सुविधा का आपने इन्तजाम कर दिया। सदस्यों की एक फौज खड़ी कर दी आपने लाकर के ताकि आपके वह राजनीतिक कार्यकर्ता जिनको आप कहीं एडजेस्ट नहीं कर पर रहे हैं इस तंत्र में, चुनाव नहीं लड़ा पाये, टिकट नहीं दे पाये, जिता नहीं पाये। जो बेकारों की फौज आपके पास में खड़ी हुई है उस फौज को सरकारी खजाने के खर्च के ऊपर आप यहां लाना चाहते हैं उनको सुख-सुविधा देना चाहते हैं। मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से इस पिछड़े वर्ग के साथ मजाक न किया जाय। उनका अपमान न किया जाय और दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं मान्यवर, कि अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग जो था, उसने पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए क्या कुछ काम करने में कमी छोड़ी, उसकी समीक्षा हो जाती। जो आपको दो उपाध्यक्षों की आवश्यकता पड़ गई। क्या इसके पीछे यही है कि उनको हम उप मंत्री बना करके साज-सज्जा हम बढ़ा दें उनकी बस और खर्च पड़ेगा सरकारी खजाने के ऊपर, तो इसलिए मैं इस अननुमोदन का प्रस्ताव लाया ताकि मुझको यह सुझाव देने का मौका मिल जाय और इस उम्मीद के साथ में लाया, उम्मीद मैं कह रहा हूं जो बहुत ही कमजोर शब्द है, जिसकी मुझे आशा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जुड़ी हुई है कि इस बात को सोचेंगे, थोड़े तर्क लगायेंगे, थोड़ी संजीदगी दिखायेंगे और अकारण कोई भार यहां की संचित निधि पर नहीं डालेंगे, मान्यवर, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश की आबादी बहुत अत्यधिक है और इतने बड़े विशाल प्रदेश में इसमें जो संख्या बढ़ाई गई है। मान्यवर, अध्यक्ष एक होगा, दो उपाध्यक्ष होंगे और साथ-साथ 14 अन्य सदस्य रखे जायेंगे। 17 मण्डल हैं इसलिए 17 मण्डल से एक-एक सदस्य हों इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें यह परिवर्तन किया गया है। माननीय हुकुम सिंह जी को चिन्ता है कि इसमें जातिसूचक शब्द हटा दिया गया है। मान्यवर, निश्चित रूप से उसमें और गतिशीलता लाने के लिये सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी है। इसके साथ ही साथ समरसता की स्थिति सभी वर्गों में पैदा हो और साथ ही पिछड़े वर्ग की समस्याओं का निराकरण हो। इसलिये सभी बातों का समावेश करने के लिये जाति प्रतिबंध हटाने के लिये काम किया गया है। माननीय हुकुम सिंह जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि सरकार ने जिस व्यक्ति को अध्यक्ष इसमें बनाया है वे पिछड़े वर्ग के ही हैं और अति पिछड़े वर्ग के हैं। इससे सरकार की मंशा पर उन्हें किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिये। निश्चित रूप से इतने बड़े सूबे में जहां 17 मण्डल हैं इसके कार्यों में इससे गतिशीलता आयेगी। समस्याओं का त्वरित गति से निकरण हो और हर मण्डल का इसमें प्रतिनिधित्व हो इसीलिए इस संख्या को बढ़ाया गया है। मान्यवर, यह कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। आप देखे इसकी गतिशीलता बढ़ाने के लिए इसका कार्यकाल तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। ताकि इसमें सम्मिलित लोग कम समय, सीमित समय मानकर इसमें काम करें। मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी जैसे व्यक्तियों को आज शंका इस बात की हो रही है कि इससे वित्तीय भार बढ़ रहा है। जिनके कार्यकाल में सौ से ज्यादा मंत्री बने थे और कितने निगमों के चेयरमैन थे उसके

बारे में बहुत कोई चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन निश्चित रूप से मैं माननीय हुकुम सिंह जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस संशोधन को वापस लेने का कष्ट करें और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का काम करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह डेढ़ सौ वालों में हैं। हर दिन 10-5 लोग मंत्री बनते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी क्या आप अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से 4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 15 जून, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन् 1996 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(3) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य होंगे,

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करेंगे,

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त धारण करेंगे।

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(6) (क) अध्यक्ष को राज्य के राज्य मंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी"

(ख) उपाध्यक्ष को राज्य के उप मंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी।"

निरसन और अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

संसदीय कार्य एवं चिकित्या शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार की विरोधाभाषी नीति है दो विधेयक और दोनों में अलग-अलग बात आयी। पहले विधेयक में पिछड़ा वर्ग आयोग के काम को गति देने के लिए सदस्य 4 से 17 बनाये। दूसरी ओर यह गोवंश विरोधी सरकार, जहां 15 सदस्य थे उनको घटाकर 4 कर दिये। यहां नहीं आवश्यकता पड़ी इसकी, वहां आवश्यकता थी। हर कमिश्नरी का एक इंचार्ज होगा यहां नहीं आवश्यकता पड़ी इसकी, यहां घटा करके आप ला रहे हैं चूंकि जिस सरकार ने विधेयक ला करके एक कानून बनाया था उस सरकार का विश्वास था। कृषि प्रधान यह देश है और इस कृषि प्रधान देश में गो-वंश की रक्षा हम कैसे करें यह हमारी चिन्ता का विषय था। हमने कानून बनाया, प्रयास किया और एक आयोग का गठन भी इसीलिए किया कि बार-बार जाकर वह समीक्षा भी करते रहें कि कानून का पालन कहां पर हो रहा है कहां नहीं हो रहा है, इसलिए 15 सदस्य रखे थे। अब आपने अध्यक्ष हटा दिया। जो सचिव या प्रमुख सचिव होगा पशुधन विभाग का वह इसका अध्यक्ष हो जायेगा तो वह तो बैठा ही है वहां पर, फिर आयोग की जरूरत क्या है ? अगर ब्यूरोक्रेसी के आधार पर, नौकरशाही के आधार पर ही गोवंश का सुधार होना था, उद्धार होना था तो उसके सचिव, प्रमुख सचिव तो बैठे ही थे उनकी जिम्मेदारी थी ही पहले से फिर आयोग के गठन का सवाल ही क्या था ? आयोग का गठन किया था और उसका अध्यक्ष ऐसे आदमी को बनाया था जिसको गोवंश सुधार की कुछ जानकारी हो, जिसकी प्रतिबद्धता हो, जिसका कुछ लगाव हो उस कार्यक्रम से, उस आदमी को आपने हटा दिया। यही आयोग ऐसा बचा था इस आयोग का महत्व यह होना चाहिए था कि अगर कोई कमी रह गयी थी तो उसमें सुधार होना चाहिए था और उसको मजबूती प्रदान करना चाहिए था लेकिन उसको कमजोर करके रख दिया क्योंकि गो-वंश की रक्षा में आपका विश्वास है ही नहीं। मैं बहुत पीड़ा से और बहुत कष्ट से इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि एक ओर बार-बार यह रिपोर्ट आ रही है गो-वंश समाप्ति की ओर है इस देश में उनकी कटान करके अरब कंट्रीज में बाहर भेजा जा रहा है अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं यहां पर मैं उनकी ओर इशारा नहीं करना चाहता उनकी रोटी-रोजी इस पर चल रही है, अवैध कटान पर रोटी-रोजी चल रही है और अवैध कटान करके, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके, कानून की धज्जियां उड़ा कर इस तरह से गौ-हत्या करके लोग अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं।

अगर उसको रोकने के लिए एक प्रयास था हमारा, बहुत प्रभावी न रहा हो उसको और प्रभावी बनाने की बात थी आपने बिल्कुल उसको निष्प्रभावी बनाकर रख दिया। सचिव, प्रमुख सचिव उसके अध्यक्ष होंगे, फलां उसके सदस्य होंगे और 4 केवल उसके सदस्य रह जायेंगे जो गैर सरकारी सदस्य होंगे। मान्यवर, जो उसकी गरिमा थी, जो पकड़ थी, उसका एक वजूद जो हमने बनाया था उसको खत्म करके रख दिया। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि सरकार जिद पर न आये यह न आये कि पिछली सरकार ने जो अच्छा काम किया उसको हमें समाप्त करना ही करना है। सरकार को समझदारी के साथ में सूझबूझ के साथ में, आपका भी कहीं न कहीं लगाव इस कार्यक्रम से होगा। माननीय मंत्रि-गण यहां बैठे हैं, माननीय सदस्यगण यहां बैठे हैं, निश्चित रूप से उनके मन में यह पीड़ा होगी कि कैसे हम इसका संरक्षण करें। ऐसी स्थिति में चिन्ता का विषय उनके लिए होना चाहिए था, हमें बजाय इसको कमजोर करने के इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी। मैं केवल औपचारिकता निभाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं बल्कि अपने मन की पीड़ा रखते हुए और यह चिन्ता व्यक्त करते हुए कि कभी-कभी हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सारे कार्यक्रम पर सोचना चाहिए। जो पूरे उत्तर प्रदेश ने पहल की थी मान्यवर, सारे भारतवर्ष में क्या संदेश जायेगा इस उत्तर प्रदेश में गो-वध को समाप्त करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, गो-वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था उस आयोग को निष्प्रभावी करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एक विधेयक पेश हुआ है, मान्यवर, क्या हम संदेश देना चाहते हैं यह उपलब्धि है हमारी ? मैं चाहूंगा कि इसको आज स्थगित करा ले, दुबारा सरकार इस पर विचार कर ले और विचार करने के बाद इसको यहां पर ले आये हम सर्वसम्मति से इसको पारित करना चाहते थे इस आयोग के गठन की मजबूती को ले करके, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है, अगर नहीं होगा तो पास करना बहुत चिन्ता की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस विश्वास के साथ में कि कहीं न कहीं आप सोच करके इस पर पुनर्विचार करेंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा। माननीय हुकुम सिंह जी, हमारे वरिष्ट सदस्य भी हैं और हमारे जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इनके बराबर में मेरा भी क्षेत्र है। यह बात निश्चित रूप से है कि गो-वंश खात्मे की ओर है और भारी पैमाने पर गौकशी कराने का काम किया जा रहा है। मान्यवर; मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैंने लिखित रूप से अपने यहां के वरिष्ट पुलिस अधीक्षक को दिया था कि मेरे यहां बड़े पैमाने पर गोकशी हो रही है और गोकशी के लिये मैंने चिन्हित कर-करके बताने का काम किया था कि इन-इन जगहों पर गोकशी होने का काम हो रहा है और गोकशी रोकने का प्रभावी उपाय भी बताया था कि आप इस पर प्रभावी तरीके से रोक लगा सकते हैं उसके लिये जरूरी है कि आप गोकशी करने वाले जो लोग हैं उनको आप अलग-अलग जगहों पर न पकड़कर उनसे इकट्ठा होने वाला जो माल है उसको रुकवाने का काम करें, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी, कोई छापेमारी की कार्यवाही नहीं की गयी। निश्चित रूप से मेरा भी यह मत है कि इस सरकार के अन्दर जिस प्रकार से गोकशी को बढ़ावा मिलने का काम हो रहा है, उस पर प्रभावी होने के लिये माननीय हुकुम सिंह जी का जो प्रस्ताव है, उस पर मैं अपना बल देता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, गौवंश के बारे में, जो यहां चिन्ता की गयी है, हमारे जनपद बुलन्दशहर और पश्चिम पूरा क्षेत्र, चाहे बुलन्दशहर हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सारे क्षेत्रों से भारी मात्रा में गौकटान होता है, गौओं का वध किया जाता है और वहीं पर खेतों में प्लास्टिक की पन्नियां बिछाकर गायों को काटा जाता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था और यह आशा थी कि गायों का वध नहीं होगा। हम चाहे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों, चाहे मंच पर बैठे हों, चाहे पीठ पर बैठे हों। हम अपनी गौ को गौमाता कहकर पुकारते हैं और गौमाता का इस प्रदेश में वध हो, उसके लिये हमने जो व्यवस्था की थी, उसको समाप्त किया जा रहा है, इससे कोई खराब बात हो नहीं सकती। उधर भी हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं, सबके मन में पीड़ा होगी उनकी मजबूरी है कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि उसमें से आधे लोग जब आयोग का गठन हुआ था, तब सत्ता पक्ष में बैठे हुये थे और वह तारीफ कर रहे थे परन्तु आज मजबूर हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जहां इस प्रदेश में गौमाता का कत्ल किया जा रहा हो, उसके लिये कुछ व्यवस्था बनाई जा रही हो। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने पिछड़ा आयोग के बारे में कहा था कि मण्डल से एक आदमी चाहिये क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण चीज थी इसमें कुछ लोगों को ओबलाइज करना था। क्या गौमाता ऐसी चीज हो गयी है कि प्रत्येक मण्डल से सदस्य नहीं होना चाहिये था। अभी दोनों तरफ अलग-अलग बात कर रही है सरकार। एक तरफ प्रत्येक मण्डल का प्रतिनिधित्व हो और दूसरी तरफ यह सब सरकारी अमले को सौंप दिया जाय और प्रमुख सचिव जो भी सरकारी अमला है वह किस प्रकार से काम करता है, यह सब जानते हैं, कैसे गौमाता बचेगी, कैसे गौवध रुकेगा, यह बहुत चिन्ता का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हुये मैं कहना चाहूंगा कि आप इस सरकार को निर्देश करें कि इसके कम न करके प्रत्येक मण्डल से एक सदस्य बढ़ाया जाय और सरकारी अमले से बचाकर इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनको बनाया जाय, तभी हम गौवों को बचा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप बैठें आपकी बात आ गयी।

*श्री लाल जी टण्डन-

यह प्रश्न जो है, यह हमारी कृषि इकोनामी के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। आज गोबर की खाद, गाय के दूध से ज्यादा और सारी दुनिया भर में गौमूत्र के ऊपर जो प्रयोग हो रहे हैं उसमें कितने औषधीय गुण पाये जा रहे हैं, कितने जैविक गुण पाये जा रहे हैं। जैविक खाद के लिये आज आवश्यकता है गोवंश को बढ़ाने की और ऐसे समय में बेतहाशा गौ काटने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

काम हो रहा हो और गौसेवा आयोग जो सारे प्रदेशों में बना हुआ है और यहां पर उसका आकार छोटा किया जाता है तो यह सरकार के ऊपर बहुत प्रश्नचिन्ह लगेगा कि आखिर इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। उनके मेम्बर्स को कोई भत्ता नहीं मिलता, उन्हें कोई मोटर-गाड़ी नहीं मिलती तो जहां कुछ नहीं है वहां संख्या घटा दें और जहां मंत्री का दर्जा देना है, वहां संख्या बढ़ा दें, इन दोनों चीजों के बीच में संतुलन कायम करना होगा। मेरा यह अनुरोध है कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न सरकार न बनाये और इसके ऊपर फिर से विचार कर लें और पुनः ले आयें, सर्वसम्मति से पास हो जाएगा, उसमें कोई विरोध नहीं है।

*श्रीमती कृष्णाराज-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूँगी कि इस आयोग में अन्य सदस्यों की आवश्यकता क्यों है ? मान्यवर, हमारे जनपद में राजकीय गौसदन हमारे विधान सभा क्षेत्र में बहुत ही बर्बर स्थिति में है। वहां की जो दुर्दशा है उसे विगत दिनों हम लोगों दे देखा है और संघर्ष भी किया है। हमारे यहाँ जनपद लखीमपुर खीरी में जो गौसदन है वहां गायें जाती हैं, वहां की व्यवस्था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्दशा में है। मान्यवर, वहां पर गायों की चारे की व्यवस्था नहीं है, वहां पर नाँदों में कंडा और गोबर भरा हुआ हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने संघर्ष किया और जो जनपद के हमारे जिला स्तर के अधिकारी थे और जो तहसील स्तर के अधिकारी थे, डॉक्टर थे उन लोगों ने भी व्यवस्था को ठीक करने में अपनी असमर्थता जतायी। उन लोगों ने कहा कि कोई व्यवस्था न होने की वजह से यह हमारी मजबूरी है। फिर भी उस समय उन लोगों ने अपनी बातों को ही रखा जैसी कि उनकी मंशा भी होती है, मान्यवर, वहां पर प्रदेश के अन्य जिलों की गायें भी जाती है जो नगर निगम द्वारा पकड़ी जाती है। जो आज की स्थिति है, जो आयोग का गठन हुआ है और उसमें जिस तरह से अन्य सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मेरा विचार है कि आयोग में और सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिये इसलिये मान्यवर, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसमें और भी सदस्य बढ़ाये जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करती हूँ।

श्री छत्रपाल सिंह-

मान्यवर, मैं पिछले तीन-चार वर्ष पहले गौ-सेवा आयोग का सदस्य रहा हूँ और सदस्य होने के नाते मैं पूरे प्रदेश में गौ-सेवा आयोग प्रयास के लिये किया हूँ और इस प्रकार से हमें कहां-कहां गौ-शालाएं हैं, उनकी संस्थाओं के सम्बन्ध में अध्ययन करने का मौका मिला। मान्यवर, अध्ययन करने के पश्चात् मुझे ऐसा लगा कि यदि आयोग में इतने ही सदस्य और होते तो गोवंश की रक्षा होती उनकी भी इसमें आवश्यकता थी क्योंकि गौ-शालाओं की बहुत बुरी दुर्दशा है उसमें सुधार होता हजारों बीघा जमीन गौ-शालाओं के नाम से है, उस पर दूसरे लोग अधिकार किये हुये हैं। आवश्यकता इस बात की थी कि समाज के जिम्मेदार लोग, जिनकी भावनाएं ठीक है, गो-सेवा आयोग के सदस्य बनते। जैसा कि सदन में काफी सुनने को मिला कि गौ-सेवा आयोग को ही समाप्त करने की योजना बन रही है, दुर्भाग्य पूर्ण है। जैसे ही सह सरकार बनी मैंने बहन जी का बयान अखबार में पढ़ा था कि गोवंश की रक्षा के लिए थानाध्यक्ष और पुलिस, एस0एस0पी0

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरदायी होंगे यदि उनके क्षेत्र में गोवंश की हत्या होती है। बहुत अच्छा लगा था अखबार पढ़कर। लेकिन आज यह सुनने के बाद ऐसा लगा कि वह एक समाज के साथ धोखा था। मान्यवर, धीरे-धीरे गोवंश समाप्त हो रहा है शायद इसीलिए इसकी सदस्य संख्या को कम करने का विचार सरकार को आया होगा। मान्यवर, गोवंश की सुरक्षा के लिए सरकार को पूरा ध्यान लगाकर कार्य करना चाहिए लेकिन वहां पर कुछ दूसरी ही सोच बन रही है, यह सरकार के लिए शर्म की बात है। मैं चाहता हूं कि गो-सेवा आयोग के सम्बन्ध में सरकार पुनर्विचार करे, आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए फिर से सोचने की आवश्यकता है।

*दुग्ध विकास एवं पशुधन मंत्री (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि गो-सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, वर्ष 1999 में बनाया गया था जिसका प्रमुख कार्य गायों का परिवर्धन और कल्याण था। गो-सेवा आयोग अपना कार्य सुचारु रूप से उत्तर प्रदेश में कर रहा है और जो सदस्यों की संख्या घटायी गयी है उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि गो-सेवा आयोग के माध्यम से हम जितना गो-वध पर नियंत्रण कर पा रहे हैं, उतना कराने का काम कर रहे हैं। सदस्यों की संख्या घटाने के पीछे मुख्य रूप से मंशा यह रही कि पिछले गो-सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य रहे उन्होंने सदैव ही अपने कार्य को सुचारु रूप से पूर्ण नहीं किया इसलिए इसमें गो-सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या घटायी गयी और घटाकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गो-सेवा आयोग में पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो हुआ करते थे। अब अध्यक्ष का पद पदेन प्रमुख सचिव/सचिव के लिए कर दिया गया है। उपाध्यक्ष पूर्ण रूप से अपने सदस्यों के सहयोग से इसको क्रियान्वित करने का काम करेंगे। गौ-वध जहां तक बताया जा रहा है, पिछले कई वर्षों से लगातार चला आ रहा था, उसे मैंने अपने मंत्रित्वकाल में स्वयं रामपुर गया था जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा गोकसी होती है। वहां मैं विजिलेंस और एस0एस0पी0, रामपुर को निर्देश दिया कि स्पेशल जांच से प्रत्येक शहर और गांव की जांच करायी जाए और जहां-जहां गो-वध हो रहा है, उन पर सख्त कार्यवाही की जाए। मैं बादायूं भी गया था वहां भी निर्देश दिये। गो-वध पर पूरे तौर पाबन्दी लगाने का काम किया जायेगा। इसके साथ-साथ पहली बार जो गो-सेवा आयोग के उपाध्यक्ष होंगे उनके लिए कुछ भत्ते का प्राविधान किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गो-सेवा आयोग गो-वध पर पूर्ण नियंत्रण करने का काम करेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, दो शब्द कह लूं, जो माननीय भार साधक मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, मा0 अवध पाल सिंह। वह यादव भी हैं। यादव मैंने खासतौर से इसलिए कहा कि यदुवंशी हैं, गो-पालक हैं। यह नाम इसलिए जुड़ा था कि गो रक्षा करना, गो का संवर्धन करना, इनका काम है और इस सारे परिवार का विकास करेंगे। इससे हम सब लोग जुड़े हैं, इससे कृषि मंत्री भी जुड़े हैं, आप भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जुड़े हैं, उस काम में। यह तो हम लोगों की निष्ठा और आस्था का प्रश्न है। आज जब आप यह कह रहे हैं, कि अध्यक्ष काम ठीक नहीं कर रहे थे तो उन्हें बदल दीजिए। इसमें कोई दिक्कत की बात है ? कई आयोग और निगम ऐसे हैं जिनके अध्यक्ष को बदल करके संबंधित मंत्री अध्यक्ष हो गये हैं, ठीक है, इससे प्रभावशाली काम होगा। इसमें भी आप बदल करके अध्यक्ष हो जाते। हमें लगता कि आप इस बात के लिए गम्भीर हैं लेकिन आप उनको हटाकर एक ब्यूरोकेट को अध्यक्ष बना रहे हैं। इससे लगता है कि कहीं आपकी रुचि इसमें नहीं है। पशुधन मंत्री अगर अध्यक्ष होते तो प्रभावशाली तरीके से चला सकते थे। उनकी अपनी एक क्षमता होती है, सम्मान होता है, जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रतिनिधि को हटाकर आपने ब्यूरोकेट को बना दिया जिसकी जिम्मेदारी मैं नहीं समझता कि सदन के प्रति या किसी और के प्रति है। आपकी जिम्मेदारी है, आप बन जाते, अच्छा लगता। हम लोग केवल औपचारिकता के नाते विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के मन में पीड़ा है। हमें लगता है कि सरकार अपनी पीठ को दस बार थपथपाये कि अच्छा काम कर दिया लेकिन इस क्षेत्र में जिस नंगेपन से आप लोग आये हैं सारी की सारी व्यवस्था को चौपट करने के लिए जिस व्यवस्था को ला करके हम लोगों ने खड़ा किया था, मान्यवर, इसकी कोई लाबी है और अवध पाल सिंह जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मजबूत आदमी हैं, फंसाने की बात नहीं कर रहा हूं। वर्मा जी हैं, आप हैं, कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, श्रम मंत्री जी बैठे हुये हैं, आप लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह तो इस बात की करें कि पुराने वाले अध्यक्ष बदल दीजिए, दूसरा कोई बना दीजिए। आप बन जाईये, कृषि मंत्री जी बन जांए, कोई और बन जाए, तो अच्छा लगेगा कि हमने आ करके कम से कम आयोग को मजबूती देने का काम किया। आपने भत्ते की बात कह दी। सारे तो आपने घर भेज दिये और आप कह रहे हैं कि मजबूत बनायेंगे। एक तो मजबूती का आकार यह है कि एक जगह गति देने के लिए 4 की जगह 17 बना रहे हैं और एक तरफ गति का हाल यह है कि 15 से घटाकर 4 पर ला रहे हैं गति की परिभाषा अलग-अलग होगी क्या ? एक तरफ संख्या बढ़ाकर गति बढ़ती है तो एक तरफ संख्या घटाकर गति बढ़ती है। शायद आप थोड़ा सा मन में सोचकर पुनर्विचार करने का आश्वासन देंगे।

श्री अवध पाल सिंह यादव-

श्री हुकुम सिंह जी हमारे बुजुर्ग भी हैं और सदन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी आयोग बहुत लोंगो से कभी बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता है। जैसे भारत निर्वाचन आयोग ने मात्र तीन आयुक्तों के साथ जितना बढ़िया उत्तर प्रदेश में चुनाव कराया है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा इस प्रदेश में कभी चुनाव नहीं हुआ। मैं हुकुम सिंह जी को विश्वास दिलाता हूं कि अगर पिछले समय में 15 सदस्यों के साथ में गो सेवा आयोग काम कर रहा था हमारे सदस्य जो बता रहे हैं कि गोकशी पांच साल में लगातार हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है तो मुझे लगता है कि ज्यादा सदस्य होने के नाते वह सभी ज्यादा से ज्यादा अक्षम थे हमने सदस्यों को घटाया है लेकिन उनको सक्षम बनाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं किसान का बेटा हूं मैंने खेती अपने हाथ से की है गाय और भैंस का दूध अपने हाथ से निकाला है। मेरे घर में आज भी 28 गाय, भैंस हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गोवध

पर नियंत्रण शत प्रतिशत करने की कार्यवाही एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों के बल पर आपको दिखाई पड़ेगी। गोवध अधिनियम पिछले दस वर्षों से ज्यादा सख्ती और कड़ाई के साथ लागू होगा यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें। यहां पर श्री टंडन जी भी बैठे हैं मैं वरिष्ठ सदस्यों से निवेदन करता हूं अगर आप किसान के बेटे पर विश्वास करते हैं, समाज सेवी के बेटे पर विश्वास करते हैं मेरे पिता जी व मेरा परिवार 70 वर्ष से समाज सेवा कर रहा है जितनी सख्ती और कड़ाई के साथ गोवध अधिनियम का पालन हो सकता है उतनी सख्ती के साथ एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों के साथ गोकशी पर नियंत्रण करने का काम करेंगे यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी आप अपने संकल्प को वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मुझे खुशी है कि श्री अवध पाल सिंह जी के साथ-साथ इनके पिता जी के साथ भी मुझे रहने का मौका मिला है इनका नाम देखकर मैंने सोचा कि यह गोवंश के हितैषी है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने संकल्प को वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से 4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अठानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999 की धारा-4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,-

(क) उपधारा (1) में,-

(एक) खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(क) सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव पशुपालन विभाग	अध्यक्ष, पदेन
(ख) सरकार का सचिव वित्त विभाग	"पदेन" सदस्य,

(दो) खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्,

(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट चार गैर सरकारी सदस्य, अर्थात् :-

(एक) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ का एक प्रतिनिधि ;

(दो) तीन व्यक्ति, जिनमें से एक कृषक होगा और दो राज्य में गाय के कल्याण परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयंसेवी संगठनों से सम्बन्धित होंगे।"

(ख) उपधारा (2) में शब्द "अध्यक्ष और उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जायेगा।

धारा 5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में :-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और पुनः नाम निर्देशन के लिये पात्र होगा,

परन्तु यह कि कोई गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।"

(ख) उपधारा (4) को निकाल दिया जायेगा।

निरसन और अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल

अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 2 जुलाई, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशेषतः मध्य विधान सभा क्षेत्र में उत्पन्न गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में है। वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। दूसरी सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की जनपद आगरा में फतेहाबाद-फिरोजाबाद को जोड़ने वाले मार्ग में जमुना नदी पर शंकरपुर घाट पर बने पीपे के पुल को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है। वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तीसरी सूचना श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव की प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सहायतार्थ भारत सरकार द्वारा जारी समाज कल्याण निधि की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है। वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। चौथी सूचना श्री उदयराज की प्रदेश के राजकीय शिक्षकों (एल0टी0) की प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठता सूची को शीघ्र जारी कराये जाने के सम्बन्ध में है। केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। पांचवी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के मंगरौरा विकास खण्ड अन्तर्गत इन्दिरा आवास लाभार्थियों को निर्माण हेतु अनुदान की दूसरी किश्त न उपलब्ध कराये जाने तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा के जसपुरा, तिंदवारी तथा बड़ोखर खुर्द विकास खण्ड क्षेत्रों में तूफान से विद्युत पोलों के टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह

केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज एवं कुण्डा अन्तर्गत कतिपय थाना क्षेत्रों में कुख्यात माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बेची जा रही जहरीली शराब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री राम प्रकाश कुशवाहा की जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत भूगर्भ जल स्तर नीचे गिरने से उत्पन्न गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नौवीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ अन्तर्गत ग्राम नौरथाइसपुर में अवैध रूप से चरागाह का पट्टा कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जनपद मेरठ के जिला कारागार में जैमर लगाये जाने के सम्बन्ध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई। श्री अब्दुल वारिस खां, श्री सुखलाल, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री राम विशुन आजाद, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्रीमती कृष्णा राज, श्री विजय बहादुर यादव, श्री अशोक सिंह चौहान, श्री दीप नारायण सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री पूरन प्रकाश।

जनपद जे0 पी0 नगर की तहसील-हसनपुर के ग्राम चन्दनपुर स्थित शुगर मिल के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने तथा मिल में व्याप्त अनियमितताओं को रोकने के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

गन्ना मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि ....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[जनपद जे0 पी0 नगर आवश्यकता की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्थित त्रिवेणी इंजीनियरिंग शुगर मिल द्वारा क्षेत्र का गन्ना न क्रय करके बाहर से गन्ना क्रय किया गया। किसानों के आन्दोलित होने पर आंशिक रूप से किसानों का गन्ना खरीदा तो उसका भुगतान अभी तक चीनी मिल द्वारा किसानों को नहीं किया गया है। किसानों का करोड़ों रुपया चीनी मिल पर बकाया है। चीनी मिल में सूखी खोई का ढेर लगा होने के कारण तेज हवा चलने पर खोई उड़कर आस-पास के गांवों के लोगों को शारीरिक नुकसान पहुंचा रही है।

प्राप्त सूचना के अनुसार त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 यूनिट चन्दनपुर ने अपना पहला पेराई सत्र दिनांक 21-12-2006 से आरम्भ किया है। यह इकाई अपने आवंटित

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्र से समस्त उपलब्ध 46.22 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई करने के पश्चात् दिनांक 30-04-2007 को गन्ना आयुक्त की अनुमति से बन्द हुई। चीनी मिल ने अपने आवंटित क्षेत्र से ही गन्ने की पेराई की है तथा गन्ने की आपूर्ति बाहरी क्षेत्रों से नहीं की गयी है। चीनी मिल पर पेराई सत्र 2006-07 में कुल 5647.50 लाख गन्ना मूल्य देय था, जिसके सापेक्ष दिनांक 28-06-2007 की स्थिति के अनुसार चीनी मिल ने रु0 4265.94 लाख का भुगतान किया है तथा रु0 1381.56 लाख का भुगतान अवशेष है। यह भुगतान दिनांक 31-08-2007 तक किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।

चीनी मिल में लगभग 10000 कुन्टल खोई का भण्डारण किया गया है, जो काली पालीथीन से ढका हुआ है। तथापि इसको उड़ने से बचाने के लिये चीनी मिल को यथोचित निर्देश जारी किये जा चुके हैं।]

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन व पलिया के तराई इलाकों में बसे सिख परिवारों की जमीनों की बेदखली के सम्बन्ध में श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, माननीय सदस्य ....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[उपर्युक्त सूचना के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन द्वारा उ0 प्र0 अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 एवं अन्य कानूनों के तहत ही कार्यवाही की जाती है। जिलाधिकारी खीरी से प्राप्त आख्यानुसार उपरोक्त वाद संख्या-5659(सीलिंग)/1988, श्री अमर सिंह बनाम अतिरिक्त कमिश्नर (प्रशासन) एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 04 सितम्बर, 2003 को निर्णय पारित किया है, न कि 04 दिसम्बर, 2003 को। उक्त प्रस्ताव शासन में प्राप्त होने पर उसका परीक्षण किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली न्याय विभाग को विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु संदर्भित की गयी। शासन के न्याय विभाग ने उक्त वाद संख्या-5659(सीलिंग)/1988, श्री अमर सिंह बनाम अतिरिक्त कमिश्नर (प्रशासन) एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-9-2003 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करने के आदेश दिनांक 29-06-2007 को निर्गत किये हैं।]

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-22 पुकारे जाने पर)

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मदं संख्या-21 पर मेरा एक स्पष्टीकरण है। मान्यवर, जो नियम-51 में मैंने दिया उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि जब 1988 में सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत जमीन सीलिंग में निकल गई और अपर आयुक्त लखनऊ ने भी बहाल कर दिया उसके बाद यह जो पीड़ित पक्ष है वह माननीय उच्च न्यायालय में गया। मान्यवर, लगातार 13 साल यह उच्च न्यायालय का चक्कर लगाता रहा। जिला प्रशासन किसी न किसी कारण से बहाना बनाकर उसको टालता रहा। माननीय अध्यक्ष जी यह बड़ा स्पष्ट न्याय का सिद्धान्त है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब न्याय के मिलने में देर होती है तो वह न्याय से महरूम माना जाता है। 13 साल तक लगातार लड़ने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला दिया और नियम प्राधिकारी सीलिंग और अपर आयुक्त लखनऊ के आदेश को उसने खारिज कर दिया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में सुस्पष्ट निर्णय दे दिया तो फिर उस मामले को लटकाये जाने का और सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या औचित्य है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, फाइल प्राप्त होने पर उसका परीक्षण किया गया तत्पश्चात् पत्रावली न्याय विभाग को विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु सन्दर्भित की गई। शासन के न्याय विभाग ने उक्त वाद संख्या-5659 सीलिंग 1988 अमर सिंह बनाम अतिरिक्त कमिश्नर प्रशासन अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 4-9-03 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करने के आदेश दिनांक 29-6-07 को निर्गत किये गये हैं। तो मान्यवर, अगर न्याय विभाग ने इस बात को महसूस किया कि इसमें उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए और उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 4 साल तक किस बात का परीक्षण हुआ ? माननीय उच्च न्यायालय ने सुस्पष्ट आदेश दिया और फिर चार साल तक परीक्षण होता रहा। मेरी जहां तक जानकारी है कि अपील की अवधि 90 दिन की होती है। 90 दिन के अन्दर अपील हो जानी चाहिए। 90 दिन की जगह चार साल हो गए और परीक्षण में आपके न्याय विभाग को चार साल लग गये, तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि न्याय हित में और उनकी कुर्बानी को देखते हुए, 20 साल से जो वह लड़ रहे हैं बीहड़ को, जंगल को, उन्होंने समतल बना दिया है सीलिंग कानून इफेक्टिवली लागू हो इसका मैं पक्षधर हूं लेकिन यह जो माननीय मंत्री जी का बयान है और जो अवधि है बीस साल से वह लड़ रहे हैं और सारे नियमों को ताक पर रखकर अगर जिला प्रशासन चार साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे, उन गरीबों के प्रति उदार बनेंगे कि यह जो संदेह की सुई जिला

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रशासन के इर्द-गिर्द घूम रही है। क्योंकि हमारे पूर्व के तमाम लोग वहां बसे हुए है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मैंने देखा है मैं गया हूं। संदेह की सुई जिला प्रशासन पर घूम रही है प्रतिशोध के चलते वह कार्य कर रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी पूरे मामले का परीक्षण कराकर अपने स्तर से, जो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हुए हैं उस अपील को, विशेष अपील को वापस लेंगे और इनको इनका हक दिलाने की कृपा करेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, गरीबों के हित में और जनहित में ही उच्चतम न्यायालय में जाने का निर्णय लिया गया है।

(मद संख्या-22 पुकारे जाने एवं श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं एक चीज स्पष्ट हो गई। एक विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करने के लिए एक विधिक राय ले रहे है। न्याय विभाग में मसला चला गया। यह तो जनहित के लिए परमीशन ले रहे हैं। एस0एल0पी0 दाखिल करने के लिए, उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। विधि विभाग की एक राय आ गई कि विशेष अनुज्ञा लेने जा रहे हैं एक याचिका दाखिल करने के लिए, उस आर्डर में जिसमें लिटीगेशन प्रशासन ने अब तक किया। अब जहां विधि विभाग द्वारा राय ली गयी है तो राय लेने की वजह क्या है ?

जनपद-आगरा में यमुना नदी में गंगा दशहरे के पर्व पर छः लड़कों की असामयिक मृत्यु के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री श्री लाल जी वर्मा-

[प्रश्नगत प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 25-6-2007 को गंगा दशहरा के पर्व पर जनपद आगरा के थाना सिकन्दरा, के अन्तर्गत यमुना नदी के गैलाना घाट पर विभिन्न समयों में स्नान करते समय निम्न युवकों की डूबने से मृत्यु हो गयीः-

1-विष्णु पुत्र श्री अतर सिंह, नि0 ग्राम-ककरेठा, थाना-सिकन्दरा, आगरा।

2-लवकेश पुत्र श्री शंकर लाल, नि0 ग्राम-ककरेठा, थाना-सिकन्दरा, आगरा।

3-टिन्कू पुत्र श्री सदासुखलाल, नि0 नगला-सदासुखलाल जनपद फिरोजाबाद।

4-छोटे उर्फ मुकेश पुत्र श्री बाबू लाल, नि0-शकुन्तलानगर, जगदीशपुरा, आगरा।

5-सन्जू पुत्र श्री जवाहर सिंह, नि0-शकुन्तलानगर, जगदीशपुरा, आगरा।

6-चन्दन पुत्र श्री रतन सिंह, नि0-शुकुन्तलानगर, जगदीशपुरा, आगरा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-विष्णु पुत्र श्री अतर सिंह, लवकेश पुत्र श्री शंकर लाल और टिन्कू पुत्र श्री सदासुखलाल तीनो मृतक ग्राम ककरेठा के अन्य पांच लड़कों के साथ सुबह 5.00 बजे स्नान करने के लिए यमुना नदी पर आये थे। उक्त तीनों मृतकों को तैरना नहीं आता था इस कारण नदी में स्नान करते समय डूब गये। सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची एवं थाना-छत्ता स्थित पीपलमण्डी से गोताखारों को बुलाकर व स्थानीय निवासियों के सहयोग से उक्त तीनों के शवों को बरामद करते हुए पंचायतनामा आदि की कार्यवाही करायी गयी।

3-छोटे उर्फ मुकेश पुत्र श्री बाबूलाल, सन्जू पुत्र श्री जवाहर सिंह तथा चन्दन पुत्र श्री रतन सिंह अपराह्न लगभग 1.30 बजे कुल आठ की संख्या में गंगा दशहरा का पर्व होने के कारण स्नान करने के लिए गैलाना घाट पर पहुंचे। स्नान करते समय तैरना न आने के कारण उक्त तीनों की नदी में डूब कर मृत्यु हो गयी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा थाना-छत्ता स्थित पीपलमण्डी से गोताखोरों को तथा पी0ए0सी0 के गोताखारों को बुलाकर शवों को बरामद करने की कार्यवाही की गयी। देर रात्रि तक मृतक छोटे व सन्जू के शव बरामद कर लिये गये थे तथा मृतक चन्दन सिंह का शव दिनांक 26-6-07 को प्रातः लगभग 7.00 बजे बरामद करते हुए पंचायतनामा आदि की कार्यवाही करायी गयी।

4-उल्लेखनीय है कि गंगा दशहरा पर नगर क्षेत्र में कैलाश घाट व बलकेश्वर घाट पर हजारों श्रद्धालुओं द्वारा परम्परागत रूप से स्नान किया जाता है और इन घाटों पर प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की जाती है। उक्त घटनास्थल ग्राम-ककरेठा व गैलाना से दूर एवं एकान्त में है, जहां पर कभी भी स्नान आदि का आयोजन नहीं हुआ है, वहां पर केवल स्थानीय लोगों का आना-जाना रहता है। गोकुल बैराज मथुरा से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने तथा वर्षा होने से नदी का जल स्तर बढ़ा होने के कारण आकस्मिक रूप से उक्त घटना घटित हुई है।]

जनपद मऊ में बेल्थरा रोड से मधुबन दोहरी घाट जाने वाली सड़क रामपुर बेलौली घाट स्थित टूटे पुल का निर्माण कराये जाने तथा उक्त सड़क को राज्य सड़क घोषित करने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)

[मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में उल्लिखित सेतु के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद मऊ में मुहम्मदाबाद-घोसी-मधुबन-बेल्थरा प्रमुख जिला मार्ग (संख्या-94) की श्रेणी में आता है। इस मार्ग के कि0मी0-52 में लघु सेतु संख्या-52/3 जर्जर हो गया था जो दिनांक 04-06-2007 को ध्वस्त हो गया है फलस्वरूप यातायात को रामपुर बेलौली से भीमपुरा नगरा होते हुये बेल्थरा बलिया की तरफ से चालू किया गया है। इस ध्वस्त लघु सेतु के स्थान पर नये सेतु के निर्माण हेतु रु0 53.25 लाख का आगणन गठित कर प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, लोक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण विभाग, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 28-06-2007 को मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रेषित किया गया है। आगणन शासन में प्राप्त होने पर उस पर प्राथमिकता पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

3-बलिया दोहरी घाट मार्ग का बलिया से बेल्थरा रोड तक का 58.00 कि0मी0 हिस्सा सोनौली बलिया (राज्य मार्ग सं0-1) का उभयनिष्ठ भाग है। बेल्थरा रोड से मधुबन तक 28.00 कि0मी0 का भाग मोहम्मदाबाद घोसी मधुबन बेल्थरा (एम0डी0आर0-94) का उभयनिष्ठ भाग है। मधुबन से दोहरी घाट तक का 20.96 कि0मी0 का भाग दोहरी घाट मधुबन अन्य जिला मार्ग हैं बेल्थरा रोड से दोहरी घाट तक के सम्पूर्ण भाग का राज्य मार्ग हेतु श्रेणी परिवर्तन का प्रस्ताव अलग से मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ द्वारा शासन को प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रश्नगत मार्ग को राजमार्ग में परिवर्तित करने हेतु विचार किया जायेगा।]

जनपद आगरा में गुड़ की मण्डी से कालीबाड़ी होते हुये शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास होते हुये पुरानी इमरजेंसी तक क्षतिग्रस्त मार्ग को आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[श्री जगन प्रसाद गर्ग, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि गुड़ की मण्डी से कालीबाड़ी होते हुये शहीद भगत सिंह प्रतिमा के पास से होते हुये पुरानी इमरजेंसी तक सड़क बहुत ही जर्जर एवं गड्ढायुक्त है, जिससे आये दिन साइकिल, स्कूटर व रिक्शा सवार यात्री दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को देखने आने वाले पर्यटक, जिसमें हजारों की संख्या में देश-विदेश के लोग होते हैं, उनको भी परेशानी उठानी पड़ती है। गड्ढायुक्त सड़क होने के कारण आगरा की छवि दूसरे प्रदेशों व विदेश में धूमिल होती है, जिस कारण जनता में भारी आक्रोश है। मा0 सदस्य द्वारा इस सड़क को आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा बनवाये जाने हेतु वक्तव्य की मांग की गयी है।

उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत मार्ग फुलपट्टी तिराहे से प्रारम्भ होकर एम0एम0 गेट, कालीबाड़ी मंदिर, शहीद भगत सिंह की प्रतिमा, नूरी दरवाजा से होते हुये हास्पिटल रोड स्थित पुरानी इमरजेंसी तक आता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 1031 मी0 है। यह मार्ग पूर्ण रूप से बी0एम0/एस0डी0सी0 निर्मित है। यह मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। यद्यपि मार्ग पर अनुरक्षण कार्य कराया जाता है फिर भी सीमित संसाधनों के कारण मार्ग पुनः निर्मित करवाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सड़क का नव निर्माण हाटमिक्स प्लान्ट से कराने हेतु आगणन तैयार कराया गया है। किसी सुनिश्चित मद में धन की उपलब्धता होने पर कार्य कराया जा सकेगा। यातायात सुगमतापूर्वक अनुरक्षण कार्य कराने की कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा उक्त मार्ग को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाये जाने की मांग की गयी है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त मार्ग को बनवाये जाने में नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् नागर स्थानीय निकाय संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है। जिनके द्वारा अपने अनिवार्य कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं किया जाता है। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पारस्परिक प्राथमिकतायें निर्धारित करते हुये इनका संचालन निगम द्वारा राज्य सरकार से, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, प्राप्त धनराशि तथा अपने संसाधनों व स्रोतों से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। नागर स्थानीय निकायों के दायित्वों व कर्तव्यों के क्षेत्रों में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है।]

जनपद आगरा के विकास खण्ड-शमसाबाद तथा फतेहाबाद में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27-6-07 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लिखित है कि जनपद आगरा के विकास खण्ड शमसाबाद तथा फतेहाबाद में पेयजल की गम्भीर समस्या है। जल स्तर 60 से 90 मीटर नीचे है, लगभग 500 गांव व मजरों के लिये 2000 हैण्डपम्पों की आवश्यकता है। सभी खराब पेयजल टंकियों का समाधान आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-आगरा के विकास खण्ड-शमसाबाद व फतेहाबाद की वर्ष 2001 की जनसंख्या क्रमशः 169161 व 154217 है। इन विकास खण्डों में क्रमशः 3200 एवं 3450 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार विकास खण्ड शमसाबाद में औसत 53 जनसंख्या पर तथा विकास खण्ड फतेहाबाद में 45 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प विद्यमान है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण विकास खण्ड शमसाबाद में 1050 और फतेहाबाद में 875 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं।

वर्तमान में इस क्षेत्र में भू-जल स्तर पूर्व से 5-10 मीटर नीचे चले जाने के कारण 60 से 70 मीटर गहरे हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं। वर्ष 2006-2007 में तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद हेतु 500 हैण्डपम्प अधिष्ठापन तथा 1000 हैण्डपम्प रिबोर किये जाने की घोषणा की गई थी। जिसके सापेक्ष विकास खण्ड-शमसाबाद में 125 तथा फतेहाबाद में 135 कुल 260 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये। विकास खण्ड शमसाबाद में 120 तथा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फतेहाबाद में 190 कुल 310 हैण्डपम्पों का रिबोर का कार्य किया गया। तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत ही हैण्डपम्प अधिष्ठापन तथा रिबोर कराया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास खण्ड-शमसाबाद में 90 एवं फतेहाबाद में 110 कुल 200 स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को रिबोर किया जा चुका है।

हैण्डपम्पों के अतिरिक्त विकास खण्ड-शमसाबाद में 06 पाइप पेयजल योजनाएं विद्यमान हैं। जिसमें से 02 योजनाएं नलकूप फेल हो जाने के कारण बन्द हैं, शेष 04 योजनाओं में नलकूप का श्राव कम हो जाने के कारण आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार विकास खण्ड-फतेहाबाद में 06 पाइप पेयजल योजनाएं विद्यमान हैं जिसमें से 01 योजना नलकूप फेल हो जाने के कारण बन्द हैं। 04 योजनाओं में नलकूप का श्राव कम हो जाने के कारण आंशिक जलापूर्ति की जा रही है तथा 01 योजना ग्राम सभा को हस्तान्तरित है, जो आंशिक रूप से चालू है। इस क्षेत्र की 03 बन्द पाइप पेयजल योजनाओं में नलकूप का निर्माण कर इन योजनाओं को पुनर्जीवित करना वर्ष 2007-08 की जिला योजना में प्रस्तावित किया जा रहा है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

दिनांक : 2 जुलाई, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 सं0-11 का उत्तर पीछे पृष्ट 34 पर।)

नगर निगम लखनऊ

रोड कटिंग

(वर्ष 2006-2007)

क्रम संख्या	जोन	कार्यों की संख्या	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति
1	जोन-1	23	6115290.00	5030298.00	
2	जोन-2	2	2236055.00	0.00	
3	जोन-3	8	1366782.00	5030298.00	
4	जोन-4	4	2081035.00	0.00	
5	जोन-5	0	0.00	0.00	
6	जोन-6	0	0.00	0.00	
	कुल	37	11799162.00	10060596.00	

प्रमुख अभियन्ता,

नगर निगम, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जोन-1

वित्तीय वर्ष 2006-07 में रोड कटिंग मद में प्राप्त धनराशि एवं उसके व्यय का ब्यौरा

प्राप्ति					व्यय			
क्र. सं	जोन	वार्ड	मार्ग का नाम	प्राप्त धनराशि	विभाग	वार्ड	मार्ग का नाम	लागत
1	1	राजाराम मोहन राय	मदनमोहन मालवीय मार्ग पर रोड कटिंग	458461.00	सहारा इण्डिया	राजाराम मोहन राय	मदनमोहन मालवीय मार्ग पर रोड कटिंग	347434.00
2			जापलिंग रोड गोखले मार्ग, गोखले बिहार मार्ग, वजीर हसन रोड, प्राग नारायण रोड पर कटिंग।	424914.00	एअरटेल		जापलिंग रोड गोखले मार्ग, गोखले बिहार मार्ग, वजीर हसन रोड, वे रोड, प्राग नारायण रोड पर विभिन्न स्थानों पर पेच मरम्मत रोड कटिंग का कार्य।	250000.00
3 4			प्राग नारायण रोड पर भूमिगत केबिल डालना।	18900.00 189000.00	उ0 प्र0 नेटवर्क उ0 प्र0 नेटवर्क		प्राग नारायण रोड श्री कोहली के मकान से नसीम जमाल के मकान तक मार्ग का सुधार।	315218.00
5			गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम द्वारा पाइप डालने के सम्बन्ध में।	150000.00	जल निगम		राजाराम मोहन राय वार्ड, गोखले मार्ग परनाली, गली पिट मेन होल कवर व क्रसिंग का निर्माण।	84579.00
6			मदन मोहन मालवीय मार्ग पर कटिंग के रेस्टोरेशन चार्जेज के सम्बन्ध में।	720000.00	ग्रीन गैस लि0		राजाराम मोहन राय वार्ड के अन्तर्गत जयप्रकाश नगर से बालू अड्डा तिराहे तक रोड कटिंग का सुधार कार्य।	656408.00
7			गुलजार कालोनी में रोड कटिंग के रेस्टोरेशन चार्जेज के सम्बन्ध में।	75466.00	नाज फाउडेंसन		राजाराम मोहन राय वार्ड स्थित गुलजार कालोनी में रोड कटिंग का सुधार कार्य।	75466.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्राप्ति							व्यय	
8			प्रागनारायण रोड वे लेन तथा हजरतगंज में आई0सी0 आई0सी0बैंक के पास रोड कटिंग तथा कबीर मार्ग, सरोजनी नायडू मार्ग पर कटिंग।	122625.00	उ0प्र0नेटवर्क		प्राग नारायण रोड वे लेन तथा हजरतगंज में आई0सी0आई0सी0 बैंक के पास कटिंग का सुधार।	45900.00
							कबीर मार्ग, सरोजनी नायडू मार्ग की कटिंग अभी नहीं हुयी।	76725.00
9	1	रामतीर्थ वार्ड राजा मोहन राय	रामतीर्थ वार्ड राणाप्रताप मार्ग, टाइम्स आफ इण्डिया चौराहे से सब्जी मण्डी तक रोड कटिंग।	224100.00	अडानी इनर्जी लि0	रामतीर्थ वार्ड राजा मोहन राय	कटिंग अभी नहीं हुयी।	
10		हजरतगंज, जी0सी0 बोस	हजरतगंज, जी0बी0 बोस वार्ड, डा0 सूजा रोड, नवल किशोर रोड, लीला सिनेमा, कैन्ट रोड, बर्लिंग्टन चौराहा से डा0 सूजा रोड व गुलजार कालोनी में रोड कटिंग।	1260000.00	मे0 अडानी इनर्जी लि0	हजरतगंज, जी0सी0 बोस	हजरतगंज में शाहनजफरोड से नवल किशोर रोड से राजाराम मोहन राय मार्ग होते हुये अशोक मार्ग तक रोड कटिंग का कार्य।	199804.00
							हजरतगंज में नवलकिशोर रोड, हलवासिया रोड पर कटिंग का सुधार।	199771.00
							हजरतगंज में लालबाग चौराहे से बी0 एन0 रोड तक कटिंग का सुधार।	199888.00
							राजाराम मोहन राय वार्ड अन्तर्गत टाइम्स आफ इंडिया से तिलक मार्ग तक रोड कटिंग।	151079.00
							जे0सी0 बोस, डा0 सूजा रोड, कैन्ट रोड, बार्लिंग्टन चौराहा से डा0 सूजा रोड तक रोड।	411200.00
11	1	महात्मा गांधी, हजरतगंज, नजरबाग,	महात्मागांधी मार्ग पर मेहरोत्रा क्लीनिक के बगल लेन बसन्त टाकीज लेन, नाज मार्केट, माथुर लेन, क्ले स्कावयर, फूलबाग पंचवटी	384600.00	उ0प्र0 जल निगम	महात्मा गांधी, हजरतगंज,	नजरबाग, फूलबाग में हुसैनी मस्जिद के पास रोड कटिंग।	66000.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्राप्ति						व्यय		
		रामतीर्थ, यदुनाथ सान्याल	नरही, राधाकृष्ण लेन, मंदिर लेन, देवेन्द्र पाठक रोड, सुनारवाली गली में भूमिगत पाइप डालने के सम्बन्ध में।			नजरबाग, रामतीर्थ, यदुनाथ सान्याल		
							मुरलीनगर में माया लेन स्कवायर में म0नं0 34/4ए से ईदू खलीफा मार्ग तक रोड कटिंग का सुधार।	70628.00
							यदुनाथ सन्याल वार्ड में योगेन्द्र पाठक रोड पर जल निगम द्वारा रोड कटिंग का कार्य।	178324.00
							गनेशगंज में सुनार वाली गली।	22050.00
							महात्मागांधी वार्ड में मेहरोत्रा क्लीनिक वाली गली में रोड कटिंग का कार्य।	59490.00
12	1	हजरतगंज	मोती महल मार्ग पर रेल टेल विभाग द्वारा रोड कटिंग का कार्य।	97200.00	रेल टेलकार्पो0 आफ इण्डिया	हजरतगंज	मोतीमहल मार्ग पर रोड कटिंग का सुधार।	97200.00
13	1	जे0सी0 बोस वार्ड	डा0 सूजा रोड एवं वार्लिंग्टन चौराहे से अनाधिकृत रूप से 300मी0 रनिंग की रोड कटिंग के रेन्सटोरेशन चार्जेज के सम्बन्ध में।	216000.00	एडानी एनर्जी लि0	जे0सी0 बोस वार्ड	जगदीश चन्द बोरा वार्ड में डा0 सूजा रोड की बाइन्डिंग नाली एवं कैण्ट रोड पर वार्लिंग्टन चौराहे से रोड कटिंग का कार्य।	216000.00
14	1	जे0सी0 बोस वार्ड	जे0सी0 वार्ड में कैन्ट से नजरबाग कालोनी तक रोड कटिंग के रेस्टोरेशन चार्ज के सम्बन्ध में।	228750.00	उ0प्र0 नेटवर्क	जे0सी0 बोस वार्ड	जे0सी0 बोस में कैन्ट रोड का महावीरा अपार्टमेन्ट के पास ओडियन तक रोड कटिंग का कार्य।	110649.00
		जे0सी0 बोस वार्ड				जे0सी0 बोस वार्ड	नजीरबाग में नसीर होटल के बगल रोड कटिंग का सुधार।	114000.00
15	1	पीरजलील-गोलागंज	वजीरगंज तथा पीर जलील वार्ड के अन्तर्गत रिवर बैंक कालोनी में रोड कटिंग के	279000.00	उ0प्र0 नेटवर्क	पीरजलील-गोलागंज	गोलागंज वार्ड में रिवर बैंक कालोनी के मुख्य मार्ग पर रोड कटिंग एवं	200000.00

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

प्राप्ति							व्यय	
			रेस्टोरेशन चार्ज।				स्वत्रंता संग्राम सेनानी के पास मन्दिर से पार्क तक रोड का सुधार। गोलागंज वार्ड रिवर बैंक कालोनी में पार्क के पास चुन्नी महतो अड्डा के पास खड़न्जे का कार्य।	
16	1	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड	जहांगीरा पैलेस के सामने रोड कटिंग के रेस्टोरेशन चार्जेज के सम्बन्ध में।	24400.00 64965.00	उ0प्र0 नेटवर्क बी0एस0एन0 एल0	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से कैसरबाग मण्डी/धौबियाना में रोड कटिंग का सुधार।	89355.00
17	1	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड	रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर जेमिनी कान्टीनेटल होटल से मकबरा तक अन्डर ग्राउण्ड केबिल डालने हेतु रोड कटिंग के रेस्टोरेशन चार्ज के सम्बन्ध में।	59760.00	एअरटेल	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड	अभी कटिंग नहीं हुई।	
18		विक्रमादित्य वार्ड	जियामऊ में सेन्सबेल के पास नव निर्मित कल्चर्ट के पास बन्धे के समान्तर रोड कटिंग के रेस्टोरेशन चार्जेज के सम्बन्ध में।	747250.00	गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई	विक्रमादित्य वार्ड	विक्रमादित्य वार्ड के बगल साइड रोड पर कटिंग एवं रोड की सड़क मरम्मत का कार्य।	747250.00
19		बाबू बनारसी दास वार्ड	हैदर कैनाल क्रास करने हेतु रोड कटिंग के रेस्टोरेशन चार्ज के सम्बन्ध में।	21600.00	एडनी एनर्जी लि0	बाबू बनारसी दास वार्ड	अभी कटिंग नहीं हुई।	-
20		मुरली नगर वार्ड, राजाराम मोहन राय वार्ड एवं जोन-2	कैन्ट रोड कबीर मार्ग, सरोजनी नायडू मार्ग, नाका हिन्डोला से चारबाग बस स्टैण्ड एवं मदन मोहन मालवीय मार्ग पर रोड कटिंग के रेस्टोरेशन चार्ज के सम्बन्ध में।	78819.00	भारत संचार निगम लि0	मुरली नगर वार्ड, राजाराम मोहन राय वार्ड एवं जोन-2	अभी कटिंग नहीं हुई।	-
21		महात्मा गांधी वार्ड	12ए/1 माल एवेन्यू के बीच सड़क की रोड कटिंग के रेस्टोरेशन चार्ज के सम्बन्ध में।	216000.00	पावर ग्रिड कारपो0 आफ इण्डिया	महात्मा गांधी वार्ड	अभी कटिंग नहीं हुई।	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्राप्ति						व्यय		
22		अमीनाबाद वार्ड	अमीनाबाद में श्रीराम रोड से हनुमान मन्दिर होते हुए प्रकाश कुल्फी तक रोड कटिंग।	26460.00	एअरटेल	अमीनाबाद वार्ड	अभी कटिंग नहीं हुई।	-
23		अमीनाबाद रानी लक्ष्मीबाई रोड पर रोड कटिंग के रेस्टोरेशन चार्ज के सम्बन्ध में।	27000.00		एअरटेल		अभी कटिंग नहीं हुई।	-
		कुल योग :	6115290.00					5030298

अवर अभियन्ता (सा0),
नगर निगम, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नगर निगम लखनऊ रोड कटिंग (वर्ष 2006-2007)

जोन-II

प्राप्ति					व्यय			
क्र0 सं0	जोन	वार्ड	मार्ग का नाम	प्राप्त धनराशि	विभाग	वार्ड	मार्ग का नाम	लागत
	जोन-2	मोतीलाल नेहरू नगर/चन्द्रभान गुप्त नगर	भल्ला ट्रान्सपोर्ट से सुभाष मार्ग तक। पान दरीबा रोड से ए0पी0सेन रोड।	1850855.00	जल निगम			रोड कटिंग का कार्य अभी नहीं हुआ है।
	जोन-2	चन्द्रभान गुप्त नगर	पान दरीबा चौराहे से पुरानी चुंगी चारबाग कानपुर रोड तक।	385200.00	एडानी एनर्जी			रोड कटिंग का कार्य गत माह किया गया है। ट्रेन्च में मिट्टी भराई का कार्य समुचित प्रकार से होने पर किया जायेगा।
			योग :	2236055.00				

प्रमुख अभियन्ता,
नगर निगम,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नगर निगम लखनऊ रोड कटिंग (वर्ष 2006-2007)

प्राप्ति					व्यय			
क्र0 सं0	जोन	वार्ड	मार्ग का नाम	प्राप्त धनराशि	विभाग	वार्ड	मार्ग का नाम	लागत
1	3	कदम रसूल एवं डालीगंज वार्ड	मोहन मीकिन सीवेज पम्पिंग स्टेशन से डालीगंज पुल तक सड़क के किनारे राइजिंग मेन डाले जाने हेतु।	चे0नं0-401333, दि0-20-4-06, रु0 10,00,000.00 इलाहाबाद बैंक, के0जी0 मेडिकल कालेज	परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	कदम रसूल डालीगंज	कदम रसूल वार्ड के अन्तर्गत छत्ते वाले पुल से मोहन मीकिन्स होते हुए बन्धा तक सड़क नाली का निर्माण कार्य। डालीगंज वार्ड के अन्तर्गत डालीगंज पुल छत्ते तक सड़क/नाली का निर्माण कार्य।	8,11,328.79 6,18,687.82
2	3	बेगम हजरत महल	शेखूपुरा रोड, विकास नगर सेक्टर-11, 10 व 9 में रोड कटिंग।	चेक नं0-075580, दि0-23-05-06, रु0 47,580.00 सेन्ट्रल बैंक, फैजाबाद रोड, लखनऊ	परियोजना प्रबन्धक, पेयजल (द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, बी-1/192, निरालानगर, लखनऊ	-	-	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्राप्ति					व्यय			
3	3	कदम रसूल	कदम रसूल में मोहन मीकिन नाले से रूपपुर खदरा तक रोड कटिंग।	चेक नं0-205028, दि0-19-6-06 रु0-1,26,562.00, यूनियन बैंक आफ इंडिया, डालीगंज, लखनऊ	परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	कदम रसूल	कदम रसूल वार्ड में मोहन मीकिन रोड से बहेलिया टोला जाने वाली सड़क का सुधार कार्य।	1,20,400.00
4	3	निराला नगर	डा0 रंजना के पास सी0 ब्लाक निराला नगर आप्टिकल के पास रोड कटिंग।	चेक नं0-456358, दि0-12-4-06, रु0-8,100.00 एच0डी0एफ0सी0, हजरतगंज, लखनऊ	यू0पी0 प्रिसीडेन्ट, उ0प्र0 नेटवर्क, प्रा0 लि0	-	-	-
5	3	निराला नगर	निराला नगर वार्ड में विजया बैंक के सामने अवध ग्रामीण के सामने व यूटीआई बैंक तथा सी-240 एवं 219 के सामने रोड कटिंग।	चेक नं0-456390, दि0-19-6-06, रु0-32,940.00 एच0डी0एफ0सी0 बैंक, हजरतगंज, लखनऊ	यू0पी0 प्रिसीडेन्ट, उ0प्र0 नेटवर्क, प्रा0 लि0	-	-	-
6	3	अलीगंज	अलीगंज से0-जे0 म0नं0-बी-40 से बेलीगारद चौराहा स्वाद स्वीट्स तक रोड कटिंग किये जाने के सम्बन्ध में।	डी0 डी0 नं0-007724, दि0 05 जून, 2006, रु0-84,240.00	इंचार्ज, विदेश संचार निगम, लिमिटेड	-	-	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्राप्ति					व्यय			
7	3	अलीगंज	सहारा बिल्डिंग कपूरथला के सामने सेक्टर 'एफ' अलीगंज पार्किंग में केबिल डालने हेतु कटिंग	चेक नं0-794007, दि0-2-12-06, रु0-13,360.00	मण्डल अभियन्ता, दूर संचार परियोजना भारत संचार निगम लि0, बी-306 से0-बी वायरलेस चौराहा, महानगर, लखनऊ	-	-	-
8	3	त्रिवेणीनगर	देवकी नर्सिंग होम के पीछे तपस्वीनगर जाने वाले मार्ग पर रोड कटिंग	चेक नं0-076998, दि0-27-7-06, रु0-54,000.00	जल निगम उत्तर प्रदेश, लखनऊ	त्रिवेणीनगर	देवकी नर्सिंग होम के पीछे तपस्वीनगर जाने वाले मार्ग पर रोड कटिंग	50,000.00

नगर अभियन्ता (सा0)-3

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जोन-4

वित्तीय वर्ष 2006-07 में रोड कटिंग मद में प्राप्त धनराशि एवं उसके व्यय का ब्यौरा

प्राप्ति					व्यय			
क्र. सं	जोन	वार्ड	मार्ग का नाम	प्राप्त धनराशि	विभाग	वार्ड	मार्ग का नाम	लागत
1	4	पेपर मिल	भीष्मपुरवा में रोड कटिंग का कार्य।	16,00,000.00	गोमती प्रदूषण इकाई प्रथम उ0 प्र0 जल निगम	पेपर मिल	-	-
			मगनम प्लाजा से आर0आर0 वर्कशाप तक।	59,475.00	डीजल इकाई हब	पेपर मिल	केन्द्रीय कार्यशाला के सामने इण्टरलाकिंग का कार्य।	59,475.00
			मेट्रो सिटी के आस-पास रोड कटिंग का कार्य।	1,32,480.00	आरिफ इण्डस्ट्रीज लि0	रफी अहमद किदवई मार्ग	गोमती नगर विशाल खण्ड 2/115 के सामने मेनहोल की मरम्मत एवं क्रासिंग का कार्य।	39,752.00
2	4	काल्विन कालेज	मण्डी हाउस व न्यू हैदराबाद निर्मल हाउस के पास रोड कटिंग।	20,558.00	उ0 प्र0 नेटवर्क	काल्विन कालेज	-	-
3	4	काल्विन कालेज	हैदराबाद में सीवर लाइन डालने हेतु कटिंग।	2,60,000.00	परियोजना प्रबन्धक गोमती प्रदूषण इकाई उ0प्र0 जल निगम	काल्विन कालेज	न्यू हैदराबाद में पम्पिंग स्टेशन जाने वाले मार्ग पर रोड कटिंग का कार्य।	1,35,427.00
							न्यू हैदराबाद में ट्रान्सफार्मर से 425/-8 सिविल लाइन तक रोड कटिंग व क्षतिग्रस्त रोड का सुधार।	124573.00

अनुपूरक विधान सभा

4	4	राजीव गांधी वार्ड	विवेक खण्ड-2 मेन राईजिंग लाइन डालने का कार्य।	2,89,080.00	परियोजना प्रबन्धक पेयजल जल द्वितीय, उ0प्र0 जल निगम	राजीव गांधी वार्ड		-
			कुल योग :	20,81,035.00				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 310 विधान सभा (586)-14-11-2007-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।